लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४८, १९६०/१८८२ (शक)

[२८ नवम्बर से ९ दिसम्बर, १९६० / ७ से १८ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४८ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खंड ४८—अंक ११ से २०—७ नवम्बर से ९ दिसम्बर, १९६०/७ से १८ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

अंक ११—सोमवार, २८ नवम्बर, १९६०/७ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १२६१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९३ से ५००, ५१८ और ५०१ १२६१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०२ से ५१७ और ५१९ से ५२६ . . १२८७—१२९८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४५ से ९१३, ९१५ से ९३४। . . १२८९—१३४४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३४५

अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे), १९६०–६१ के बारे में विवरण १३४५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १३४५—४८

(१) स्टैनवैक द्वारा शुल्क संरक्षण का अध्यपर्ण

(२) कानपुर में युद्धास्त्र कारखानों के आंशिक रूप से बाद हो जाने का समाचार

समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंड ७९ से ९७ और ९९ से १८१ . . . . . १३४८—७४

नालागढ़ समिति के बारे में आधे घंटे की चर्चा १३७४- —७९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १३८०—८५

अंक १२—मंगलवार, २९ नवम्बर, १९६० / ८ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५३२, ५३४ से ५३६, ५३९, ५४१ और ५४२ . १३८७—१४०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३३, ५३७, ५३८, ५४० और ५४३ से ५६६ . १४०९—२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से १०१३ . . . १४२४—५८

राष्ट्र मंडल प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के बा में वक्तव्य . . १४५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४५९

अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य), १९६०–६१ के बारे में विवरण . १४५९

विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ६९२ के उत्तर की शुद्धि .	१४६०
समवाय (संशोधन) विधेयक-संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंड १८१ से १९०, १९२ से २०३, २०५ से २१५, १९१, २०२ और २०४	१४६०—७९
प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	१४७९—९३
दैनिक संक्षेपिका	१४९४—९९
अंक १३—बुधवार, ३० नवम्बर १९६०/९ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५७१ और ५७३ से ५७६ .	१५०१—२२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ .	१५२२—२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६७, ५७२ और ५७७ से ६०४ .	१५२६—३९
अतारांकित प्रश्न संख्या १०१४ से १०९० और १०९२ से १०९८	१५३९—७८
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१५७८—७९
राज्य सभा से सन्देश	१५७९
ब्रिटिश संविधि—(भारत पर लागू होना) निरसन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . .	१५७९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तिहत्तरवां प्रतिवेदन . . .	१५७९
रेलवे अभिसमय समिति का प्रतिवेदन . .	१५७९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत पाकिस्तान रेल सम्पर्क सम्बन्धी समझौता .	१५८०—८१
कांगो की घटनाओं के बारे में वक्तव्य . . .	१५८२—८६
समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खंड ५ क, ९८ और १ . . .	१५८६—१६०४
पारित करने का प्रस्ताव . .	१६०४
सिन्धु पानी करार के बारे में चर्चा . .	१६०५—२६
दैनिक संक्षेपिका .	१६२७—३३

विषय	पृष्ठ
अंक १४—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९६० / १० अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६०९, ६११, ६१२ और ६१४ . .	१६३५—५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१०, ६१३, ६१५ से ६३४ .	१६५६—६६
अतारांकित प्रश्न संख्या १०९९—११६८ .	१६६६—९४
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	१६९४—९५
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	१६९५—९६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
१३ नवम्बर, १९६० को भाखड़ा बांध में हुई दुर्घटना . .	१६९६—९७
भारत पाकिस्तान वित्तीय वार्ता के बारे में वक्तव्य . .	१६९७—९८
गैर-प्रनुसूचित संचालकों के प्रति नीति के बारे में वक्तव्य .	१६९८—९९
समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	१६९९—१७१३
निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	१७१३—२७
कार्य मंत्रणा समिति—	
अट्ठावनवां प्रतिवेदन .	१७२७
दैनिक संक्षेपिका . .	१७२८—३३
अंक १५—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९६० / ११ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६३६ से ६४५	१७३५—५५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६३५ और ६४६ से ६७९ . . .	१७५५—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या ११६९ से १२५२ . .	१७७०—१८०८
स्थगन प्रस्ताव—	
बेरूबाड़ी का पाकिस्तान को हस्तांतरण और अर्जित राज्यक्षेत्र (विलय) विधेयक का राज्य विधान मंडलों को निर्देश .	१८०८—१२

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१८१२–१३
सभा का कार्य .	१८१३–१४, १८१४–१५
कार्य मंत्रणा समिति––	
अट्ठावनवां प्रतिवेदन . .	१८१४
निवारक निरोध (जा ी रखना) विधेयक––	
विचार करने का प्रस्ताव	१८१५––३४
ग़ैर सरका ी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––	
तिहत्तरवां प्रतिवेदन	१८३४
सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प . .	१८३४––४४
निशान लगा कर मतदान करने की नई प्रणाली के बा ं में संकल्प . .	१८४४––५१
दैनिक संक्षेपिका	१८५२––५८
अंक १६––सोमवार, ५ दिसम्बर, १९६० / १४ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८०, ६८१, ६८३ से ६८६, ६८८, ६९०, ७०३, ६९४ से ६९९, ७०१ और ७०२ . .	१८५९––८३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	१८८३––८५
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८२, ६८७, ६८९, ६९१ से ६९३, ७०० और ७०४ से ७१८	१८८५––९४
अतारांकित प्रश्न संख्या १२५३ से १२६२, १२६४ से १३२८ और १३३०	१८९४––१९२६
स्थगन प्रस्ताव––	
भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारियों की प्रस्तावित छंटनी	१९२६–२७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१९२८
राज्य सभा से सन्देश	१९२८
निरसन तथा संशोधन विधेयक––	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया .	१९२८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . .	१९२९
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक––	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१९२९
अधिमान-प्राप्त अंश (लाभांशों का विनियमन) विधेयक––	
प्रवर समति का प्रतिवेदन .	१९२९

विषय	पृष्ठ
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—	
संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य	१९२९
गुरुद्वारा रकाबगंज के निकट घटनाओं के बारे में वक्तव्य पाकिस्तान को बेरूबाड़ी के हस्तांतरण के बारे में केन्द्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकारके बीच हुई चर्चा के बारे में वक्तव्य निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव . . .	१९२९—५१
खंड २ तथा १ .	१९५१—५५
पारित करने का प्रस्ताव	१९५५—५९
सभा का कार्य	१९६०
अनुदानों की अनुपूरक मांग (रेलवे) १९६०–६१	१९६०—६६
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	१९६६—७१
दैनिक संक्षेपिका .	१९७२—७९
अंक १७—मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९६०/१५ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७१९, ७२०, ७२२ से ७२८ और ७३० से ७३२	१९८१—२००५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२१, ७२९ तथा ७३३ से ७४३ .	२००५—११
अतारांकित प्रश्न संख्या १३३१ से १४०५ . .	२०११—४१
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२०४१–४२
विधेयक-पुरस्थापित—	
(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक	२०४२
(२) प्रसूति लाभ विधेयक . . .	२०४२
रेलवे अभिसमय समिति प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	२०४३—७२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६०–६१ .	२०७३—७६
कृषि-जन्य पदार्थों के निम्नतम मूल्य के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	२०७७—८४
दैनिक संक्षेपिका	२०८५—८९
अंक १८—बुधवार, ७ दिसम्बर, १९६०/१६ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७४४ से ७४७ और ७४९ से ७५२ . .	२०९१—२११०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ तथा ७५३ से ७७८ . .	२११०—२१

विषय सूची

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या १४०६ से १४९६ . .	२१२१—६३
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	
(१) एक भारतीय गांव पर कथित पाकिस्तानी हमला	२१६३–६४
(२) गैर सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे के संयंत्र	२१६५—६७
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	२१६४–६५
तारांकित प्रश्न संख्या १२३० के उत्तर की शुद्धि	२१६७–६८
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक-पुरस्थापित	२१६८–६९
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६०–६१ .	२१६९—९२
चीनी के उत्पादन, वितरण और निर्यात के बारे में प्रस्ताव . .	२१९२—२२१५
पश्चिमी बंगाल के लिये पी० एल० ४८० निधि के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२२१५—१८
दैनिक संक्षेपिका	२२१९—२५
अंक १९—गुरुवार, ८ दिसम्बर १९६०/१७ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ७८२, ७८४, ७८५, ७८७ और ७८९ से ७९२ । . . .	२२२७—४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८३, ७८६, ७८८ और ७९३ से ८०४ .	२२४९—५६
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९७ से १५५८ . .	२२५६—८३
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२२८४
राज्य सभा से सन्देश	२२८४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
राष्ट्रमंडल में गणराज्य बनने का दक्षिण अफ्रीका का निर्णय .	२२८४–८५
विनियोग (संख्या ५) विधेयक-पुरस्थापित . .	२२८५
भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक के बारे में . .	२२८५–८६
वायदे के सौदे (विनियम) संशोधन विधेयक —	
विचार करने का प्रस्ताव . .	२२८१—२३००
भारतीय डाक घर (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव .	२३००–२३०१
खंड १ और २ . .	२३०१
पारित करने का प्रस्ताव . .	२३०१
भारत में खेल कूद के बारे में प्रस्ताव	२३०२—१७
दैनिक संक्षेपिका	२३१९—२३

विषय	पृष्ठ
अंक २०—शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९६०/१८ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८०५ से ८०७, ८०९ से ८११, ८१३ से ८१५ और ८१७ से ८१९	२३२५—४९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . .	२३४९—५१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१२, ८१६ और ८२० से ८२९ . .	२३५१—५७
अतारांकित प्रश्न संख्या १५५९ से १६२० . .	२३५७—८३
स्थगन प्रस्ताव—	
कांगो में भारतीय सैनिक दल	२३८३—८४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२३८४—८५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत पाकिस्तान व्यापार वार्ता	२३८५—८६
सभा का कार्य . . .	२३८७
विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६०—पारित .	२३८७—८८
वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	२३८८—२४०५
खंड २ से २२ और १ . .	२३९९—२४०५
पारित करने का प्रस्ताव .	२४०५
सदस्य की गिरफ्तारी	२४०५
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक (श्री तंगामणि का) पुरस्थापित .	२४०५
नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति का अन्त विधेयक—अस्वीकृत—	
विचार करने का प्रस्ताव	२४०६—११
भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक—	
परिचालित करने का प्रस्ताव	२४११—१६
दैनिक संक्षेपिका	२४१७—२२

नोट—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GIPND—LS III—1623(Ai)LSD—30-12-60—115.

लोक-सभा

शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९६०

११ अग्रहायण, १८८२, (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

निर्वाचन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

†*६३६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या विधि मंत्री १७ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४८३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के संबंध में आज तक क्या प्रगति हुई है?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** ५ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १२७ के उत्तर में उन तमाम बातों के बारे में बताया गया था जो कि द्वितीय आम चुनाव के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में चुनाव आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दिशा में की गयी हैं।

संक्षेप में वे ये हैं:—

(१) उम्मीदवार के निवृत्त होने सम्बन्धी धारा ५५—क को १९५१ के लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम से निकाल दी जाय (सिफारिश संख्या ५)।

(२) जिस चुनाव को न्यायाधिकरण अथवा अदालत द्वारा अवैध घोषित किया जाय, उसकी सूचना तुरन्त निर्वाचन आयोग को दी जाय (सिफारिश संख्या १५)।

(३) म्युनिसिपल क्षेत्रों के चुने हुए निर्वाचन क्षेत्रों में वोटरों को पहचान-पत्र देकर किसी दूसरे आदमी का वोट देने के कदाचार को रोकने के लिये १९५१ के अधिनियम

---

†मूल अंग्रेजी में

की धारा ६१ में संशोधन और १९५० के अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाना। (सिफारिश संख्या १९)।

(४) १९५१ के अधिनियम की धारा १५८ में संशोधन किया जाय ताकि एकल संक्रमणिय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधत्व प्रणाली के अनुसार हुये चुनाव में उम्मीदवारों की जमानतें जब्त करने वाला उपबन्ध स्पष्ट हो सके। (सिफारिश संख्या १२)।

ये उपरोक्त सिफारिशें निर्वाचन आयोग द्वारा द्वितीय आय प्रभाव पर प्रस्तुत प्रतिवेदन में दी गयी है। वर्तमान मतदाता सूचियां बनाने के सम्बन्ध में वर्तमान १९५६ के नियमों को हटाने के लिए निर्वाचन आयोग के विशेष सुझाव पर १० नवम्बर, १९६० को, मतदाता पंजीयन नियम १९६० जारी कर दिये गये हैं। ये नियम बड़े सरल हैं और मतदाता को अपना नाम रजिस्टर कराने में लम्बी दौड़ धूप नहीं करनी पड़ती। यह नियम जनवरी, १९६१ में लागू होंगे। इन नियमों की एक प्रतिलिपि इस सत्र के प्रथम दिन ही सभा पटल पर रख दी गयी थी।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** कितने नगर पालिका क्षेत्रों में इस पहिचान पत्र वाला प्रयोग किया गया है और यह किस सीमा तक सफल रहा है?

†**श्री अ० कु० सेन :** कलकत्ता के गत उपचुनाव में, कलकत्ता नगर क्षेत्र के एक भाग में इसका प्रयोग किया गया था। यह दक्षिण पश्चिमी कलकत्ता संसदीय चुनाव क्षेत्र का चुनाव था। जैसा कि सदन को पता है क्योंकि मैंने पहले एक प्रश्न के उत्तर में बताया था इस दिशा में निर्वाचन आयोग के अनुभव ऐसे नहीं थे कि इसका प्रयोग कलकत्ता के अन्य नगर क्षेत्रों में भी किया जाता। अतः निर्वाचन आयोग इस बात के पक्ष में है कि इस पहिचान पत्र प्रणाली को बन्द करके मतदान सूचियों का पुनरीक्षण किया जाय ताकि प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में रह गये लोगों का नाम दर्ज कर लिया जाय और कोई गलती हो तो ठीक हो जाय। इसका उद्देश्य यह है कि जहां तक सम्भव हो, चुनाव पूर्ण मतदाता सूची के आधार पर हो।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या नाम रजिस्टर कराने सम्बन्धी जिस नई प्रक्रिया को स्वीकार किया है उस पर अमल आरम्भ हो गया है; यदि नहीं, तो इसे कब लागू किया जायेगा और इससे क्या लाभदायक परिणाम प्राप्त होने की आशा है?

†**श्री अ० कु० सेन :** अगला पुनरीक्षण इसी प्रक्रिया के आधार पर होगा। माननीय सदस्य को पता है कि यह पुनरीक्षण वार्षिक होता है। अगला वार्षिक पुनरीक्षण आगामी वर्ष के आरम्भ में होगा।

†**श्री तंगामणि :** नाम वापिस लेने की तिथि के बाद चुनाव से निवृत्त होने को रोकने के लिए १९५१ के अधिनियम के उपबन्ध में समुचित संशोधन कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि एकल संक्रमणिय मत द्वारा अनुपात प्रतिनिधत्व प्रणाली के अनुसार हुए चुनावों में उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने के बारे में निर्वाचन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दिशा में क्या किया गया है।

†**श्री अ० कु० सेन :** यदि यह आदेशात्मक है तो अधिनियम के अनुसार होगा, कार्यान्वित करने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

†**श्री तंगामणि :** क्या अधिनियम में उसके अनुसार संशोधन कर लिया गया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन :** माननीय सदस्यों को पता है कि यह धारा १५८ का संशोधन तो इस सदन में ही हो गया था ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सत्य नहीं कि निर्वाचन आयोग अभी इस बात का निर्णय नहीं कर सका कि यह पहिचान पत्र प्रणाली आगामी चुनाव में चालू की जाय अथवा नहीं । इस पर बहुत व्यय होता है और कलकत्ता में यह प्रयोग सफल नहीं रहा ?

†**श्री अ० कु० सेन :** इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को निर्वाचन आयोग के सम्बन्ध में हमारे से अधिक जानकारी है । हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि उसके ये विचार हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय:** यह सब प्रक्रियायें हैं .....

†**श्री अ० कु० सेन :** इन सब प्रक्रियाओं के बारे में हमें अनुमान लगाने की सम्भावना नहीं, परन्तु विपक्षी माननीय सदस्य ऐसा कर सकते हैं । यह निश्चित है कि निर्वाचन आयोग ने इस प्रणाली के विरुद्ध निर्णय दिया है । उसका कहना है कि इस पर जितना खर्च होगा उतना हमें लाभ प्राप्त होने की आशा नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ :** कलकत्ता के प्रयोग के सम्बन्ध में क्या रहा ?

†**श्री अ० कु० सेन :** उसका विचार है कि इससे कम खर्च करके इससे अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं ।

†**श्री वाजपेयी :** क्या चुनाव से पूर्व निर्वाचन आयोग का विचार चुनाव क्षेत्रों में कुछ अदला बदली करने का है ? क्योंकि द्विसदस्यीय क्षेत्रों को हटाने के बारे में काफी देर की जा रही है, क्या इस दृष्टिकोण से भी इस समस्या पर विचार होगा ?

†**श्री अ० कु० सेन :** माननीय सदस्य को पता ही है कि निर्वाचन क्षेत्रों में अदला-बदली जन-गणना के बाद ही हुआ करती है । द्विसदस्यीय क्षेत्रों के बारे में भी कार्यवाही सदन के इस सम्बन्ध में निर्णय करने के पश्चात् ही हो सकती है । तभी द्विसदस्यीय क्षेत्रों का विभाजन किया जा सकता है और एक सदस्यीय क्षेत्र बनाये जा सकते हैं । सदन के निर्णय के पश्चात् ही इस बात पर निर्णय करने का औचित्य सिद्ध होता है । यदि सदन ने इसके विरुद्ध निर्णय दे दिया तो इस दिशा में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । परन्तु यदि इसके पक्ष में निर्णय हुआ तो एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्रों का निर्माण किया ही जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

†**कई माननीय सदस्य** उठे —

†**अध्यक्ष महोदय :** हम एक ही प्रश्न को लेकर नहीं चलते । आठ अथवा ९ प्रश्न बहुत थोड़े प्रतीत होते हैं ।

†**श्री वाजपेयी :** यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । सरकार ने इस मामले में कोई निश्चय नहीं किया । हमें भय है कि इस दिशा में चुनाव के निकट चुनाव क्षेत्रों में हेर फेर किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सदन में किसी भी विषय पर चर्चा उठा सकते हैं । इस समस्या का हल केवल एक प्रश्न के उत्तर से तो निकलेगा नहीं । यदि मैं सारे प्रश्नों के समय में इस पर अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे दूं तब भी कोई कठिनाई होगी ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : उन्होंने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरी माननीय सदस्यों से यह एक प्रार्थना है । माननीय सदस्य यह आग्रह करते हैं कि सभी प्रश्नों से सम्बन्धित मन्त्री यहां मौजूद रहें । वे यहां मौजूद हैं । बाहर भी उन्हें काम है । किसी को यह नहीं पता कि अमुक प्रश्न का नम्बर कब आयेगा । मैं यह नहीं कहता कि हम उन्हे गारण्टी दे सकते हैं कि कौनसा प्रश्न कब प्रस्तुत होगा । परन्तु यदि प्रतिदिन यही हालत रही कि ८ और ९ प्रश्नों से अधिक न हो सके, तो प्रत्येक प्रश्न एक पूरा विवाद बन जायेगा । फिर आधे घटे की चर्चा का महत्व समाप्त हो जायेगा । कई बार तो मैं स्वयं ही चर्चा करने का सुझाव दे देता हूं । अन्य माननीय सदस्य इस अधिकार का लाभ उठा सकते हैं । इसके लिये माननीय सदस्य समुचित रूप में आगे नहीं आते । पिछले सत्र में यह हुआ था कि काफी देर से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । जो माननीय सदस्य इस दिशा में सचेत हैं मैं उनकी सराहना करता हूं । मैं अपील करता हूं कि सभी माननीय सदस्यों को इस अधिकार का लाभ उठाना चाहिये । यदि यह समस्या महत्वपूर्ण है तो मैं इस पर चर्चा की अनुमति दे दूंगा । मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी माननीय सदस्यों को यह पता लग जाना चाहिये कि द्विसदस्यीय क्षेत्र रहेंगे अथवा समाप्त कर दिये जायेंगे । इस सम्बन्ध में सदन के सभी पक्षों के माननीय सदस्यों की चिन्ता समान है । प्रत्येक यह जानना चाहता है कि उसका चुनाव क्षेत्र कौनसा होगा । इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय कर लिया जाना चाहिये । इसमें सभी का हित है । मैं इस मामले सम्बन्धी घोषणा के पश्चात् तुरन्त इस विषय पर चर्चा की अनुमति प्रदान कर दंगा ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : दो घंटों की चर्चा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : दो घण्टों की अथवा दो दिनों की, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

†**श्री त्यागी** : एक मामला स्पष्ट हो जाना चाहिये कि किसी भी चुनाव क्षेत्र में चुनाव कम से कम लम्बित नहीं होने चाहियें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि ऐसा होगा तो जसकी सदन से अनुमति प्राप्त करनी होगी । माननीय सदस्य अपने अधिकारों का परिमाण क्यों कर रहे हैं ।

भारत का औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम

†*६३७. **श्रीमती इलापाल चौधरी :**
श्री राम जी वर्मा :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम को मार्च, १९५५ और जुलाई, १९५९ में २ करोड़ डालर के जो दो ऋण दिये थे वह उसने समाप्त कर दिये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि विश्व बैंक ने और अमरीकी सरकार की विकास ऋण निधि से और अधिक ऋण प्राप्त करने के लिये बातचीत चल रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो जो ऋण मांगा गया है उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) बातचीत किस प्रक्रम तक पहुंच चुकी है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : भारत के औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम ने अपने पहले ऋण को पूरी तरह उपयोग कर लिया है। दूसरे ऋण के भी अभी हाल पूरी तरह उपयोग हो जाने की पूरी आशा है।

(ख) से (घ). तीसरे २ करोड़ डालर के ऋण के लिये विश्व बैंक से चल रही बातचीत समाप्त हो गयी है और इस दिशा में करार पर हस्ताक्षर २८ अक्तूबर, १९६० को हो गये हैं। ऋण की अवधि का समय १० वर्ष है। विभिन्न रुपयों में विशेष परियोजनाओं के लिये लिये गये धन पर ब्याज दर भिन्न भिन्न होगा। वह दर वही होगी जो कि नये बैंक ऋणों पर तब लागू थी।

अमेरिका की विकास ऋण निधि ने ५० लाख डालर ऋण निगम को देने की इच्छा प्रकट की है। इस ऋण सम्बन्धी करार के मामले में फैसला किया जा रहा है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या विकास ऋण निधि द्वारा जो ऋण दिया जायेगा वह भी उसी ऋण में मिला दिया जायेगा जो कि अमेरिका में खरीद करने के लिये दिया जा रहा है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : विकास ऋण निधि के सम्बन्ध में जिस नई नीति की घोषणा की गयी है वह यही है कि यह अमेरिका में खरीद करने के लिये ही होगा। मूलतः यह टैंडर द्वारा सारे विश्व भर में खरीद के लिये था। परन्तु हमारी सुविधा के लिये उन्होंने यह कर दिया है कि इस निधि में से कुछ अंश अमेरिका में खरीद के लिये और कुछको बाहर की खरीद के लिये रखा जायेगा। परन्तु इस मामले पर निर्णय तब होगा जब हम खास शर्तों पर बातचीत करेंगे।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : विभिन्न उद्योगों से जो ब्याज दर हम लेते हैं और जो हम विश्व बैंक अथवा भारत के औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम को देते हैं, उसमें अन्तर क्या है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : भारत के औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम को जो ऋण दिया जाता है वह गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिये होता है। जो भी पार्टी ऋण लेती है वही ब्याज भी देती है।

†**श्री दामानी** : क्या विभिन्न पार्टियों को दी गयी राशि पर लिये गये ब्याज दर में कोई अन्तर होता है; यदि होता है, तो इसका क्या आधार है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इस समय विभिन्न पार्टियों द्वारा दिये जा रहे ब्याज दरों की सविस्तार सूची मेरे पास नहीं। ब्याज दर का निर्णय विभिन्न शर्तों द्वारा समय और परियोजना को देख कर किया जाता है।

†**श्री त्यागी** : भारत के औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम को दिये गये ऋण की कुल राशि क्या ह। क्या उनसे ब्याज समय पर प्राप्त हो रहा है और जो अपेक्षित ब्याज प्राप्त होता है वह ब्याज राशि विदेशों को देने वाली राशि से अधिक होती है।

†**श्री ब० रा० भगत** : किस को देनी होती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : जो हम विदेशों से ऋण लेते हैं उसके लिये हम गारण्टी देते हैं कि वसूली होती रहेगी ।

†**श्री ब० रा० भगत** : जहां तक प्रथम प्रश्न का सम्बन्ध है, इस दिशा में निगम को जो कुल राशि ऋण के रूप में दी गयी है वह इस प्रकार है : प्रथम ऋण २ करोड़ डालर का है । अब हम २ करोड़ डालर के अन्य ऋण के लिये बातचीत कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त एक ५० लाख डालर का ऋण हमें विकास ऋण निधि से प्राप्त होने की आशा है । अतः कुल मिला कर यह है । जहां तक ब्याज की दर का सम्बन्ध है, हमारे उसे देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । यह ऋण सीधे निगम को प्राप्त होता है और वह ही इसका ब्याज भी अदा करता है ।

†**श्री त्यागी** : निगम द्वारा विभिन्न उद्योगों से कुछ ब्याज दर लिया जाता है । मैं जानना चाहता हूं वर्ष वर्ष के बाद जो धन प्राप्त होता है वह ऋण के ब्याज देने के लिये काफी होता है जो कि निगम हमारी गारण्टी पर प्राप्त करता है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : निगम द्वारा पार्टियों को ऋण पूंजी नहीं दी जाती । निगम द्वारा धन समवायों के अंशों में विनियोजित कर दिया जाता है । अतः किसी पार्टी से ब्याज लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । निगम पार्टी की अंश पूंजी में भागीदार हो जाते हैं ।

†**श्री त्यागी** : निगम ऋण नहीं देता ?

†**श्री ब० रा० भगत** : जी नहीं ।

†**श्री वें० प० नायर** : विश्व बैंक तथा विकास ऋण निधि के ऋण हमें ४ से ६ प्रतिशत पर मिलते हैं, अन्य ऐसे देश भी हैं जो २ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने को तैयार हैं, क्या सरकार इस ब्याज दर को कम करने के लिए बातचीत के दौरान में प्रयत्न करती रहती है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : किससे ?

†**श्री वें० प० नायर** : विश्व बैंक से अथवा विकास ऋण निधि से ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ।

†**श्री वें० प० नायर** : भाग (ख) के उल्लेख से मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार .....

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न के दोनों भाग एक दूसरे से मिले हुए हैं । प्रश्न यह है कि क्या भारत के औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम के पिछले लिए हुए दो ऋणों की राशि खर्च कर ली है .....

†**श्री वें० प० नायर** : खण्ड (ख) क्या बातचीत .....

†**अध्यक्ष महोदय** : .....क्या अमरीका की विकास ऋण निधि और विश्व बैंक से और ऋण लेने के लिए प्रयास जारी है ? यही न ?

†**श्री वें० प० नायर** : मैं विशेष तौर पर पूछ रहा हूं कि .....

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, नहीं ।

माननीय सदस्य एक प्रश्न को ले लेते हैं और अन्य माननीय सदस्य प्रतीक्षा कर रहे होते हैं । उनको कभी बुलाया ही नहीं जाता । मेरे विचार में यह अच्छा होगा कि सारे उत्तर छाप दिये जायें ताकि आगे अनुपूरक प्रश्न न पूछने पड़ें । यदि सदन इसके पक्ष में है तो मैं इसके लिए तैयार हूं ।

†**कुछ माननीय सदस्य :** जी हां ।

†**अध्यक्ष महोदय :** ब्रिटेन की लोक-सभा में भी ऐसा नहीं किया जाता । वह ५० से ६० प्रश्न तक निबटा लेते हैं । इसमें लाभ भी है और हानि भी । यदि उत्तर छाप दिये जायें तो माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्नों के लिए तैयार हो कर आ सकते हैं । परन्तु इससे प्रश्न प्रस्तुत करने और प्रश्न पूछने का जोश नहीं रहेगा । कोई नई बात होनी चाहिए अन्यथा सब नीरस हो जायेगा । दोनों बातें हैं, मैं कुछ नहीं कहता । यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि उत्तर छापे जायें तो मैं विचार करूंगा, क्योंकि इस समय ऐसा नहीं किया जा रहा है ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** हमें प्रिंटेड आन्सर चाहिएं ।

†**श्री त्यागी :** छपे हुए उत्तरों वाली बात अच्छी रहेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों को पता है कि विवरणों की प्रतियां उन्हें दे दी जाती हैं । परन्तु अवस्था यह है कि उन पर भी विस्तार से प्रश्न पर प्रश्न पूछे जाने आरम्भ हो जाते हैं । मैं समझने में असमर्थ हो जाता हूं कि किसको बोलने की अनुमति दूं और किसको रोकूं । यह मेरी कठिनाई है । दूसरी बात यह भी है कि आखिर कितने अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दी जाये ?

†**श्री हेम बरुआ :** मुनासिब ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुनासिब तो यह है कि एक प्रश्नकर्ता को एक दो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी जाय । मैं तो सारा घंटा ही नहीं सारा दिन भी बैठने को तैयार हूं । मैं तो अनुपूरक पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देता जाऊंगा परन्तु सदन के हित की बात यही है कि कार्य को नियमित किया जाय । आप सोच कर कल बताइये कि क्या दिशा अपनाई जानी चाहिये । मामला महत्व का हो अथवा निराधार जो पहले आयेगा उसे पहले पूछा जाय । यह तो अच्छा है कि माननीय सदस्य सभी प्रश्नों को अच्छी प्रकार से देख कर और तैयारी करके आते हैं, परन्तु होता यह है कि इतना समय लग जाता है कि अन्त में महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाते हैं । अतः मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस पर विचार करें ।

इस मामले में मैं उत्तरदायी दल नेताओं का मत लेना चाहूंगा । प्रत्येक माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में चाहे कुछ न करे । मैं प्रत्येक दल के नेता को बुलाऊंगा और वे इन दो बातों के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करे । प्रथम यह कि क्या उत्तरों को छपवा कर प्रकाशित कर दिया जाय । दूसरा यह कि प्रत्येक सदस्य को कितने अनुपूरक प्रश्नों को पूछने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

†**श्री त्यागी :** आपके अधिकारों को किसी ने चुनौती नहीं दी, आप स्वयं यह निर्णय कर सकते हैं कि किस प्रश्न का कितना महत्व है और उसे कितना समय दिया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में आप ही निर्णय करने के अधिकारी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नाथ पाई उठे—

†श्री रंगा : क्या अब इस पर चर्चा होगी ?

†श्री नाथपाई : कोई चर्चा नहीं, मेरा निवेदन है कि इस मामले में सारे अधिकार अध्यक्ष को प्राप्त हैं। यदि अनुपूरक प्रश्न की संख्या सीमित कर दी गई तो प्रश्न पूछने का जो वास्तविक अर्थ है वह बेकार हो जायेगा। संख्या का प्रश्न भी आप पर छोड़ा जाना चाहिये। यदि उसे सीमित कर दिया गया तो प्रश्न पूछना ही बेकार हो जायेगा और प्रश्नों का घंटा नीरस हो कर रह जायेगा।

†श्री जयपाल सिंह : अपने दल की ओर से मेरा मत यह है कि यदि प्रश्नों के उत्तर छाप दिये जायें तो समय काफी बच जायेगा। अधिक से अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकें। पांच चार भाषाओं में उत्तर पढ़ने की कठिनाई भी दूर हो जायेगी। इससे प्रश्नों के घंटे का महत्व आगे से भी बहुत अधिक हो जायेगा।

†श्री स० मो० बनर्जी उठे—

†अध्यक्ष महोदय : आप किस दल का प्रतिनिधित्व करते हैं ?

†श्री स० मो० बनर्जी : आप स्वीकार करेंगे कि मैंने कई प्रश्न पूछे हैं और बहुत कष्ट उठाया है, यदि उत्तर छाप दिये जायेंगे तो बहुत से सदस्य जो उन उत्तरों से सन्तुष्ट हो जायेंगे और जिन्हें उन अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में कुछ पता नहीं रहेगा जो कि उसके बाद पूछे गये, वे यहां आयेंगे ही नहीं। इस प्रकार पुनः गणपूर्ति की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जायेगी।

†अध्यक्ष महोदय : श्री वें० प० नायर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

†श्री वें० प० नायर : उपमंत्री ने जिस वार्ता का उल्लेख किया है क्या उसके चलते समय, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम विदेशों से लिये गये अन्य ऋणों की अपेक्षा विकास ऋण निधि तथा विश्व बैंक को बहुत ऊंची दर में ब्याज दे रहे हैं, ब्याज की इस दर को घटाने की कार्यवाही की है ?

†श्री ब० रा० भगत : हमारे विचार से ब्याज की दर ऊंची नहीं है। उन्हें कम करने की आवश्यकता नहीं है। विश्व बैंक बाजार दर से ब्याज लेता है, क्योंकि वह भी बाजार से उधार लेकर उसमें ब्याज देता है। उसी आधार पर वह अपने ग्राहकों से ब्याज की दर वसूल करता है। विकास ऋण निधि से लिये गये ऋण पर भी ब्याज की दरें अधिक नहीं हैं। अतः उन्हें कम करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

†श्री वें० प० नायर : विकास ऋण निधि से लिये गये ऋणों और रूस से लिये गय ऋणों पर ब्याज की तुलनात्मक रकम कितनी है ?

†श्री ब० रा० भगत : दोनों दरों की तुलना नहीं हो सकती है।

†श्री वें० प० नायर : क्यों नहीं हो सकती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० रा० भगत :** क्योंकि ऋणों की शर्तों व अवधि में बहुत अन्तर है । उदाहरणार्थ रूस से ऋण १२ वर्ष के लिये लिया गया है जब कि विकास ऋण निधि से ऋण ३० से ४० वर्ष के लिये लिया गया है । पहले मामले में यह दर २ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत है दूसरे मामले में इसे ३ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत । मैं इन दोनों ऋणों की तुलना नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं एक दर को उचित और दूसरे को अनुचित नहीं समझता ।

श्री त्यागी ने भी यह प्रश्न पूछा था कि आई० सी० आई० सी० आई किस दर से ब्याज देती है । मैंने बताया था कि यह जहां तक रुपये में व्यय का सम्बन्ध है, अंशपूंजी में भी साझेदारी करती है । तथापि ये ऋण परियोजना के विदेशी मुद्रा वाले अंश की खरीद के लिये हैं । ये राशियां सहायता या ऋण के रूप में दी जाती हैं इस पर वे कुछ ब्याज लेते हैं तथापि इस दर की उस दर से तुलना नहीं की जा सकती है जिसे वे स्वयं देते हैं ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या यह ऋण किसी विशेष परियोजना के सम्बन्ध में है । यदि हां तो वे परियोजनायें कौन सी हैं । क्या भारत सरकार को यह अधिकार है कि वे इस राशि को अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में उपयुक्त कर सकती है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : सारी परियोजनायें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हैं, तथा वे सब योजना को क्रियान्वित करने के साधन मात्र हैं । क्योंकि वे योजनायें हमारे द्वारा स्वीकृत हैं अतः उस राशि को किसी अन्य कार्य में लगाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । कुछ परियोजनायें गैर-सरकारी क्षेत्र में भी हैं यथा केवल कारपोरेशन, अहमदाबाद के लिये प्रिन्टिंग एन्ड मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी, इंडियन आक्सीजन कम्पनी व अतुल प्रोडक्ट्स इत्यादि । ये परियोजनायें भी सरकार द्वारा स्वीकृत हैं ।

†**श्री दामानी** : मेरे प्रश्न का केवल आंशिक उत्तर ही दिया गया है । मैं उन उद्योगों का ब्यौरा जानना चाहता हूं जिन को यह ऋण दिया गया है तथा किसी विशेष उद्योग के लिये किस प्रकार पूर्ववर्तिता निश्चित की गई है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** मेरे पास एक सूची है । पहले ऋण के लिये १९ उद्योगों के नाम उल्लिखित हैं । यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं यह विवरण सभा पटल पर रख सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** ऐसा ही किया जाय ।

मन्त्रालयों को अनुदान

+

†*६३८. **श्री वोडियार :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री सैं० अ० मेंहदी :
श्री दामानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय किया गया है कि मंत्रालयों के लिए नियत की गई रकम में से रकम खर्च न की गई हो वह वित्तीय वर्ष के आखिर में व्यपगत नहीं होनी चाहियें ; और

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से नये सूत्र अपनाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री वोडयार** : चालू वित्तीय वर्ष में मंत्रालयों को दी गई वह राशि कितनी है जो व्यय नहीं की गई ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह राशि बजट उपस्थापित करते समय बजट प्राक्कलन में दी हुई रहती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्य ३१ मार्च १९६० में समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में जानकारी चाहते हैं । यह जानकारी बजट में मौजूद नहीं है । प्राक्कलनों में केवल व्यय का ही ब्यौरा दिया रहता है । वास्तविक व्यय सम्बन्धी आंकड़े नहीं रहते हैं । १९६०–६१ के बजट में, १९५९-६० के सम्बन्ध में संशोधित अनुमान तथा १९५८-५९ के वास्तविक आंकड़े रहते हैं । माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में वास्तविक जानकारी चाहते हैं । यह जानकारी बजट में मौजूद नहीं है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : यह जानकारी अगले बजट के साथ मिल जायेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य तत्काल जानकारी चाहते हैं । माननीय मंत्री यह कह सकते हैं कि उन के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है तथापि वे यह नहीं कह सकते हैं कि वे यह छह महीने तक प्रतीक्षा करें ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मेरे पास इस समय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है कि मिनिस्ट्रीज को ग्रान्ट्स दी जाती हैं वित्त मंत्रालय और दूसरी जगहों पर देर लग जाने की वजह से साल के अन्त में जा कर ग्रान्ट्स मिलती हैं और जिस का कि नतीजा यह होता है कि अन्त में मिनिस्ट्रीज अनाप शनाप खर्च कर डालती हैं और बाज वक्त सारा खर्चा नहीं कर पातीं तो क्या वित्त मंत्रालय कोई ऐसा प्रबन्ध कर रहा है कि इस किस्म की दुर्व्यवस्था खत्म हो जाय ?

†**श्री ब० रा० भगत** : जी हां, इस सम्बन्ध में हम ने आवश्यक सर्कुलर्स भेजे हैं कि साल के अन्त में इस तरह से जल्दबाजी में कोई खर्च न किया जाय और कोई मंत्रालय ऐसा अनाप शनाप खर्च करता है तो उस को हम फाइनेंशियल इर्रेगुलेरिटी मानते हैं । उस के लिये हम ने एक सूरत निकाली है कि बजट में भी कोई भी आइटम ऐसा न रक्खा जाय जिस के कि बारे में कोई डिटेल्ड एस्टिमेट न हो और पूरी छानबीन कर के आइटम रक्खा जाय । साल के दौरान में बाद में अगर मिनिस्ट्रीज को और खर्च की जरूरत पड़ती है तो उस के लिये हम उन को सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स की तौर पर देते हैं। अगर कोई खर्चा रह जाय और जरूरत पड़ जाय तो अगले बजट में हम उसे प्रोवमाइड कर देते हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मंत्री महोदय क्या उस सर्कुलर की एक कापी हाउस की टेबल पर रक्खेंगे ।

†**श्री दामानी** : क्या प्राक्कलन समिति द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार बजट को अक्टूबर में प्रस्तुत करने पर विचार किया जा रहा है जिस से कि मानसून इत्यादि के फलस्वरूप होने वाली अनिश्चयता न होने पावे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : वे इन राशियों के व्यपगत होने का कारण जानना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि क्या राशियों को व्यपगत होने से बचाने के लिये बजट का समय अक्टूबर में किये जाने पर विचार किया जा रहा है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : वित्तीय वर्ष को अक्टूबर में करने का कोई विचार नहीं है । जहां तक राशियों को व्यपगत होने से बचाने का प्रश्न है, हम ने इस सम्बन्ध में यह कार्यवाही की है कि किसी भी मद को बजट में शामिल करने के पूर्व उस की काफी जांच हो जाय । व्यय की प्रगति पर तिमाही जांच होती है । बड़ी मदों, जैसे पूंजी मदों के सम्बन्ध में व्यय का एक मासिक अनुमान रखा जाता है, जिस से कि वर्ष के अन्त में ही अधिकांश व्यय न किया जाय, हम प्रारम्भ से ही यह जान सकते हैं कि क्या व्यय बहुत धीमी गति से तो नहीं किया जा रहा है और राशियों के व्यपगत या अधिक्य होने की संभावना तो नहीं है ।

सीमाक्षेत्रों में असैनिक व्यक्ति

†*६३९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-क्षेत्रों में भेजे गये असैनिक कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो कितना अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है ; और

(ग) उन्हें कौन सी अन्य सुविधायें दी जाती हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क), (ख) और (ग). जम्मू और काश्मीर क्षेत्र को छोड़ कर, अन्य सीमान्त क्षेत्रों में नियुक्त असैनिक कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त भत्ता या अन्य सुविधायें नहीं दी जाती हैं । ऐसे कर्मचारियों को कुछ रियायतें तथा अन्य सुविधायें देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । मेरे विचार से माननीय सदस्य उन असैनिक कर्मचरियों का जिक्र कर रहे हैं जोकि सीमान्त क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य कर रहे हैं । वे सामान्य रक्षित इंजीनियरिंग बल के लोग हैं । उन्हें परिवहन मंत्रालय की निधि से वेतन दिया जाता है । उन्हें कुछ रियायतें दी जा रही हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : सैनिक इंजीनियरिंग सेवा के कई असैनिक कर्मचारियों ने उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में कार्य करने के लिये अपनी सेवायें अर्पित कीं । क्या मैं ऐसे कर्मचारियों की संख्या जान सकता हूं, क्या उन की प्रार्थना को स्वीकार किया गया ?

†**श्री रघुरामैया** : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि इस सम्बन्ध में पृथक प्रश्न पूछा जायेगा तो मैं यथाशक्ति उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या मैं जान सकता हूं कि सीमान्त सड़क रक्षित संगठन बनाते समय असैनिक कर्मचारियों को भी सीमान्त भत्ता देने के सम्बन्ध में निर्णय क्यों नहीं किया गया ?

†**श्री रघुरामैया** : मैं पहिले ही बता चुका हूं कि जहां तक सीमान्त सड़क निर्माण में लगे हुए असैनिक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उन्हें कुछ रियायतें दी गई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पद्म देव** : क्या यह सत्य है कि बौर्डर में जो मिलिटरी और सिविल पुलिस नात की गई है, उन दोनों के भत्ते में बड़ा भारी अन्तर है, पुलिस को मिलिटरी की अपेक्षा भत्ता कम मिलता है, हालांकि वह भी वही काम करती है जोकि मिलिटरी करती है ?

†**श्री रघुरामैया** : यह प्रश्न सेना से सम्बन्ध नहीं रखता है। यह केवल उन असैनिक कर्मचारियों से सम्बन्ध रखता है जो सड़क निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। अतः उन की पुलिस से तुलना नहीं की जा सकती है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या उन असैनिक कर्मचारियों को जोकि सीमान्त पर काम में लगे हुए हैं सीमान्त राज्यों से ही नियुक्त किया जायेगा ?

†**श्री रघुरामैया** : उन की नियुक्ति सभी स्थानों से हो सकती है।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सीमान्त क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य करने के लिये प्रधान मंत्री की अध्यक्षता और प्रतिरक्षा मंत्री की उपाध्यक्षता में एक सीमान्त सड़क विकास बोर्ड बनाया गया है, तब उन क्षेत्रों में असैनिक कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता देने के प्रश्न पर विचार क्यों नहीं किया गया ?

†**श्री रघुरामैया** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि सड़क निर्माण में लगे हुए असैनिक कर्मचारियों को कुछ रियायतें दी जा रही हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन रियायतों को पढ़ सकता हूं।

†**श्री हेम बरुआ** : मुझे इन में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन रियायतों के अलावा, वहां काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या उन को वहां जाने के एवज में कुछ सीमान्त भत्ता भी दिया जाता है ?

†**श्री रघुरामैया** : सड़कों के निर्माण में लगे हुए असैनिक कर्मचारी, जो सामान्य इंजीनियरिंग रक्षित बल के लोग हैं, उन्हें मुफ्त भोजन, बिजली तथा घरेलू जल संभरण वाली एक चारपाई वाला मकान, कर्मचारियों को निशुल्क चिकित्सा, महीने में दो बार घरों को रुपये भेजने की निशुल्क सुविधा, अधिकारियों के लिये मुफ्त वस्त्र तथा वर्दियां इत्यादि दी जाती हैं। इस के अतिरिक्त बुनियादी वेतन का २० प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता जोकि अधिकतम ३०० रु० तक हो सकता है, कुछ शर्तों के अधीन मिल सकता है यदि यह न मिले तो इस के विकल्प के रूप में विशेष प्रतिकरात्मक भत्ता मिलता है।

†**श्री मा० कृ० गयाकवाड़** : सीमान्त क्षेत्रों को भेजे गये ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है तथा सरकार ने उन्हें अतिरिक्त भत्ता देने के रूप में कितनी राशि व्यय की है ?

†**श्री रघुरामया** : इस कार्य में लगे हुए असैनिक कर्मचारियों की संख्या प्रकट करना उपयुक्त नहीं है।

†**श्री नाथ पाई** : क्या यह सच है कि यद्यपि सीमान्त सड़क विकास बोर्ड के अध्यक्ष प्रधान मंत्री हैं तथा कर्मचारियों को उक्त रियायतें भी दी जा रही हैं तो भी सड़क निर्माण कार्यक्रम अनुसूची के अनुसार नहीं चल रहा है तथा पहिले जोश के बाद इस की गति मन्द पड़ गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुरामैया :** जी नहीं ।

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** यह कहना गलत है कि काम की गति मन्द पड़ गई है । कुछ विलम्ब इस कारण हो गया था कि सड़क बनाने का एक बड़ा उपकरण उपलब्ध नहीं हो सका था, प्रथम वर्ग तथा द्वितीय वर्ग की सड़कों के सम्बन्ध में कुछ संशोधन इत्यादि भी किया गया था । मेरे सुझाव पर दूसरे वर्ग की कुछ सड़कें इस कारण छोड़ दी गई थीं कि सारा कार्य पहिले वर्ग की सड़कों पर केन्द्रित किया जा सके ।

†**श्री रंगा :** क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ये रियायतें असैनिक कर्मचारियों को बड़ी संख्या में वहां जाकर काम करने को आकर्षित करने के लिये पर्याप्त हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर किस प्रकार दे सकता हूं । हमने यथाशक्ति रियायतें दी हैं । यद्यपि मैं नहीं जानता कि वे क्या क्या है तथापि काम ठीक तरह चल रहा है तथा मुझे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । यदि कोई बड़ी शिकायत आयेगी तो हम इस मामले पर विचार करेंगे ।

हिमालय पर्वतारोहण संस्था

***६४०. श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १७ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दार्जिलिंग स्थित हिमालय पर्वतारोहण संस्था के द्वारा पर्वतारोहण को प्रोत्साहन देने के लिये जो सुविधायें देने का निश्चय किया गया था, उनके प्रचार व प्रकाशन की क्या व्यवस्था की गई है ;

(ख) अब तक किन-किन स्थानों की संस्थाओं या व्यक्तियों ने ऐसी सहायता की मांग की है ; और

(ग) उनमें से प्रत्येक को कितनी कितनी सहायता दी जा चुकी है या देने का विचार है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ऐसा एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६५]**

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, इस विवरण में बतलाया गया है कि ९ संस्थाओं ने हिमालियन माउंटेनियरिंग इंस्टीच्यूट से सहायता की मांग की थी तो उनको क्या सहायता दी गई है यह नहीं बताया गया है ?

सरदार मजीठिया : इन नौ संस्थाओं ने जो सहायता मांगी थी उसमें से एक यह थी कि जो इंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे वे उनके पास गये और इन में से दो, तीन बम्बई, सौगार और जबलपुर में कोई ३०० के लगभग जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उन से शिक्षा ली ।

श्री भक्त दर्शन : इस संस्था या इन संस्थाओं को इस इंस्टीच्यूट की ओर से जो सहायता दी जा रही है वह क्या केवल कागजी व सलाह मशविरे तक ही सीमित है या उनको कुछ रुपये की भी सहायता देने का इंतजाम किया जा रहा है ?

सरदार मजीठिया : कागजी तो नहीं है । उनको काफी मदद दी जाती है । इंस्ट्रक्टर्स भेजे जाते हैं और वे इंस्ट्रक्टर्स उनको पहाड़ों पर चढ़ना सिखाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री म० ला० द्विवेदी : ब्यान में लिखा है "कुछ अभियानों को ऐसे उपकरणों से सहायता दी गई जो हिमालय पर्वतारोहण संस्था द्वारा उपलब्ध किये जा सके।" मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक्विपमेंट्स वगैरह के लिए सरकार से कोई आर्थिक सहायता मिलती है अन्यथा यह संस्था किस प्रकार से इस काम को पूरा कर सकती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस संस्था को कई जरियों से सहायता मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की दो मिनिस्ट्रीज हैं जिनसे कि इसको सहायता मिलती है। सब में बड़ी तो डिफेंस मिनिस्ट्री सहायता देती है और दूसरी हमारी साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चुरल एफेयर्स की मिनिस्ट्री भी कुछ सहायता देती है क्योंकि उसे इन मामलों से कुछ दिलचस्पी है। वैस्ट बंगाल गवर्नमेंट कुछ अलग मुस्तकिल सहायता देती है। यह तो एक मुस्तकिल मदद है और जरा बड़ी रकम है। इसके अलावा कई और हुकूमतें जैसे आपने कहा पंजाब और कई और गवर्नमेंट्स थोड़ी बहुत सहायता देती हैं। इस तरह से उनको काफी सहायता मिलती है और वाक्या यह है कि जो उनका बजट बनाते हैं और जो कमी होती है वह सहायता भी देते हैं। इसलिए उसमें कमी का कोई सवाल नहीं है। उनको पूरा मिलता है जितनी मदद मांगते हैं उतनी ही उनको मिल जाती है। जब वे अपने सिखाने वालों को, ट्रेनर्ज़ को, भेजते हैं और किसी स्टेट में, तब यह उस स्टेट का काम है कि उन का बन्दोबस्त करे और कैम्प का ख़र्च वगैरह अदा करे।

†**श्री जयपाल सिंह** : आपकी अनुमति से मैं उक्त दोनों माननीय मंत्रियों द्वारा दी गई जानकारी में कुछ और जोड़ना चाहता हूं। अभी हाल अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् ने जनरल थिमैय्या की अध्यक्षता में एक उपसमिति नियुक्त की है, वे हिमालय पर्वतारोहण संस्था से भी संबद्ध है। उपसमिति के निर्देश-पद इस प्रकार के हैं कि उनसे विश्वविद्यालय स्तर पर, हमारी जनता, बालक तथा बालिकाओं में पर्वतारोहण के संबंध में रुचि जाग्रत की जायेगी। उदाहरणार्थ जबलपुर में बालिकाओं के लिए एक पर्वातारोहण क्लब है। हमने अखिल भारतीय परिषद् से पर्वतारोहण को प्रोत्साहन देने के लिये कहा है। उद्देश्य यह है कि इसे भारत दर्शन का एक अंग बनाया जाय तथा जहां जनता न केवल बड़े नगरों और मैदानों को देखे अपितु पर्वतों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करे तथा ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने का शौक पैदा हो।

श्री भक्त दर्शन : हमारे प्रधान मंत्री जी माउनटेनियरिंग के बारे में जो दिलचस्पी ले रहे हैं, उस के लिए धन्यवाद है और माउनटेनियरिंग इंस्टीट्यूट को बहुत रुपया दिया जा रहा है। मेरे प्रश्न का मतलब यह है कि बहुत सी संस्थायें रुपये की कमी की वजह से काम को आगे नहीं बढ़ा पा रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी स्कीम सरकार के विचाराधीन है कि इंस्टीट्यूट की ओर से, या बराहे-रास्त केन्द्रीय सरकार की ओर से, उन को सहायता दी जाये, ताकि उन का काम आगे बढ़ सके।

श्री जवाहरलाल नेहरू : और संस्थायें या माउनटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ?

श्री भक्त दर्शन : और संस्थायें।

श्री जवाहरलाल नेहरू : और संस्थाओं के बारे में मैं क्या जवाब दूं ? माउनटेनियरिंग इंस्टीट्यूट को हम पूरी सहायता दे रहे हैं। जहां तक और संस्थाओं का ताल्लुक है, वे कौन हों, कहां हों, उन को क्या दिया जाये, यह अलग सवाल है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

†*६४१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २० अगस्त १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५८१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने में दोषपूर्ण लट्ठेदार नींव (पाइल फाउन्डेशन्स) के मामले की जांच पड़ताल करने के लिये नियुक्त की गयी समिति के निष्कर्षों की जांच की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख) .इंजीनियरों के प्रतिवेदन की अभी पूरी तरह जांच नहीं की गई है । जिन परीक्षणों का समिति ने सुझाव दिया था उन्हें किया जा चुका है और उनसे कोई असंतोषजनक परिणाम नहीं निकले हैं । अन्य परीक्षण किये जा रहे हैं ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : पहिले प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह कहा था कि आयरन एंड स्टील कन्सट्रक्शन कम्पनी को किये जाने वाले भुगतान में संशोधन किया जा रहा है । इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और पुनरीक्षित प्राक्कलनों का क्या परिणाम निकला है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान २० अगस्त १९६० को दिये गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें मैं ने कहा था कि 'इसकोन' को दिये जाने वाले भुगतान में १० लाख की तदर्थ कटौती कर दी गई है। इस संबंध में अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है तथापि 'इसकोन' कम्पनी इस बात पर सहमत हो गई है कि वह अपने व्यय पर सारे सुधार संबंधी कार्य करेंगे तथा १० वर्ष तक बुनियाद के बढ़ जाने से कारखाने को जो भी हानि होगी उसे पूरा करेंगे ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने कहा है कि 'इसकोन' स्वयं अपने व्यय पर कुछ कार्य करने को तैयार हो गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस नुकसान की राशि तथा पुनर्निर्माण में होने वाले व्यय का पता लगाने में समर्थ हुई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इसे आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि वे स्वयं अपने खर्चे पर इसे ठीक कर रहे हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : भुगतान का प्रश्न श्री राम कृष्ण गुप्त के द्वारा उठाया गया था । माननीय मंत्री ने उनको कहा था कि जब तक पूरे मामले की जांच न हो जाय भुगतान नहीं किया जायेगा । जब इस नुकसान का अनुमान लगाने में ही समर्थ नहीं हुए तो हम उसे ठीक किस प्रकार कर पायेंगे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : माननीय सदस्य ने जो सामान्यतः काफी चेतन्य रहते हैं, उत्तर को सावधानी से समझने का प्रयत्न नहीं किया है । मैंने यह कहा है कि 'इसकोन' चाहे कुछ भी खराबी क्यों न हो उसे अपने खर्चे पर पूरा करने को राजी हो गई है, अतः अनुमान लगाने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है । मैंने यह भी बताया है कि उन्होंने अग्रेतर यह भी जिम्मेदारी ली है कि यदि अगले दस वर्षों के दौरान कारखानों को कोई नुकसान होगा तो वे उसे अपने व्यय से पूरा करेंगे । वे यह जानना चाहते हैं कि अगले १० वर्ष के दौरान कितनी हानि होगी । मैं आशा करता हूं कि कोई हानि नहीं होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथ पाई :** दोषपूर्ण नींव से कारखाने की समाप्ति में विलम्ब होगा और फलस्वरूप इस्पात के उत्पादन में विलम्ब होगा। हमने इसके पूर्व एक अवसर पर यह बताया था कि एक दिन का विलम्ब होने से १५ लाख रुपये का नुकसान होता है, क्या 'इसकोन' दोषपूर्ण बुनियाद के फलस्वरूप निर्माण में होने वाले विलम्ब के कारण होने वाली इस हानि को भी पूरा करेंगे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** हम सबको इस दोषपूर्ण नींव से दुख हुआ । सौभाग्य से इससे निर्माण संबंधी कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

ब्रिटेन द्वारा विदेशी मुद्रा का ऋण

+

†*६४२. { **श्री साधन गुप्त :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० के० देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने भारत को विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों का सामना करने के लिये ५० लाख पौंड का ऋण देने का निश्चय किया है ; और

(ख) क्या दूसरी अथवा तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये कोई और ऋण मिलने की आशा है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) और (ख). वित्त मंत्री की हाल की विदेश-यात्रा के बारे में २१ नवम्बर, १९६० को सभा की मेज पर उनका जो वक्तव्य रखा गया था उसके पैरा ५ और तारांकित प्रश्न संख्या ३०१ के, उसी दिन दिये गये, उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

†**श्री साधन गुप्त :** यह ऋण किस कार्य के लिये मांगा गया है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** यह ऋण किसी विशेष प्रयोजन के लिये नहीं है, यह पूंजी आयात की आवश्यकतायें पूर्ण करने के लिये काम में आयेगा ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि ब्रिटेन ने भारत को ३·०० लाख पौंड का ऋण दिया है। क्या इसे इंगलैंड की सरकार ने सहायता का बुनियादी कार्य कहा है । यदि इसे ऐसा कहा गया है तो क्या ब्रिटेन से अग्रेतर वित्तीय सहायता मिलने की भी आशा है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** तृतीय योजना के लिये ५·० लाख पौंड बुनियादी सहाता के रूप में दिया गया है, ब्रिटेन की सरकार ब्रिटेन में खरीदे जाने वाले माल के लिये ३·०० लाख पौंड का अग्रेतर ऋण देने को सहमत हो गई है। ब्रिटेन दुर्गापुर इस्पात कारखाने का प्रस्तावित विस्तार करने के लिये २ लाख पौंड और देने को सहमत हो गया है। इस प्रकार इस ऋण की राशि में भी वृद्धि की जायेगी ।

†**श्री त्यागी :** ५ लाख पौंड की राशि में से किसे अग्रिम धन के रूप में दिया गया है, कितना ऋणों की किश्तें चुकाने तथा कितना व्याज देने में कम होगा तथा इसमें से कितना व्यापार संतुलन में घाटे को पूरा करने के लिये उपलब्ध होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० रा० भगत :** इस ऋण का कुल अंश पूंजी माल के आयात करने में व्यय होगा इसमें से कोई राशि चुकाई नहीं जायेगी ।

†**श्री साधन गुप्त :** इस ऋण पर किस दर से ब्याज चुकाया जायेगा ?

†**श्री ब० रा० भगत:** माननीय सदस्य को समझौते पर हस्ताक्षर की प्रतीक्षा करनी चाहिये । समझौते में सारा ब्योरा दिया रहेगा । उसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्री दामानी :** क्या इस ऋण की शर्तें तथा निबन्धन अन्य गैर-सरकारी ऋणों की तरह है ?

†**अध्यक्ष महोदय:** वह कह चुके हैं कि समझौते की एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या भारत ब्रिटेन से तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान केवल इतनी ही राशि प्राप्त करेगा या उनसे और अधिक ऋण के सम्बन्ध में वार्ता की जा रहीं है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** इस समय हमें यही संकेत मिला है । भविष्य में हम आशा करते हैं कि हम और अधिक सहायता प्राप्त करने में समर्थ होंगे ।

कोयले से डीजल तेल का उत्पादन

+

†*६४३. { **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयले से बड़े पैमाने पर डीजल तेल का उत्पादन करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहो होता ।

†**श्री रा० च० माझी :** क्या सरकार इस प्रस्ताव को कार्यरूप देना नहीं चाहती है ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिह :** इस समय कृत्रिम पैट्रोल बनाने का कोई विचार नहीं है ।

†**श्री याज्ञिक :** क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में नियुक्त की गई समिति की यह राय थी कि अन्य प्रकार के तेलों की अपेक्षा कोयले से डीजल तेल बनाना सस्ता रहेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** सामान्यत: संश्लेषित प्रक्रिया द्वारा डीजल तेल का उत्पादन अधिक मंहगा पड़ता है । सौभाग्य से इस समिति की नियुक्ति के पश्चात्, विशेषत: उस राज्य में जहां का प्रतिनिधित्व माननीय सदस्य करते हैं, संशोधित तेल के बड़े निक्षेप मिले । हमने नहरकटिया के संशोधित तेल के आधार पर सरकारी क्षेत्र में दो शोधनशालायें भी खोलने का निश्चय किया है । अत: इस समय संश्लेषित तेल के निर्माण की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज

+

†*६४४. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज, जिसका शिलान्यास ड्यूक आफ एडिनबरा ने किया था स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या जमीन पूरी तौर से प्राप्त कर ली गयी है;

(ग) क्या निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(घ) क्या कर्मचारियों की भरती के लिये कोई कार्यवाही की गयी है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास): (क) जैसा कि सभा में ८ मार्च, १९६० को बताया गया था, कालेज अगले सत्र से चालू हो जायेगा ।

(ख) १३९ एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गई है तथा ९२ एकड़ भूमि और प्राप्त कर ली गई है तथा करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ग) विशेष प्रकार की वर्कशापों के लिये टेन्डर स्वीकार कर लिये गये हैं तथा निर्माण कार्य दिसम्बर, १९६० में आरम्भ होगा ।

(घ) हां, श्रीमान् ।

†श्री स० चं० सामन्त : इसकी स्थापना के लिये ब्रिटेन से कितनी सहायता मिलने की आशा है ?

†डा० म० मो० दास : कोलम्बो योजना के अन्तर्गत ब्रिटेन, २,५०,००० पौंड का सामान देगा । इसके अलावा १२ अध्यापक यहां पांच साल के लिये पढ़ाने के वास्ते आयेंगे ।

†श्री राघा रमण : क्या इस कालेज में इंजीनियरिंग के किसी विशिष्ट विषय की व्यवस्था की जायेगी अथवा इसमें सभी प्रकार के इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जायेगी ?

†डा० म० मो० दास : एक इंजीनियरिंग कालेज में सब प्रकार की इंजीनियरिंग पढ़ाना संभव नहीं है । इस कालेज में सिविल इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग तथा टेक्सटाइल टेक्नालॉजी के पाठ्यक्रम की व्यवस्था होगी ।

†श्री स० चं० सामन्त : इस पर पूंजी व्यय क्या होगा तथा आवर्तक वार्षिक व्यय क्या होगा ?

†डा० म० मो० दास : कुल पूंजी व्यय ३६५·२७ लाख रुपये होगा तथा संस्था के पूर्ण-रूपेण विकसित हो जाने पर , जिसकी वर्ष १९६४–६५ तक होने की आशा है, इस पर ३४·३३ लाख रुपये प्रति वर्ष आवर्तक व्यय होगा ।

†श्री रंगा : क्या यह कालेज सम्पूर्ण भारत के लिये होगा अथवा केवल केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति ही करेगा ?

†डा० म० मो० दास : यह एक अखिल भारतीय संस्था है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : इसके लिये जो भी भूमि प्राप्त की गई है, उसकी लागत क्या आई है ? क्या दिल्ली अर्जन अधिनियम के अनुसार उसकी लागत अधिक आई है या कम ?

†डा० म० मो० दास : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना मिलनी चाहिये ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : सरकार ने कितना व्यय किया है ?

†डा० म० मो० दास : इस समय मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है । यदि माननीय सदस्य पूर्व सूचना दें तो मैं उत्तर दूंगा ।

†श्री राधा रमण : इस कालेज में कितने विद्यार्थी पढ़ सकेंगे और विद्यार्थियों के प्रवेश से पूर्व क्या कोई परीक्षा ली जायेगी ?

†डा० म० मो० दास: प्रवेश परीक्षा ली जायगी और अंडर ग्रेजुयेट पाठ्यक्रम के लिये प्रतिवर्ष २०० विद्यार्थी दाखिल किये जायेंगे । जब अनुसंधान कार्य के लिये उपयुक्त अध्यापक मिल जायेंगे तब १५० अनुसंधान कर्ता विद्यार्थी भी दाखिल कर लिये जायेंगे ।

†श्री रंगा : क्या विद्यार्थियों के दाखिले के लिये चुनाव समिति के सदस्यों का चुनाव करते समय भी अखिल भारतीय दृष्टिकोण रखा जायेगा ?

†डा० म० मो० दास : इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता । कई अखिल भारतीय संस्थायें हैं और उनमें से प्रत्येक में इस बात का ध्यान रखा जाता है ।

†श्री वें० प० नायर : एक पूर्व अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि कुछ टेंडरों के बारे में अंतिम निर्णय कर लिया गया है । निर्माण कार्यों के लिये कितने के टेंडर दिये गये हैं तथा यह काम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को क्यों नहीं दिया जा सका ?

†डा० म० मो० दास : मैं प्रश्न के बाद का भाग नहीं सुन सका ।

†श्री वें० प० नायर : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सम्पूर्ण कार्य क्यों नहीं सौंपा जा सका और टेंडर क्यों मांगे गये ?

†डा० म० मो० दास : यह संस्था १८६० के संस्था पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज हुई है तथा पंजीयन की शर्तों के अनुसार एक शासक निकाय स्थापित किया गया है । यह निकाय संस्था की स्थापना के लिये सभी उपाय कर रही है ।

†श्री वें० प० नायर : क्या मैं उतर से यह समझूं कि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है ?

†डा० म० मो० दास : जहां तक संस्था का सम्बन्ध है, यह एक स्वायतशासी संस्था है ।

तीसरा वित्त आयोग

+

†*६४५. श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री आसर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तीसरे वित्त आयोग की स्थापना कर चुकी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो आयोग के सदस्य कौन कौन हैं; और

(ग) उसके निर्देशपद क्या हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) तृतीय वित्त आयोग को मास के मध्य तक स्थापित करने का विचार है ।

(ख) और (ग). सदस्यों के नाम तथा आयोग के निर्देश-पद, जो राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किये गये हैं, सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६६]**

†**श्री रा० च० झाझी** : एक निर्देश-पद है 'तृतीय पंचवर्षीय योजना की आवश्यकता' । आवश्यकता के बारे में यह सिफारिश राष्ट्रपति के पास कब भेजी जायेगी ?

†**श्री ब० रा० भगत** : काम समाप्त होने पर वे पेश कर देंगे ।

श्री म० ला० द्विवेदी : जो बयान दिया गया है, उसमें लिखा है 'तृतीय पंचवर्षीय योजना की आवश्यकता' पर भी यह कमीशन अपनी सिफारिशें देगा । चूंकि तीसरे प्लान का मस्विदा तैयार है और उस पर अमल होने वाला है, मैं जानना चाहता हूं कि ये रिकोमेंडेशंस, जो फाइव यीयर प्लान की रिक्वारमेंट्स हैं, कब तक मालूम हो सकेंगी और गवर्नमेंट उन पर कब विचार करेगी ?

†**श्री ब० रा० भगत** : वित्त आयोग ने अभी काम शुरू नहीं किया है । इसको अन्तिम रूप से तैयार करने में कुछ समय लगेगा । मुझे आशा है कि वे बहुत शीघ्र अपनी सिफारिशें पेश कर देंगे ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : विवरण में कहा गया है यह आयोग १९६२ से १९६५ तक के ४ वर्षों के बारे में सिफारिश करेगा । यदि ऐसा है, तो सिफारिशें कब प्राप्त होंगी और सरकार उन पर कब विचार कर सकेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह चार वर्षों के लिये है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इस बार यह चार वर्षों के लिये है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : सरकार द्वारा द्वितीय वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर लिये जाने के बाद विभिन्न राज्य सरकारों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए । क्या ये सुझाव तृतीय आयोग को नियत किये गये अतिरिक्त विषयों में सम्मिलित कर लिये गये हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यहां वित्त आयोग के निर्देश-पद दिये गये हैं । उसके अतिरिक्त और कुछ भी विचार के लिये सम्मिलित नहीं किया गया है ।

†**श्री आचार** : पहले आयोग की रिपोर्ट किस समय के लिये थी ? क्या वह ५ वर्षों की नहीं थी ?

†**श्री ब० रा० भगत** : हां, श्रीमान् ।

†**श्री आचार** : यदि हां, तो सरकार ने इस बार एक वर्ष कम क्यों कर दिया ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रश्न का दूसरा भाग नहीं समझ सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि जब कि पहले आयोग की अवधि पांच वर्ष थी तो इसकी चार वर्ष क्यों रखी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० रा० भगत :** द्वितीय वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश में—शायद पैराग्राफ २७ में—यह सुझाव दिया था कि वित्त आयोग जितने समय के बारे में सिफारिशें करे, वह पंचवर्षीय योजना के काल से मेल खाये। उसी के अनुसरण में हमने कहा है कि क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना कुछ महीनों बाद प्रारम्भ होगी, अतः वित्त आयोग योजना के समय तक बना रहे।

†**श्री तंगामणि :** दूसरे वित्त आयोग ने संविधान के अनुच्छेद २८० (क) और (ख) के अन्तर्गत अपनी सिफारिशें की थीं। क्या तृतीय वित्त आयोग विभिन्न राज्यों को धन के नियतन के बारे में उसकी सिफारिशों में कुछ परिवर्तन करेगा अथवा वह अपने को अनुच्छेद २६६ और २७५ के अन्तर्गत निर्देश-पदों तक ही सीमित रखेगा ?

†**श्री ब० रा० भगत :** अनुच्छेद २८० (क) और (ख) के अन्तर्गत निर्देश पद अनिवार्य हैं क्योंकि (क) का सम्बन्ध करों से है और (ख) का सम्बन्ध सहायतानुदानों से है। प्रत्येक वित्त आयोग को संविधान के अनुसार चलना पड़ता है और यह आयोग भी राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग को दिये गये कुछ निर्देश-पदों के साथ-साथ उस पर भी विचार करेगा।

†**श्री तंगामणि :** विभिन्न राज्यों को धन के नियतन के बारे में वित्त आयोग की सिफरिशों में रूपभेद करने के लिये क्या कोई निदेश दिया गया है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** उनकी सिफारिशें पांच साल तक के लिये मान्य हैं। अब, वे उससे आगे के समय के लिये सिफारिश करेंगे। उन्हें परिवर्तन नहीं कहा जा सकता।

†**श्री नाथ पाई :** पहले समाचारपत्रों में यह खबरें छपी थीं कि श्री जी० एल० मेहता आयोग के सभापति नियुक्त किये गये हैं। बाद में खबर मिली कि स्वास्थ्य के अच्छे न होने के कारण वे उस पद को ग्रहण करना नहीं चाहते। समाचारपत्रों की खबरों से मलूम हुआ कि नीति सम्बन्धी मतभेद उत्पन्न होने के कारण उन्होंने सभापति बनने से इन्कार कर दिया। क्या ऐसा नीति सम्बन्धी मतभेदों के कारण ही हुआ ?

†**श्री ब० रा० भगत :** उन्होंने स्वास्थ्य अच्छा न होने के कारण इस पद को स्वीकार नहीं किया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मेंढकों का निर्यात

†*६३५. **श्री यादव नारायण जाधव :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री आसर :
श्री कोरटकर :
श्री पु० र० पटेल :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीव-विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन के लिए मेंढकों का निर्यात करने का सरकार का विचार है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जीव-विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन के लिए भारत में छात्र कुल कितने मेंढकों का उपयोग करते हैं;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि जीव-विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन के लिए मेंढकों की कमी के कारण भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान रुक रहा है; और

(घ) काफी बड़े पैमाने पर मेंढक पैदा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) नहीं, श्रीमान्, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रखी जायेगी।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

(घ) वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय का ऐसा कोई विचार नहीं है।

गैस टर्बाइन परियोजना

†*६४६. **श्री मुरारका** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री १ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस टर्बाइन परियोजना की स्थापना के लिए स्थान के बारे में सरकार ने निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कहां होगी; और

(ग) प्रस्तावित परियोजना की क्षमता कितनी होगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) अब वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने गैस टर्बाइन अनुसंधान के लिये केन्द्र की स्थापना करने के बारे में आग्रह न करने का निश्चय किया है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये चुनाव परीक्षाएं

†*६४७. **श्री साधन गुप्त :**
श्री रामजी वर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० सी० डी० देशमुख ने १ सितम्बर, १९६० को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए भाषण देते हुए कालेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए चुनाव परीक्षाओं का समर्थन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की या भारत सरकार की नीति व्यक्त की थी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह नीति कार्यान्वित करने से पहले इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कार्यवाही की जायेगी कि केन्द्रीय सरकार की वर्ग ३ या वर्ग २ सेवाओं में या राज्य सरकारों की समान सेवाओं में भरती के लिए विश्वविद्यालय की शिक्षा एक आवश्यक शर्त नहीं रखी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नीति व्यक्त की थी जिससे भारत सरकार भी सामान्यतः सहमत है ।

(ग) सरकार का इस समय भर्ती के लिये आवश्यक योग्यता में, जिसे दिसम्बर, १९५९ में ही जारी किया गया था, परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है ।

भिलाई इस्पात कारखाने के लिये लौह अयस्क की खरीद

†*६४८. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राझड़ा और भिलाई के बीच रेल यातायात में बाधा पड़ जाने के कारण भिलाई इस्पात कारखाने की अपनी खान से अतिरिक्त अन्य संसाधनों से लौह-अयस्क खरीदना पड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो लोह अयस्क के बाजार से खरीदे जाने के कारण भिलाई इस्पात कारखाने को कितना नुकसान हुआ ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) नहीं, श्रीमान् । चालू वर्ष में नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गैस का उत्पादन

†*६४९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या सस्पात, खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैस के उत्पादन के सम्बन्ध में खम्भात, अंक्लेश्वर और ज्वालामुखी की वाणिज्यिक क्षमता का कहां तक मूल्यांकन और अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) ज्वालामुखी में कितना तेल पैदा होगा; और उसका सम्भरण क्षेत्र क्या होगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) खम्भात और अंक्लेश्वर में, गैस तेल में मिली हुई है । गैस की वाणिज्यिक सम्भावनाओं के बारे में अलग से कोई अनुमान नहीं लगाया गया ।

ज्वालामुखी में कुआं संख्या १ में दो चक्रों में सामान्य दबाव के नीचे गैस मिली है । किन्तु उसकी वाणिज्यिक सम्भावनाओं का अभी तक अनुमान नहीं लगाया जा सका है ।

(ख) ज्वालामुखी में कुआं संख्या १ में दो चक्रों में (अर्थात् ९१९—९२३ और ८७९–८९० मीटर) में प्रतिदिन ६००,००० घन फुट के उत्पादन की सम्भावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ज्वालामुखी में कुआं संख्या २ में छिद्रण कार्य जारी है। अभी तक कोई महत्वपूर्ण बात देखने में नहीं आई।

ज्वालामुखी की उत्पादन क्षमता और उसके सम्भरण क्षेत्र का अनुमान लगाने का समय अभी नहीं आया।

जर्मनी को इस्पात के पिंडों का निर्यात

†*६५०. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने पाइप बनाने के लिये रूरकेला से इस्पात पिंडों का जर्मनी को निर्यात करने के सम्बन्ध में जर्मन फर्म (Mannesmann) के साथ कोई करार किया है ;

(ख) अब तक कितने टन पिंडों का निर्यात हो चुका है; और

(ग) कितने टन रेल्ड पाइप जर्मनी से भारत को पुन: निर्यात किये गये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने मैसर्स मैन्नसमान को १०,५२० टन पाइप का आर्डर दिया है। जर्मन फर्म ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से १२,००० टन इस्पात की सिल्लियां खरीदी हैं। मैसर्स मैन्नसमान को इस्पात के डले नहीं बेचे जा रहे।

(ख) और (ग). जितनी सिल्लयों का ठेका किया गया था, वे निर्यात की जा चुकी हैं। पाइपों के सम्भरण का कार्य भी समाप्त हो चुका है।

किसानों की मोटर कार

†*६५१. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों में जापानी किसानों की मोटर कार (फार्मर्स कार) तैयार करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां तो क्या उस गाड़ी को चला कर देख लिया गया है ; और

(ग) क्या भारतीय परिस्थितियों में उसे ठीक पाया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) अभी तक ऐसा कोई निश्चय नहीं किया गया।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

केन्द्रीय प्रबन्ध संस्थायें

†*६५२. **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो केन्द्रीय प्रबन्ध संस्थायें स्थापित करने का निश्चय किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कहां ; और

(ग) वे किस प्रयोजन से स्थापित की जा रही हैं ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) और (ख) कलकत्ता में एक केन्द्रीय प्रबन्ध संस्था स्थापित करने का फैसला किया गया है । बम्बई अथवा अहमदाबाद में ऐसी एक और संस्था कायम करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) इस संस्था में प्रबन्ध व्यवस्था के बारे में उच्च शिक्षा और अनुसन्धान की सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी ।

बरहामपुर इन्स्टीट्यूट में वस्त्र प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम

†*६५३. श्रीमती रेणुका राय : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि बरहामपुर इन्स्टीट्यूट में वस्त्र प्रौद्योगिकी का उपाधि पाठ्यक्रम (डिग्री कोर्स) चालू करने के लिये होने वाले खर्च का कुछ भाग वह दे; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास): (क) जी हां।

(ख) अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् और उसकी पूर्वी प्रादेशिक समिति इस मामले पर विचार कर रही है ।

भूमापन और अनुसन्धान शाखा[१]

†*६५४. श्री कालिका सिंह : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के सर्वेक्षण विभाग के भूमापन और अनुसन्धान शाखा ने क्या क्या कार्य किये हैं; और

(ख) यह शाखा कब स्थापित की गई थी ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :(क) देश भर में त्रिकोण भूमितीय केन्द्रों की स्थापना और भूमापीय त्रिकोणों द्वारा सही सही 'बैंच' चिह्नों का अंकन, और भूमापीय तल निर्धारण तथा गुरुत्वाकर्षण शक्ति चुम्बकीय (Magnetic) और खगोल-विद्या सम्बन्धी पर्यवेक्षण, तट-रेखा के साथ साथ लहरों का निरीक्षण और स्वेज और सिंगापुर के बीच विभिन्न पत्तनों के लिये ज्वार-भाटे संबंधी भविष्यवाणियां, और इसके अतिरिक्त इन चीजों के तरीकों और प्रविधिओं को उन्नत करने के लिये व्यावहारिक अनुसन्धान ।

(ख) १८०० में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१] Geodetic and Research Branch.

एम० ई० एस० दिल्ली में दुर्घटना

†*६५५. { डा० सामन्त सिंहार :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ अक्तूबर को दिल्ली छावनी में सेना इंजीनिअरी सेवा (एम० ई० एस०) संस्थापना, इंजीनियरिंग पार्क में जब २० टन की एक क्रेन उलट गयी तब एक मजदूर मर गया और तीन बुरी तरह घायल हुए ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संस्थापना में काम करने वाले कुछ मजदूरों ने यह कहा कि कारखाने के भारसाधक पदाधिकारी ने क्रेन पर बहुत अधिक बोझ लादने का आदेश दिया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि क्रेन काफी लम्बे समय से काम में लायी जा रही थी और उसकी मशीन दोषपूण थी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले में जांच की गयी है और उसका क्या परिणाम निकला ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) ३ अक्तूबर, १९६० को एक क्रेन के उलट जाने से १ मजदूर मर गया और तीन घायल हो गये, जिसमें दो को गहरी चोटें आयीं और एक को मामूली सी चोट लगी। किन्तु क्रेन की क्षमता २० टन नहीं बल्कि साढ़े छः टन थी।

(ख) से (घ). इस मामले की जांच की जा रही है। एक स्टाफ जांच न्यायालय नियुक्त किया गया था और इस की उपपत्तियों पर उपयुक्त सैनिक पदाधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है ?

इस्पात कारखानों को कोयले की सप्लाई

†*६५६. पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या उन कोयला खानों को जो इस्पात कारखानों को कम राख की मात्रा वाला कोयला सप्लाई करती है, और बोनस देने का और उन कोयले खानों को जिनके कोयले में अधिक प्रतिशत राख होती है ; दंड देने का निश्चय किया गया है ; और

(ख) क्या इससे इस्पात कारखानों का कोयले पर होने वाला व्यय अधिक हो जायेगा, और यदि हां, तो किस हद तक ?

†इस्पात, खान और इधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) इस्पात संयंत्र को सप्लाई किये जाले वावे कोयले की किस्म में सुधार करने के उद्देश्य से कोयला खानों को प्रोत्साहन देने के लिए यह निश्चय किया गया है यदि किसी किस्म के कोयले में, निर्धारित की गयी अधिकतम मात्रा से कम राख हो, तो उस किस्म के कोयले के लिए नियंत्रित मूल्य से कुछ अधिक रकम दी जाये। इस बात पर विचार किया जा रहा है कि उन मामलों के बारे में, जिनमें सप्लाई किये जाने वाले कोयले में राख की मात्रा, अधिकतम निर्धारित मात्रा से लगातार अधिक हो, क्या कदम उठाये जायें।

(ख) इस्पात संयंत्रों में कोयले पर जो अधिक खर्चा होगा, वह अच्छी किस्म के कोयले की सप्लाई से होने वाले लाभों से पूरा हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

बजट से पहले वाद-विवाद

†*६५७. **श्री बा० च० कामले :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान प्रतिवर्ष बजट से पहले वादविवाद रखने के बारे में ब्रिटिश सरकार के निश्चय के संबंध में समाचार (२८ अक्तूबर, १९६० के टाइम्स आफ इंडिया के पृष्ठ ९ पर) की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इसी तरह का निश्चय करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सरकारी विनियोजन सम्बन्धी श्वेत पत्र को प्रस्तुत किये जाने के अतिरिक्त, ब्रिटेन में जो अन्य परिवर्तन किये गये हैं उनका सम्बन्ध प्राक्कलन समिति और लोक-लेखा समिति के कार्य करने के ढंग और उनकी रिपोर्टों पर चर्चा करने से है। ये बातें ऐसी हैं, जिन पर लोक-सभा ही विचार कर सकती है । बजट सम्बन्धी दस्तावेजों में, जो संसद् में प्रस्तुत किये जाते हैं, सरकारी विनियोजन सम्बन्धी जानकारी दी ही जाती है ।

नेवेली लिग्नाइट

†*६५८. **श्री तंगामणि :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या पूर्व जर्मन विशेषज्ञों ने यह प्रार्थना की है कि १००० टन नेवेली लिग्नाइट परीक्षण के लिए उन्हें भेज दिया जाय ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह उन्हें भेज दिया गया है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके किस तारीख तक भेजे जाने की सम्भावना है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक नहीं ।

(ग) १९६१ के मध्य में पर्याप्त मात्रा में लिग्नाइट उपलब्ध होन की सम्भावना है ।

जीवन बीमा निगम के लेखाओं की लेखा परीक्षा

†*६५९. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी जोन में जीवन बीमा निगम के ८०० कार्यालयों के लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षाकों की केवल चार संस्थाओं को ही नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या कम लेखा परीक्षकों के कारण ही वे आवश्यक लेखा परीक्षा नहीं कर सके हैं; और

(ग) क्या लेखापरीक्षकों की संख्या बढ़ाने का सरकार का विचार है ताकि लेखा परीक्षा उचित रूप से की जा सके ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) से (ग). जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जमायत इस्लामिया हिन्द का सम्मेलन

*६६०. श्री सरजू पाण्डेय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री आसर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १०, ११ और १२ नवम्बर, १९६० को जमायत इसलामिया हिन्द का एक सम्मेलन लाल किले के सामने के मैदान में हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि जमायत ऐसी किसी सरकार में विश्वास नहीं रखती जो धर्म निरपेक्ष राज्य के सिद्धान्त पर आधारित हो ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) ११ नवम्बर, से लेकर १४ नवम्बर, १९६० को जमायत इस्लामिया हिन्द के अखिल भारतीय सम्मेलन में, जो कि प्रैड मैदान में हुआ था, ऐसा कोई भाषण नहीं दिया गया बताते हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इण्डियन बैंक, मद्रास

†*६६१. श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री हेडा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास शहर में इंडियन बैंक लिमिटेड के खातेदारों ने धड़ा धड़ रुपया निकालना शुरू कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या भारत के रक्षित बैंक की आवधिक रिपोर्टों से इस बात का पता चला था ; और

(घ) उसकी वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है और क्या उसे भारत के रक्षित बैंक से किसी सहायता की आवश्यकता है ?

†**वित्त उमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) नवम्बर, १९६० के दूसरे सप्ताह में बैंक के मद्रास स्थित कार्यालयों से असाधारण रूप से रुपया निकाला गया किन्तु समाचार है कि छः दिनों के अन्दर अन्दर हालत सामान्य हो गयी थी ।

(ख) यह बताना बड़ा कठिन है कि लोगों ने किन खास कारणों से बैंक से रुपया निकालना शुरू कर दिया था ।

(ग) और (घ). रिजर्व बैंक आफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक है । बैंक से रुपया निकालने की प्रवृत्ति केवल कुछ दिनों तक जारी रही और बैंक ने रिजर्व बैंक से कोई विशेष सहायता देने का अनुरोध नहीं किया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

होम गार्ड

†*६६२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री १७ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४८४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में होमगार्डों के स्वयंसेवी दलों को संगठित करने में और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) किन किन राज्यों ने ऐसे दल संगठित किये हैं ; और

(ग) इस काम में शीघ्रता करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार) :** (क) केरल सरकार ने इस बीच होम गार्ड संगठन बनाया है । राजस्थान और उड़ीसा तथा हिमाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें इस बात के वित्तीय पहलू की जांच कर रही हैं और इसके लिए अपेक्षित विधान बनाने के लिए कार्यवाही कर रही हैं ।

(ख) महाराष्ट्र, गुजरात, मैसूर, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल तथा दिल्ली का संघ राज्य क्षेत्र ।

(ग) राज्य सरकारों को इस प्रकार के दल संगठित करने की वांछनीयता के बारे में बताया गया है ।

आयकर की बकाया राशि

†*६६३. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या वित्त मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशियों से बकाया आयकर वसूल करने के लिये आगे और क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत):** जैसाकि पहले बताया जा चुका है, आयकर अदा न करने वाले लोगों के परिसम्पद् कुर्क करा लिये गये हैं । जब उन के किसी नये परिसम्पद का पता चलता है, तो आय-कर अधिकारी उसे भी कुर्क करा लेता है । १ अक्तूबर, १९६० को बकाया राशि ११·०४ करोड़ रु० रह गई थी । अधिकांश बकाया रकमें पाकिस्तान चले जाने वाले मुसलमानों के नाम हैं ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

*६६४. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या शिक्षा मंत्री ३ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रसार कार्य में इस बीच क्या प्रगति हुई है ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस योजना के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में राष्ट्रीय सेना छात्र दल और सहायक सेना छात्र दल की अपेक्षा इसे अधिक पसन्द किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) दिल्ली के कितने स्कूलों में यह योजना अब तक आरम्भ की जा चुकी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) १९६०-६१ वर्ष के दौरान में, समस्त भारत में, १०६३ स्कूलों/संस्थाओं में, जिन में ५,७३,१०० बच्चे थे, इस योजना को लागू किया गया । चालू शिक्षा-वर्ष के प्रारम्भ से राजस्थान के ९३ स्कूलों में भी, जिन में ४८,०८९ विद्यार्थी हैं, यह योजना लागू कर दी गई है । योजना, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में भी लागू की जा रही है ।

(ख) विषय विचाराधीन है ।

(ग) किसी भी राज्य सरकार ने भारत सरकार से इस प्रकार के शब्दों में कुछ भी नहीं कहा है ।

(घ) ४५ ।

अनुसूचित बैंकों पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण

†*६६५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित बैंकों के कार्यों पर अधिक प्रभावशाली नियंत्रण के लिये रिजर्व बैंक को अतिरिक्त शक्तियां देने की योजना सरकार ने बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). सरकार इस प्रश्न पर निरन्तर विचार करती रही है और बैंकिंग कम्पनीज़ अधिनियम में समय समय पर संशोधन किये जाते रहते हैं ।

आन्ध्र में एस्बेस्टस के निक्षेप

†*६६६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **इस्पात, खान और इंधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में एस्बेस्टस का बहुत बड़ा निक्षेप पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो निक्षेप का उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) आन्ध्र प्रदेश के एस्बेस्टस निक्षेपों का बहुत देर से पता है । ये निक्षेप कुड्डापा, कुरनूल और अनन्तपुर जिलों में स्थित हैं ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश के उन इलाकों में से, जिन में से एस्बेस्टस निकलने की सम्भावना है, अधिकांश को पट्टे पर दिया जा चुका है । आन्ध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि उनका विचार

---

†मूल अंग्रेज़ी में

तीसरी योजना की अवधि में ऐसे अन्य इलाकों में खुदाई करने का है, बशर्ते कि छिद्रण-यंत्र मिल जायें। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारतीय खान विभाग का विचार विस्तृत और व्यापक अन्वेषण करने का है।

पुनर्वास वित्त निगम के छंटनी किये गये कर्मचारी

*†६६७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास वित्त निगम के जिस का समापन किया जा रहा है कुल कितने कर्मचारियों की अभी तक छंटनी की गई है ;

(ख) उन में से कितनों को रोजगार दिया गया है ; और

(ग) बाकी कर्मचारियों को रोजगार देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) और (ख). ३० जून, १९६० को, जब पुनर्वास वित्त प्रशासन के समापन की घोषणा की थी, वहां कुल ३०५ कर्मचारी थे, जिन में से ७६ कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी है। इन में से ६७ ने वैकल्पिक नौकरियां प्राप्त कर ली हैं, दो रिटायर हो गये हैं और ७ व्यक्ति स्वेच्छा से चले गये हैं।

(ग) शेष लोगों के लिये वैकल्पिक नौकरियों की व्यवस्था करने के लिये पूरी कोशिश की जा रही है।

सोने का पकड़ा जाना

†*६६८. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी .
श्री जगन्नाथ राव :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प्र० के० देव :
श्री वारियर :
श्री आसर :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के सीमा शुल्क वालों ने ८ अक्तूबर, १९६० को इटली के "एशिया" नामक जहाज से २३ लाख रुपये का अवैध सोना पकड़ा है और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वास्तविक घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) जी हां।

(ख) सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें उस घटना का ब्यौरा दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

लायड ट्रीस्टिनो का एम० वी० "एशिया" नाम का जहाज ८ अक्टूबर, १९६० को हांगकांग से बम्बई पहुंचा। जहाज के पहुंचने के कुछ घंटे बाद ही जहाज से उतरते हुए दो विदेशी (ब्रिटेन के राष्ट्रजन) हिरासत में ले लिये गये। दोनों आदमियों में से एक, मिस्टर आर० एस० सैक्सन, इस जहाज के पहले दर्जे के यात्री थे, जो हांगकांग से पोर्ट सैयद जा रहे थे। दूसरे मिस्टर टी० एल० ह्यूज, हांगकांग से हवाई जहाज द्वारा पहले ही भारत पहुंच चुके थे और जहाज पर एक मुलाकाती की हैसियत से गये थे। तलाशी लेने पर दोनों के पास से ७०४० तोला सोना बरामद हुआ। मिस्टर सैक्सन के केबिन की तलाशी लेने पर १०,२४० तोला सोना और बरामद हुआ। ये दोनों ही गिरफ्तार कर लिये गये। मिस्टर सैक्सन अपराधी ठहराये गये और उन्हें १५ महीने की कड़ी कैद की सजा दी गई। इस सिलसिले में ५ और व्यक्ति भी गिरफ्तार किये गये हैं। मिस्टर ह्यूज और कुछ दूसरे व्यक्तियों के खिलाफ अभी मुकदमा दायर नहीं किया गया है, क्योंकि तहकीकात अभी जारी है।

"कानपुर-आई" विमान

†*६६९. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्का परिवहन विमान 'कानपुर–आई' विमान को, जो कानपुर स्थित इंडियन एयर फोर्स बेस रिपेअर डीपो में तैयार किया गया है, उड़ान की योग्यता का प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस के कारण क्या हैं और कब तक इस के दिये जाने की संभावना है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त भाग (क) के उल्लिखित 'कानपुर–आई' विमान से अधिक सुधार हुआ विमान तयार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस में क्या प्रगति हुई है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि एक जेट विमान के इंजन का डिजाइन वहीं पर तैयार किया गया है और वह कानपुर में इंडियन एयर फोस बेस रिपेअर डीपो में तयार किया जा रहा है ; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) सनिक विमानों को 'उड़ान की योग्यता के प्रमाणपत्र' की आवश्यकता नहीं होती।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी हां।

(घ) बेहतर किस्म के विमान बनने शुरू हो गये हैं।

(ङ) जी हां।

(च) इस इंजन के कलपुर्जों के नमूने बनाने का काम सन्तोषजनक रूप से जारी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कालिदास समारोह

†*६७०. डा० राम सुभग सिंह : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वार्षिक कालिदास समारोह मनाने के लिये जो इस वर्ष ३० नवम्बर, १९६० को प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में पड़ता है, कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश की सरकार ने ३० अक्तूबर, १९६० को प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान भारत सरकार, राज्य सरकारों और अन्य सांस्कृतिक संगठनों के सहयोग से कालिदास समारोह का आयोजन किया था। भारत सरकार ने कालिदास समारोह समिति को इस कार्य के लिये ७५०० रु० दिये थे।

प्रभात बैंक का बन्द हो जाना

†*६७१. {श्री प्र० गं० देव :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्रभात बैंक बन्द हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) बैंकिंग कम्पनीज़ अधिनियम, १९४९ की धारा ४५ के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार ने प्रभात बैंक लिमिटेड दिल्ली को ८ अक्तूबर, १९६० से ८ जनवरी, १९६१ तक ऋण चुकाने की कानूनी मोहलत दे दी है।

(ख) बैंक को अपना काम चलाने में कठिनाई अनुभव हो रही थी इसलिये रुपया जमा कराने वालों के हितों की रक्षा करने के लिये यह मोहलत दी गई है। रिजर्व बैंक ने इस बीच इस बैंक का विलय नेशनल बैंक आफ लाहौर लिमिटेड के साथ करने की योजना तैयार की है।

अन्तर्राष्ट्रीय छात्र सदन[1] दिल्ली

†*६७२. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय छात्र सदन की बृहत्तर योजना अन्तिम रूप से तैयार करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) वह संभवतः कब तक पूरी हो जायगी ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) विश्व-विद्यालय के प्राधिकारियों की सलाह से एक नई योजना तैयार की जा रही है।

(ख) इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] International Students House.

उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी

†*६७३. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री राम शंकर लाल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी कोयले की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो यह समस्या दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). सप्लाई सम्बन्धी स्थिति में सुधार हो गया है। पिछली जुलाई में उत्तर प्रदेश को २,००८ वैगन सप्लाई किये गये थे, अगस्त में ४,४०२ और सितम्बर में ५,४०५ दिये गये थे ।

छात्रों में अनुशासन हीनता

*६७४. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री ९ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालयों के छात्रों में अनुशासनहीनता की समस्या का अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गयी अनुशासन समिति की रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ११ अक्तूबर, १९६० को छात्रों की अनुशासनहीनता पर नियुक्त समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और सामान्यतः इसे स्वीकृत किया । आयोग ने यह इच्छा प्रकट की कि रिपोर्ट की प्रतिलिपियां विश्वविद्यालयों और कालिजों को भेज दी जायें ।

सेना अधिनियम

†*६७५. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक न्यायालयों द्वारा "निरपराध" के निर्णय के पुष्टीकरण का उपबन्ध हटाने के लिए सेना अधिनियम में कोई संशोधन प्रस्तुत करने का निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). अस्थायी रूप से यह फैसला किया गया है कि सेना अधिनियम में संशोधन किया जाये ताकि सैनिक न्यायालयों द्वारा "निरपराध"

---

†मूल अंग्रेजी में

के निर्णय के पुष्टीकरण का उपबन्ध हटाया जा सके । किन्तु बिल पेश करने से पहले कुछ समय लगेगा, क्योंकि सेना अधिनियम में किये जाने वाले कुछ और संशोधनों पर भी विचार किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश में तेल सर्वेक्षण

†६७६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में तेल मिलने की कोई सम्भावना है ; और

(ख) क्या इस दिशा में कुछ प्रयत्न किये गये हैं ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) इतनी जल्दी इस विषय में कुछ कहना संभव नहीं । फिर भी, यह क्षेत्र समन्वेषी सर्वेक्षण योग्य समझा गया है ।

(ख) भूभौतिकीय समन्वेषण का कार्य हाथ में ले लिया गया है ।

भारतीय आकाश सीमा का अतिक्रमण

†*६७७. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में कितने विमानों ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर भारतीय आकाश सीमा का अतिक्रमण किया ; और

(ख) इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). १ सितम्बर, १९६० के पश्चात् काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा का दो बार उल्लंघन किया गया है । इन में से एक मामले के बारे में सैनिक अधिकारी जम्मू काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ के सैनिक पर्यवेक्षकों से बातचीत कर रहे हैं । दूसरे मामले को इसलिये नहीं लिया गया, क्योंकि वायुयान को अच्छी तरह से पहचाना नहीं जा सका था ।

भारत के लिये विकास ऋण निधि में से ऋण

†*६७८. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने चालू वर्ष के लिए और अधिक अमरीकी विकास ऋण निधि मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या सफलता मिली है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). १९६० में विकास ऋण निधि के प्राधिकारियों ने भारत को कुल २३.८१७ करोड़ डालर ऋण देना स्वीकार किया है । १९५८ और १९५९ में ऋण विकास निधि ने क्रमश: ७.५ करोड़ डालर और १२ करोड़ डालर के ऋण देना स्वीकार किया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दमदम हवाई अड्डे पर सामान की निकासी

†*६७९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि खाद्य तथा कृषि संगठन के महा निदेशक श्री बी० आर० सेन, जो १२ नवम्बर, १९६० को दमदम (कलकत्ता) पहुंचे थे, सीमा शुल्क पदाधिकारियों से अपना सामान नहीं छुड़ा सके और उन्हें बिना सामान के ही १४ नवम्बर, १९६० को कलकत्ते से दूसरी यात्रा पर जाना पड़ा ; और

(ख) यदि हां, तो अब क्या स्थिति है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) तथा (ख). श्री सेन दमदम हवाई अड्डे पर १२ नवम्बर, १९६० को पहुंचे । प्रशुल्क पदाधिकारी ने उनके सामान को तुरन्त ही पास कर दिया । श्री सेन ने प्रशुल्क पदाधिकारी को बताया कि उनके सामान का एक बंडल आने वाले दूसरे वायुयान से आयेगा । लेकिन वह बंडल भी वास्तव में उसी वायुयान से ही आया था जिससे कि श्री सेन आये थे और उसको भाड़े के सामान के रूप में दिखाया गया था । चूंकि उस माल पर यह स्पष्ट करने के लिये कोई चीज़ न थी कि यह श्री सेन का है और न ही उनकी ओर से कोई हिदायत थी कि उसे हवाई अड्डे पर रोक लिया जाये इसलिये सीधे सीमा शुल्क कार्यालय में भेज दिया गया ताकि उचित समय में उसका भुगतान हो जाये । १५-११-६० को शुल्क कार्यालय में श्री सेन के अभिकर्ताओं ने आवश्यक दस्तावेज़ दिखाये और कुछ ही मिनटों में माल उन्हें दे दिया गया ।

पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिये आवास योजना

†११६९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में १९५९-६० में अनुसूचित जातियों की आवास योजना के निमित्त कितना धन स्वीकृत किया गया था ;

(ख) क्या आवंटित धन व्यय कर दिया गया है ; और

(ग) १९५९-६० में इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिये कितने मकान बने ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) ३.३७ लाख रुपये ।

(ख) जी हां ।

(ग) ४४९

तम्बाकू समवायों का लाभ

†११७०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ के दौरान में भारत के अनागरिकों की तम्बाकू कम्पनियों ने कितना कितना लाभ कमाया ; और

(ख) उस अवधि में इन्होंने भारत से कितना कितना लाभ बाहर भेजा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) तथा (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

लाख रुपयों में

	१९५७–५८	१९५८–५९
(क) अनागरिकों द्वारा प्राप्त लाभ तथा लाभांश	१७४.८	१७१.९
(ख) भेजे गये लाभ तथा लाभांश	१३८.२	११४.५

टिप्पण : लाभ और लाभांश के प्रेषण सम्बन्धी आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर हैं परन्तु प्राप्ति के आंकड़े आवश्यक रूप में से वित्तीय वर्ष के आधार पर नहीं हैं ।

समवाय निधि के मामलें

†११७१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई १९६० से अक्तूबर, १९६० के दौरान में धोखा विरोधी दल ने समवाय विधि के अन्तर्गत कितने मामलों को लिया ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : उक्त अवधि में ४ मुकदमे दर्ज किये गये और दो पहले मुकदमों में आगे कार्यवाही की गई ।

पंजाब के संगठनों को सांस्कृतिक अनुदान

†११७२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ तथा १९५९–६० के दौरान में पंजाब के किन-किन संगठनों को सांस्कृतिक कार्यों के संवर्द्धन के लिये अनुदान दिये गये ; और

(ख) उक्त अवधि में कितनी कितनी राशि मंजूर की गई ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) तथा (ख).

संगठन का नाम	राशि
१९५८–५९	रुपये
१. इंडियन एकेडेमी आफ फाइन आर्ट्स, अमृतसर	१५,०००
२. विश्वेश्वरानन्द वैदिक गवेषणा संस्था, होशियारपुर	६३,७०७
३. जलियांवाला बाग, राष्ट्रीय स्मारक न्यास अमृतसर	२,०४,०६०
१९५९–६०	
१. विश्वेश्वरानन्द वैदिक गवेषणा संस्था, होशियारपुर	६८,३२५
२. सिख इतिहास गवेषणा विभाग, खालसा कालेज, अमृतसर	७६,०००
३. पंजाब साहित्य अकादमी, लुधियाना	८७,०००
४. जलियांवाला राष्ट्रीय स्मारक न्यास, अमृतसर	३७,४११

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रपति अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये क्षमादान

†११७३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री पांगरकर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९६० से अक्तूबर, १९६० तक (१) कितने कत्ल के मुकद्दमों में और (२) दूसरे अन्य मामलों में केन्द्रीय सरकार तथा राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान दिया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : २४ कैदियों की फांसी की सजा को घटा कर उम्र कैद दी गई और ७ अपराधियों की सजा कम कर दी गई ।

विदेशियों को जारी किये गये वीसा

†११७४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री पांगरकर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० के तीसरे पक्ष में कितने विदेशियों को भारत आने के लिये वीसा दिये गये; और

(ख) वे व्यक्ति किन-किन देशों के हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) तथा (ख). अब तक की विस्तृत जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६७**]

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों का कल्याण

†११७५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली क्षेत्र की अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कल्याण के लिये दूसरी योजना में अब तक कितना धन स्वीकृत किया गया है; और

(ख) और उसमें से अब तक कितना धन व्यय किया गया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** :(क) स्वीकृत राशि नीचे दी जाती है :—

वर्ग	राशि
(१) अनुसूचित आदिम जातियां . . .	शून्य
(२) अनुसूचित जातियां	१७.११ लाख रुपये

(ख) उपर्युक्त आवंटित राशि में से १२.१५ लाख रुपया खर्च किया गया है ।

पैट्रोल का प्रति व्यक्ति उपयोग

†११७६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में पैट्रोल का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना होगा; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इंगलैंड, अमरीका, रूस, पश्चिमी जर्मनी तथा चीन की तुलना में यहां का उपभोग किस अनुपात में है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) तथा (ख). पैट्रोल का प्रति व्यक्ति उपभोग बताना लोक हित में नहीं है। पैट्रोल समेत गैसोलीन तथा उड्डयन का उपभोग दूसरी योजना के अन्त में अनुमानतः ३ लिटर का रहा है। इंगलैंड, अमरीका, रूस, पश्चिमी जर्मनी और चीन के पैट्रोल के उपभोग की जानकारी उपलब्ध नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ, ऊर्जा के बारे में कुछ आंकड़े प्रकाशित करती रही है। देशों के अलग अलग परिभाषाओं के कारण तुलनात्मक आंकड़े देना कठिन है। कतिपय सर्वसम्मत परिभाषाओं के आधार पर (उन आंकड़ों के आधार पर नहीं जो कि दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष के लिये तैयार किये गये हैं) राष्ट्र संघ ने अपने नवीनतम प्रकाशन "वर्ल्ड इनरजी सप्लाई १९५५—५८" में १९५८ तक के आंकड़े जिनमें गैसोलीन तथा उड्डयन स्प्रिट सम्मिलित हैं दिये हैं और वे ये हैं :—

देश	गैसोलीन तथा उड्डयन स्प्रिट समेत प्रति व्यक्ति उपयोग लिटर
अमरीका	१३२५.८
इंगलैंड	२०९.९
पश्चिमी जर्मनी	१०५.१
भारत	४.१

भारत में विदेशी अध्यापक

११७७. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य-क्षेत्रों में कितने विदेशी अध्यापक काम कर रहे हैं;

(ख) इन में से कितने विदेशी अध्यापक ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा चलाई जा रही शिक्षा संस्थाओं में काम कर रहे हैं और क्या सरकार के पास उनके राज्यवार आंकड़े हैं; और

(ग) क्या सरकार ने विदेशों से ऐसे अध्यापकों की सेवायें प्राप्त करने के बारे में कोई नीति निर्धारित की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) ४० ।

(ख) (१) २३ ।

(२) विभिन्न केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा चलाई जा रही शिक्षा संस्थाओं में विदेशी अध्यापकों की संख्या इस प्रकार है :—

त्रिपुरा	१
मनीपुर	२
दिल्ली	२०

(ग) विदेशी अध्यापकों की सेवायें प्राप्त करने की प्रत्येक प्रार्थना पर सम्बन्धित अधिकारियों के साथ परामर्श करके योग्यतानुसार निर्णय किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियां और आदिम जातियां

†११७८. श्री पांगरकर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के आयुक्त ने १९५९–६० में मध्य प्रदेश में कितनी बार दौरा किया; और

(ख) वह किन-किन स्थानों पर गये ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) छः बार।

(ख) मांडला, कुमादेही, वैहर, तांतोला, जबलपुर, कालपी, गौरावी, ग्वालियर, मेघपुर, तामियां, छिन्दवाड़ा, भोपाल, रायपुर, परसगांव, बोरगांव, बस्तर, जगदलपुर, श्यामगढ़ और अवांध।

स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की संक्षिप्त जीवनी

११७९. श्री खुशवक्त राय : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की संक्षिप्त जीवनी की कोई निर्देशिका प्रकाशित करने जा रही है;

(ख) यह कब तक प्रकाशित हो जायेगी;

(ग) क्या इस निदशिका में स्वतंत्रता संग्राम के सब सैनिकों की जीवनियां दी जायेंगी; और

(घ) इन जीवनियों को संकलित करने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास): (क) भारत सरकार, राज्य सरकारों द्वारा उनकी बाबत "हू इज हू" छापे जाने का प्रोत्साहन दे रही है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था।

(ख) प्रकाशन के लिये कोई निश्चित तारीख मुकर्रर नहीं की गई क्योंकि प्रकाशन राज्य सरकारों द्वारा सूचियों के पूरे किये जाने पर निर्भर हैं।

(ग) उन सभी लोगों को इस प्रकाशन में स्थान मिलेगा जिन्होंने राष्ट्रीय संग्राम में कष्ट सहे हैं और जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध है।

(घ) राज्य सरकारों से कहा गया है कि जहां तक उनका सम्बन्ध है, व अपने अपने "हू इज हू" प्रकाशित करने की कार्रवाई करें। जब सभी राज्य सरकारों के पास आधारभूत सामग्री हो जायेगी, तब भारत सरकार सब की एक सूची छापने के सवाल पर ग़ौर करेंगी।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम

†११८०. श्री वी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ मई, १९६० से २ मई, १९६० तक दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम १९५९ के अधीन किराया नियंत्रक की अदालत में कुल कितने मुकद्दमे दायर हुए और उनमें से कितने मुकद्दमों में :—

(१) कितने मुकद्दमे मकान मालिकों और किरायेदारों ने दायर किये;

(२) कितने मकान मालिकों ने किरायेदारों की बेदखली के लिये किये;

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) कितनों में मकान मालिकों ने यह कहा कि उन्हें अपनी आवश्यकता के लिये मकान चाहिये ;

(४) किरायेदारों ने प्रामाणिक किराया निश्चित कराने के लिये कितने मुकद्दमे दायर किये; और

(५) कितने नये बेचे गये मकानों के बारे में बेदखली के दावे दायर हुए ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : कुल दावे ३०२० ।

(१) (क) मालिक मकान १६२४

(ख) किरायेदार १३९६

(२) १५९९

(३) २७८

(४) ३३९

(५) ५

पंजाब विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक अनुसंधान

†११८१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब विश्वविद्यालय तथा उसके अन्य कालिजों को वैज्ञानिक गवेषणा के लिये पिछले तीन वर्षों में किस प्रकार की सहायता दी गई ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): जानकारी एकत्रित की जा रही है और उचित समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

स्क्रैप

†११८२. **श्री कुन्हन** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८, १९५८–५९ तथा १९५९–६० के दौरान कितना अलौह धातु स्क्रैप बचा गया ।

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया): उक्त वर्षों के दौरान में बेचे गये स्क्रैप की मात्रा इस प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा (टनों में)
१९५७–५८	१५२१
१९५८–५९	९३२
१९५९–६०	१२३४

उपर्युक्त टनभार के अलावा कुछ अन्य प्रकार का स्क्रैप जिसका हिसाब संख्याओं में रखा जाता है, भी बेचा गया । १९५८–५९ के दौरान में २१५३ और १९५९–६० के दौरान १६२६ चीजें बेची गईं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब के लिये लोहा और इस्पात

†११८३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८, १९५८–५९ और १९५९–६० में कितने लोहे और इस्पात की पंजाब को जरूरत थी,

(ख) केन्द्र द्वारा कितना माल भेजा गया; और

(ग) मांग पूरी न करने का कारण क्या था ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६८]**

(ग) इस्पात का उत्पादन कम रहा है और विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण आयात भी कम किया गया है। इस कारण पंजाब तथा अन्य राज्यों की मांग को पूरा नहीं किया गया है। अब उत्पादन की वृद्धि के कारण स्थिति बदली है किन्तु चादरों और तार के मामलों में अब भी कमी है।

युद्धास्त्र कारखानों में मोटर साइकिलों का निर्माण

†११८४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री ११ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान के सहयोग के साथ युद्धास्त्र कारखानों में मोटर साइकिल बनाने की बात में कुछ प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) तथा (ख). इस योजना में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

उड़ीसा में योग्यता व साधन के आधार पर दी जाने वाली छात्रवृत्तियां

†११८५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ के दौरान में उड़ीसा की टैक्नीकल संस्थाओं को योग्यता व साधनों के आधार पर कितनी कितनी छात्रवृत्तियां दी गईं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : योग्यता व साधनों के आधार पर दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

उत्कल विश्वविद्यालय के प्राध्यापक

†११८६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्कल विश्वविद्यालय के सांख्यकीय, मनोविज्ञान, दर्शन तथा राजनीति शास्त्र के प्राध्यापकों के वेतनों की अदायगी करने का निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किया है;

(ख) क्या आयोग ने ऐसे प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिये कोई प्रक्रिया निश्चित की है; और

(ग) और यदि हां तो क्या उत्कल विश्वविद्यालय में नियुक्तियां करते समय उस प्रक्रिया का पालन हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दूसरी योजना के अन्तर्गत उत्कल विश्वविद्यालय में सांख्यकीय, मनोविज्ञान, दर्शन तथा राजनीति शास्त्र के अध्यापकों के पदों की नियुक्ति की स्वीकृति दी है और उनके वेतनों का खर्चा आयोग तथा विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को आधा आधा देना होगा। विश्वविद्यालयों ने अभी तक आयोग को नियुक्तियों की सूचना नहीं दी है।

(ख) और (ग) यद्यपि आयोग ने प्राध्यापकों की नियुक्ति के बारे में कोई विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित नहीं की क्योंकि प्रत्येक विश्वविद्यालय की अपनी व्यवस्था होती है। परन्तु तब भी विभिन्न वर्गों के लिये आयोग ने अर्हताएं निर्धारित की हैं।

आयोग अनुदानों की स्वीकृति से पहले नव-नियुक्त प्राध्यापकों की अर्हताओं का परीक्षण निर्धारित शर्तों को सामने रख कर कर लेता है परन्तु इस मामले में जैसा कि पहले कहा गया है विश्व-विद्यालय ने उन पदों की पूर्ति के बारे में आयोग को अभी तक सूचना नहीं दी है।

उड़ीसा खनन निगम

†११८७. श्री पाणिग्रही : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २२ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा खनन निगम को, उन शेडों के लिये अग्रेतर खनन पट्टे दे दिये गये हैं, जिनके लिये उसने प्रार्थनापत्र दिया था; और

(ख) यदि हां, तो अब तक उनको किन क्षेत्रों में और खनन करने के पट्टे दिये गये हैं ?

†खान और तेल मंत्री (श्री क० दे० मालवीय) : (क) और (ख). उड़ीसा खनन निगम को सुन्दरगढ़ जिले के बोनाई सब-डिवीजन में फुलीहारी, चोडा और सरायकेला गांवों में २०१० से अधिक एकड़ में मैंगनीज और लोहा अयस्कों के लिये केवल एक खान का पट्टा दिया गया है।

लौह अयस्क खानों का विकास

†११८८. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही: क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ नवम्बर, १९६० तक क्रमश: बारसुआ, किरिबुरु और बोलानी खानों का विकास करने में अब तक कितनी राशि लगाई गई है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : बारसुआ : खानों का मशीनीकरण का काम प्राय: पूर्ण हो चुका है। इस पर अब तक ७·४ करोड़ रुपये का कुल व्यय हुआ है।

किरिबुरु : किरिबुरु पर काम अभी आरम्भ हुआ है और खानों पर अब तक लगभग ७५ लाख रुपये खर्च हुए हैं।

बोलानी : इन खानों का विकास बोलानी अयस्क (प्राइवेट) समिति कर रही है जिसमें भारत सरकार का ५०·५० प्रतिशत अंश है। और ४९·५ प्रतिशत अंश उड़ीसा खनिज विकास कम्पनी के हैं। सरकार ने अभी तक बोलानी अयस्कों में ३५·३५ लाख रुपये लगाये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्त्रियों और लड़कियों का अनैतिक-पण्य दमन अधिनियम, १९५६

†११८९. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री २४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तब से, स्त्रियों और लड़कियों का अनैतिक-पण्य दमन अधिनियम, १९५६ के कार्यान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के सुझावों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम हुआ है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) और (ख). सरकार सुझावों के बारे में कुछ राज्य सरकारों के विचारों की प्रतीक्षा कर रही है ।

शिक्षा का स्तर

†११९०. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री २४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिये प्रतियोगता करने वाले अभ्यर्थियों की शिक्षा और सामान्य ज्ञान के स्तर की कमी को रोकने के लिये शिक्षा मन्त्रालय के साथ संघ लोक सेवा आयोग ने जो बातचीत की थी उसमें क्या अग्रेतर प्रगति हुई है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विभिन्न राज्य सरकारें इस समस्या पर विचार कर रहे हैं और इसे हल करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है । अधिकांश दूसरी शिक्षा सम्बन्धी सुधारों के समान इस दिशा में किये गये अनेक प्रयत्नों का परिणाम केवल कुछ समय के पश्चात् दिखाई देगा ।

राष्ट्रीय सेना छात्र दल का विस्तार

†११९१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री २४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय सेना छात्र दल के द्वारा देश के अधिकतम युवकों को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिये जिन उपायों का विचार किया जा रहा था, उन्हें कार्यान्वित करने के बारे में आद्यतन प्रगति क्या हुई है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : अगस्त, १९६० से, निम्न प्रगति की गई है :—

(१) राष्ट्रीय सेना छात्र दल :

किसी और इकाई की मंजूरी नहीं दी गई, परन्तु इस सम्बन्ध के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(२) राष्ट्रीय सेना छात्र दल राइफल :

१५ नवम्बर, १९६० तक, लगभग १६३०० कैडिटों की वृद्धि हुई है और कुल संख्या १,१६,५०० हो गई है ।

(३) पदाधिकारी प्रशिक्षण यूनिट :

---

†मूल अंग्रेजी में

१५ नवम्बर, १९६० तक, ४० कैडिटों की वृद्धि हुई है, और कैडिटों की कुल संख्या १५६ हो गई है। ४५० नये प्रार्थना पत्र आये हैं और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा इन प्रार्थियों के इण्टरव्य की व्यवस्था की जा रही है।

(४) सहायक सेना छात्र दल :

अक्तूबर १९६० के अन्त तक २०५१० कैडिट और बनाये गये हैं, और १९६०–६१ में भरती किये गये कैडिटों की कुल संख्या ३३५१० हो गई है और भर्ती जारी है।

भाषा विज्ञान का विकास

†११९२. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रादेशिक आधार पर भाषा विज्ञान के विकास का कोई कार्यक्रम बनाया है :

(ख) यदि हां, तो उस के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं ;

(ग) क्या प्रादेशिक ग्रुप अन्तिम रूप से बना दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रश्न की जांच करके सिफारिश करने के लिये एक समिति नियुक्त की है। समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

सहकारी उद्योगों के लिये मध्यम-कालीन ऋण

†११९३. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री १७ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८२४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिजर्व बैंक ने सहकारी उद्योगों के लिये मध्य-कालीन ऋणों के बारे में तुलनात्मक वर्तमानों मानो संबंधी विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम हुआ है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). सहकारी ऋण संबंधी मेहता समिति द्वारा सहकारी बैंकों को मध्यकालीन ऋणों की सीमा के वर्तमान मानों में नर्मी लाने के बारे में की गई सिफारिश को रिजर्व बैंक सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है। अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अमरीकी ऋण

†११९४. {श्री प्र० चं० देव :
{श्री झूलन सिंह :

क्या वित्त मंत्री अमरीकी ऋण की वस्तुओं सम्बन्धी ९ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २५३० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन को य रुपया निधियां ऋणों के तौर पर दी गई हैं ; और

(ख) व्यापार फर्मों और उनकी भारतीय संबद्ध फर्मों के लिये अब तक कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). अतारांकित प्रश्न संख्या २५३० के उत्तर से संलग्न विवरण में दी गई ५०६ ' ६३ करोड़ रुपयों की राशि भारत सरकार को ऋण के तौर पर दिये जाने के लिये रखी गई है और पंचवर्षीय योजना की योजनाओं पर खर्च किये जाने के लिये है। केवल २६ ' १९ करोड़ रुपये की राशि पुनर्वित निगम को देने के लिये रखी गई है और इसमें से ५ करोड़ रुपये की राशि उस निगम को ऋण के तौर पर दी जा चुकी है । प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर यह है कि अमरीकी व्यापार फर्मों और उनकी संबद्ध भारतीय फर्मों को ऋण देने के लिये रखी गई राशि में से अमरीका के निर्यात तथा आयात बैंक ने निम्न ऋण अनुमोदित किये हैं :—

फर्म का नाम	मंजूर ऋण की राशि
	रुपये
१. मैसर्स ओटिस ऐलीवेटर कम्पनी	१०,००,०००
२. मैसर्स गुडइयर टायर ऐंड रबर कम्पनी आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	२,२५,००,०००
३. मैसर्स मैसूर सीमेंट लिमिटेड .	५५,००,०००
४. मैसर्स सिंथैटिक ऐंड कैमिकल्स लिमिटेड .	३,९२,००,०००
५. मैसर्स हिन्दुस्तान अलमोनियम कार्पोरेशन लिमिटेड	१,००,००,०००
६. मैसर्स मेर्क शार्प ऐंड धोमे आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	५०,००,०००
७. मैसर्स ऐक्स-सैल-ओ कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	२०,००,०००
८. मैसर्स संगसयी ब्रादर्स . .	२,००,००,०००
९. मैसर्स प्रीमियर टायरज़ लिमिटेड बंबई .	३०,००,०००
१०. मैसर्स लीडरले लेबोरेटरीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	२५,००,०००
कुल	११,०७,००,०००

छावनी कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण

†११९५. श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्ड कर्मचारियों ने राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पंचाट का विरोध किया है ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो उन की क्या विशिष्ट मांगें हैं; और

(ग) सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) जी हां। अखिल भारतीय छावनी बोर्ड कर्मचारी फेडरेशन, छावनी बोर्ड कर्मचारी यूनियन, फीरोजपुर छावनी और सिकंद्राबाद छावनी नगरपालिका मजदूर संघ ने राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पंचाट का विरोध किया है।

(ख) कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित वेतन-क्रमों का शोधन किया जाना चाहिये और पूरी शक्तियों वाला वेतन आयोग इस काम के लिये नियुक्त किया जाना चाहिये।

(ग) क्योंकि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का पंचाट छावनी बोर्डों और उनके कर्मचारियों पर पहले पहल, एक वर्ष के लिये बाध्य होना है, केन्द्रीय सरकार द्वारा उन मांगों के बारे में, जिन का न्यायाधिकरण द्वारा न्याय निर्वाचन किया जा चुका है, कोई कार्रवाई करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रतिरक्षा मंत्रालय के कर्मचारी

११९६. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ९ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २४५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों और सशस्त्र सेना मुख्यालय के असैनिक कर्मचारियों को एक ही वर्ग में मिला देने का जो प्रश्न विचाराधीन था, उसके बारे में क्या निर्णय किया गया है?

रक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : प्रतिरक्षा मंत्रालय के सुझाव अभी गृह मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

११९७. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय कितने पाकिस्तानी बिना पारपत्र के अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं क्या इसका पता लगा लिया गया है;

(ख) क्या इनमें से कुछ राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियों में भाग लेने के लिये पकड़े गये हैं; और

(ग) क्या सरकार इस प्रकार के व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुछ कड़े पग उठाने जा रही है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग) सूचना का एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

भारत म पाकिस्तानी राष्ट्रजन

पंजाब के अतिरिक्त, जिनका उत्तर अभी आना है, सूचना निम्न प्रकार है :—

(क) इस समय कितने पाकिस्तानी बिना पारपत्र के अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं क्या इसका पता लगा लिया गया है;

(क) जी हां। १ सितम्बर, १९६० को ऐसे व्यक्तियों की संख्या ५४३० थी।

---

†*मूल अंग्रेजी में*

(ख) क्या इनमें से कुछ राष्ट्र-विरोधी कार्य-वाहियों में भाग लेने के लिये पकड़े गये हैं ; और

(ख) जी हां । तीन व्यक्ति ।

(ग) क्या सरकार इस प्रकार के व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुछ कड़े पग उठाने जा रही है ?

(ग) ऐसे मामलों में पहले ही उचित कार्यवाही की जा रही है ।

विशिष्ट अनुतोष अधिनियम[1]

†११९८. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **विधि** मंत्री २९ अगस्त १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम संबंधी विधेयक बनाने और प्रस्तुत करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : विशिष्ट अनुतोष संबंधी विधेयक की संसद् के चालू सत्र में प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ।

कलकत्ता में संग्रहालय

†११९९. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २० अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११२६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में बिड़ला औद्योगिक और प्रौद्योगिकीय संग्रहालय का विस्तार करने की योजनाएं तैयार की कर ली गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां ।

(ख) निम्न सात गैलरियों में संग्रहालय का विस्तार करने का विचार है :

(१) मोटिन पावर
(२) परिवहन
(३) खान तथा मैटेलरजी
(४) डाक–संचार
(५) बिजली
(६) लोकप्रिय विज्ञान
(७) टैलीविजन और इलैक्ट्रौनिक्स ।

डाक-संचार की गैलरी १९६० में स्थापित की जाएगी । कर्मचारी वृन्द में भी उचित वृद्धि की जाएगी । यदि धन की उपलब्धता हुई तो भावी विस्तार को जगह देने के लिये कई मंजिला इमारत को प्रकमों में बनाने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Special Relief Act.

डिफेंस कालोनी में बच्चे की हत्या

†१२००. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री ३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डिफेंस कालोनी में एक तीन वर्ष के बच्चे की हत्या के मामले में की गई जांच का क्या परिणाम हुआ है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: जांच पूरी होने वाली है और शीघ्र ही न्यायालय में अपराधी के विरुद्ध मामला दर्ज किया जाएगा ।

अमरीका का कृत्रिम उपग्रह

†१२०१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जब अमरीका का अगला कृत्रिम उपग्रह आकाश में छोड़ा जायगा तो अमरीका द्वारा अन्य देशों के साथ भारत को निमंत्रित किया जा रहा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : हमें कोई जानकारी नहीं है ।

बन्दूकें

†१२०२. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध फैक्टरियों में असैनिक उपयोग के लिये तैयार की उई कितने प्रतिशत बन्दूकें आयात किये गये पुर्जों से बनाई जाती हैं;

(ख) असैनिक उपयोग के लिये आयुध फैक्टरियों में पहली बार तैयार की गई बन्दूकों का क्या मूल्य निश्चित मिया गया था ?

†**प्रतिरक्षा उप मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) असैनिक उपयोग के लिये आयुध फैक्टरियों में तैयार की गई बन्दूकों के सब पुर्जे भारत में बनाये जाते हैं ।

(ख) विवरण संलग्न है [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६६]

युगोस्लाविया से बिजली के सामान की खरीद

†१२०३. { **श्री मोरारका** :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या वित्त मंत्री ४ अगस्त १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया से बिजली का सामान और मशीनरी खरीदने की संभाव्यता बनाने के लिये जो प्रतिनिधिमंडल वहां गया था, उस ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन की सिफारिशें क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जी नहीं । प्रतिनिधिमंडल का प्रतिवेदन भारत सरकार को यूगोस्लाव ऋण के अन्तर्गत पोषित होने वाली विकास परियोजनाओं के लिये सामान चुनने के हेतु गोपनीय सूचना देने के लिये है । इसलिये इस में क्या लिखा है यह बताया नहीं जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विद्युत परियोजनायें

†१२०४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि एक विकास ऋण निधि प्रतिनिधि मंडल भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित पांच विद्युत् परियोजनाओं के आकार और क्षेत्र का अध्ययन करने के लिये था भारत आया ;

(ख) यदि हां, तो उन के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) क्या परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा लागत को पूरा करने के लिये विकास ऋण निधि से कितनी सहायता की प्रतिज्ञा की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) से (ग). विकास ऋण निधि के तीन अधिकारी २५ सितम्बर और १२ अक्तूबर १९६० के बीच भारत आये थे। उन्हों ने वित्त, वाणिज्य तथा उद्योग, रेलवे, सिंचाई और बिजली, और इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालयों के साथ, पहले किये गये ऋण करारों या घोषित किये गये ऋणों से अधिकतर संबंधित मामलों पर चर्चा की। उन्हों ने चालू विकास कार्यक्रमों के पहलुओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। वे सामान्य दौरे पर थे। निष्कर्षों या प्रतिज्ञाओं का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विदेश भेजे गये सशस्त्र सेना के अफसर

१२०५. **श्री पद्म देव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९६० से नवम्बर, १९६० तक भारतीय जल, स्थल और वायु सेना के कितने अफसर प्रशिक्षणार्थ विदेश भेजे गये ; और

(ख) कितने विदेशी सैनिक अफसर भारत में भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं ?

प्रतिरक्षा उप मंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) २० सैनिक, ७ नौसेना के और २४ वायुसेना अधिकारियों को, जनवरी से नवम्बर १९६० तक प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजा गया था।

(ख) कोई भी नहीं।

केरल के बैंक

†१२०६. **श्री वारियर :**
श्री म० क० कुमारन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने केरल राज्य के बैंकों के साथ, विलय के तरीके के द्वारा सुस्थिर बैंक स्थापित करने की दृष्टि से कोई बातचीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) पलाई सैंट्रल बैंक लि० के एक अस्थायी परिसमापक पदाधिकारी की नियुक्ति होने के पश्चात् रिजर्व बैंक के एक कार्यपालक निदेशक ने केरल में बैंकों की स्थिति को आंकने के लिये वहां के कुछ बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) बातचीत प्रयोजनात्मक और अनौपचारिक थी और बैंकों के विलय संबंधी किसी विशिष्ट योजना पर चर्चा नहीं की गई ।

मुद्रा का विस्तार

†१२०७. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८ के लिये १०० को सूचक अंक मान कर पिछले तीन वर्षों में भारत में मुद्रा विस्तार के क्या सूचक अंक हैं ;

(ख) इस विस्तार के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार मुद्रा का और विस्तार करने का विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उस का क्या कारण है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जारी मुद्रा के वर्तमान आंकड़ों के साथ तुलना किये जाने वाले आंकड़े केवल राजकोषीय वर्ष १९४८-४९ के अन्त से उपलब्ध हैं, १०० को १९४८-४९ के अन्तिम शुक्रवार का सूचक अंक मान कर पिछले कुछ वर्षों में जनता के पास मुद्रा के सूचक अंक इस प्रकार हैं :

अन्तिम शुक्रवार	सूचक अंक
१९५६–५७	११८
१९५७–५८	१२२
१९५८–५९ . . . . :	१३१
१९५९–६०	१४२

(ख) मुद्रा विस्तार के बहुत से कारण हैं , जिन में मुख्य यह है कि उत्पादन, व्यापार और आर्थिक गतिविधि में वृद्धि हुई है ।

(ग) तथा (घ) सरकार की नीति यह है कि जनता में इतनी मुद्रा का विस्तार होने दिया जाय जितनी प्रगतिशील आर्थिक व्यवस्था में कृषि उद्योग और व्यापार की वैध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जरूरी है ।

इस्पात संयंत्रों को कोयले का संभरण

†१२०८. **श्री कालिका सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जिस प्रकार दुर्गापुर, भिलाई और रूरकेला लोहा और इस्पात कारखानों में कोयला और रेल के मालडिब्बों के संभरण की कमी रही थी उसी प्रकार लोहा और इस्पात के तीन उत्पादकों अर्थात् टाटा लोहा और इस्पात कम्पनी, इंडियन लोहा और इस्पात कम्पनी तथा मैसूर लोहा और इस्पात कारखानों के लिये भी इन की उतनी ही कमी रही ; और

(ख) उपरोक्त परियोजनाओं में कितनी कितनी कमी थी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जून, जुलाई, और अगस्त १९६० के महीनों में कार्यक्रम से इतना कम माल आया था ।

टाटा लोहा और इस्पात कम्पनी समिति :

	टन
जून, १९६०	४५,७००
जुलाई, १९६०	३७,४००
अगस्त, १९६०	२५,५००

इंडियन लोहा और इस्पात कम्पनी समिति :

जून, १९६०	४९,४००,
जुलाई, १९६०	६६,८००
अगस्त, १९६०	४७,८००

मैसूर लोहा और इस्पात कारखाना :

जून, १९६०	२,०००
जुलाई, १९६०	२,१००
अगस्त, १९६०	३,२००

रूरकेला इस्पात परियोजना :

जून, १९६०	४००
जुलाई, १९६०	४८,३००
अगस्त, १९६०	१८,५००

भिलाई इस्पात परियोजना :

जून, १९६०	१५,८००
जुलाई, १९६०	१४,७००
अगस्त, १९६०	१६,५००

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र :

जून, १९६०	३७,६००
जुलाई, १९६०	४२,४००
अगस्त, १९६०	४६,८००

जीवन बीमा निगम द्वारा बोनस

†१२०९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने अपने तथा पुरानी इकाइयों के जीवन-व्यापार पर ३१ दिसम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये बोनस घोषित कर दिये हैं ; और

(ख) क्या इस विलम्ब के कारण बहुत सी पालिसियां व्यपगत हो गई हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में विदेशियों की सम्पत्ति

†१२१०. श्री हेम राज : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में १९५७ से १९६० तक विदेशियों ने कितनी और कितने मूल्य की सम्पत्ति खरीदी है ; और

(ख) क्या उन विदेशियों ने भारतीय नागरिकता के अधिकार प्राप्त कर लिये हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पंत) : (क) २,५१,५०० रुपये लागत की दस सम्पत्तियां।

(ख) जी, नहीं ।

मंत्रियों के काश्मीर के दौरे

†१२११. श्री सुविमन घोष : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई केन्द्रीय मंत्री मई और जून, १९६० में किसी समय काश्मीर रूपेत पहाड़ी स्थानों पर सरकारी काम के लिये गया था ;

(ख) यदि हां,

(१) वे मंत्री कौन हैं ;

(२) उनके दौरे का क्या प्रयोजन था ;

(३) भारत सरकार का कितना खर्च हुआ ;

(४) वे जिस स्थान पर गये वहां कितने दिन ठहरे ; और

(५) वे कहां ठहरे ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

महालेखापाल कार्यालय, ग्वालियर

१२१२. श्री रा० च० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) महालेखापाल (एकाउन्टेंट जनरल), ग्वालियर के कार्यालय के उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने १२ और १३ जुलाई, १९६० को हड़ताल की थी ;

(ख) क्या सरकार कुछ कर्मचारियों को नौकरी से अलग करने तथा पदावनति करने की कार्यवाही करने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है और यदि हां, तो उन के विरुद्ध कौन से विशेष आरोप लगाये गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि जिन कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन संबंधी कार्यवाही की जा रही है उन सब ने हड़ताल में भाग लेने पर खेद प्रकट किया है और प्रशासन के प्रति वफादार रहने का आश्वासन दिया है,; और

(घ) क्या यह सच है कि अन्य स्थानों पर महालेखापाल के कार्यालयों में हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध इतनी कड़ी कार्यवाही नहीं की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पांच व्यक्तियों को बरखास्त कर दिया गया या नौकरी से हटा दिया गया और १४ व्यक्तियों को दूसरे दण्ड दिये गये। इनमें उन दो अस्थायी कर्मचारियों के मामले शामिल नहीं हैं जिनकी नौकरी केन्द्रीय असैनिक सेवा (अस्थायी सेवा) नियम १९४९ के अनुसार समाप्त कर दी गयी थी।

(ख) अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के पास और कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(ग) मांगी गई सूचना इकडट्ठी की जा रही है और उसे मिलते ही, सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

(घ) दूसरे महालेखापालों (एकाउन्टेंट-जेनरलों) के कार्यालयों में भी उसी प्रकार के दण्ड दिये गये हैं जिनका जिक्र प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में किया गया है।

हायर सैकेंडरी परीक्षाओं के लिये आयु-सीमा

†१२१३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोलह वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को दिल्ली में हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं में बैठने नहीं दिया जाता ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह रोक अन्य राज्यों में हायर सेकण्डरी परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों पर नहीं लगाई जाती ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सब राज्य सरकारों के मार्ग दर्शन में एक सी नीति निर्धारित की जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है और विविध राज्यों से एकत्रित की जा रही है।

(ग) राज्यों से भाग (ख) सम्बन्धी जानकारी प्राप्त होने के उपरांत मामले पर विचार किया जायेगा।

छावनियों में खेल

†१२१४. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी सीमाओं में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिये छावनी बोर्डों ने कोई योजना बनाई है ;

(ख) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने छावनी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये खेल के मैदान देने के लिये निर्वाचित छावनी बोर्डों की स्थापना से लेकर, कोई राशि दी है ; और

(ग) क्या सिकन्द्राबाद स्टेशन पर सैनिक पदाधिकारियों द्वारा छोड़ गये खेल के मैदान, खेलों के विकास के हेतु, असैनिकों को दिये जायेंगे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) छावनियों में खेलों के प्रोत्साहन के लिये सब छावनी बोर्डों पर समान रूप से लागू होने वाली योजना नहीं है। बहुत से छावनी बोर्डों ने छावनियों में खेल के मैदान बनाये हैं, एक या दो और छावनियों ने भी खेलों सम्बन्धी व्यय के लिये वार्षिक धन निर्धारित कर रखा है

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकार ने अभी तक चालू योजना अवधि में छावनी बोर्डों के लिये खेल के मैदान और पार्कों का उपबंध करने के लिये उस धन के अतिरिक्त जो छावनी बोर्डों ने स्वयं खर्च किया है, विशेष सहाय-अनुदान के रूप में ८७,२५१ रुपये मंजूर किये हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्यों कि सिकन्दराबाद में सेना ने खेल के किसी मैदान को रद्द नहीं किया है ।

जूता बनाने की मशीनें

†१२१५. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये जूतों और पांवों में पहनने की अन्य चीजों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ; और

(ख) उनके अपने उत्पादन में से कितने प्रतिशत जरूरत पूरी की जाती है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये जूतों और पांवों में पहनने की अन्य वस्तुओं की वार्षिक आवश्यकता संबंधी आंकड़े बताना लोकहित में नहीं है । प्रतिरक्षा कर्मचारी निम्न प्रकार के जूते पहनते हैं :—

१. जूते काले चमड़े के
२. जूते सफेद रोप सोल वाले
३. जूते कैनवैस सफेद (चमड़े के तले)
४. जूते कैनवैस ब्राउन / सफेद
५. ऐंकल बूट
६. बूट रबड़ बी
७. बूट जंगल नंबर २
८. बूट कम्बैट रबड़
९. चप्पली काली विशष प्रकार
१०. चप्पली हस्पताली
११. सैंडल काले चमड़े के

(ख) चप्पलियों और सैंडलों को छोड़कर, जो आयुध फैक्टरियों से प्राप्त किये जाते हैं, अन्य सब प्रकार के जूते संभरण तथा उत्सर्जन महा निदेशक के द्वारा वाणिज्य से प्राप्त किये जा रहे हैं ।

सशस्त्र सेनाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान-रक्षण

†१२१६. **श्री बा० चं० कामले** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना के नान-कमीशन रैंकों में भर्ती के लिये कुछ एक लोगों की अनसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के लिये स्थान रक्षण के सम्बन्ध में

---

†मूल अंग्रेजी में

उक्त उत्तर में जिन क्षेत्रों और यूनिटों की ओर संकेत किया गया था, उन क्षेत्रों और यूनिटों के क्या क्या नाम हैं ; और

(ख) सेना के उक्त रैंकों में उक्त जातियों के सदस्यों के लिये स्थान रक्षण के लिये यूनिटों और क्षेत्रों के बारे में निर्णय करते समय किन आधारों को ध्यान में रखा जाता है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जिन यूनिटों में केवल अनुसूचित जातियों के सदस्य ही भर्ती किये जा सकते हैं, उनका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

सिख लाइट इन्फैन्टरी (सम्पूर्ण रेजिमेन्ट)	'मजहबी' तथा 'रामदसिया' सिख
महार रेजिमेन्ट (चार बटैलियन) . .	महार

जिन राज्यों में उक्त अनुसूचित जातियों के वर्ग सामान्यतया रहते हैं, वे उनके नाम संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, १९५० के निहित हैं, जो कि समय समय पर संशोधित किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित यूनिटों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये अंशतः स्थान रक्षित किये गये हैं :—

बम्बई इंजीनियरिंग ग्रुप . .	४० प्रतिशत स्थान 'मजहबी' तथा 'रामदसिया' सिखों के लिये
बिहार रेजिमेन्ट . . .	५० प्रतिशत बिहारी 'आदिवासियों' के लिये अर्थात् संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, १९५० में निहित बिहार राज्य की सूची में लिखित सभी अनुसूचित आदिम जातियें ।

(ख) उक्त स्थान रक्षण एक परम्परा के रूप में हैं और विभिन्न प्रशासनिक कारणों से उस परम्परा में कोई विशेष अन्तर करना अच्छा नहीं समझा गया है । क्षेत्रों के हिसाब से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के किन्हीं विशिष्ट वर्गों के लिये कोई स्थान रक्षण नहीं किया गया है । वे सामान्यतया उन क्षेत्रों से भर्ती किये जाते हैं जिन क्षेत्रों में वे अधिक संख्या में रहते हैं ।

विधि आयोग का प्रतिवेदन

†१२१७. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या वित्त मंत्री २० अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिनियम के सम्बन्ध में विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार कर लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) उनकी कार्यान्विति के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). विधि आयोग की मुख्य सिफारिश को अर्थात् अपीलीय न्यायाधिकरण की समाप्ति के सम्बन्ध में सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है । आय-कर अधिनियम के सम्बन्ध में विधि आयोग की उन सिफारिशों पर जो कि आयोग द्वारा तैयार किये गये प्रारूप में निहित हैं, एक व्यापक विधेयक तैयार करने के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) विधि मंत्रालय के परामर्श से विचार कर रहा है । इस विधेयक को तैयार करते समय प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति की उन सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जायेगा जो कि सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं । यह विधेयक यथाकाल लोक सभा में प्रस्तुत किया जायेगा ।

शरणार्थी आदिवासी

१२१८. श्री डामर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बलजीत नगर (काला पहाड़) में बसने वाले शरणार्थी आदिवासियों अथवा उनके प्रतिनिधियों ने गृह-मंत्री या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को एक अभ्यावेदन भेजा है जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि उनके लिये आवश्यक सुविधाओं और जीवन-निर्वाह के साधनों की व्यवस्था की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या निर्णय या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) गृह-मंत्री को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था, किन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के पास कुछ अभ्यावेदन आए थे ।

(ख) मुख्य मांग राजस्थान में जमीन के वण्टन के लिये की गई थी । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त राजस्थान सरकार के साथ इस विषय पर पत्र-व्यवहार कर रहे हैं ।

मध्य प्रदेश में आदिवासी

१२१९. श्री डामर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सब से अधिक है ;

(ख) उस जिले में आदिवासी कितने प्रतिशत हैं ; और

(ग) क्या जिला झाबुआ भी उन जिलों में शामिल है जहां आदिवासियों का प्रतिशत अधिक है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) और (ग). झाबुआ जिला ।

(ख) ९०·५ प्रतिशत ।

मध्य प्रदेश में ईसाई धर्म प्रचारक

१२२०. श्री डामर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में गत पांच वर्ष में ईसाई धर्मप्रचारकों ने कितने भीलों को ईसाई बनाया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जिला झाबुआ में किन किन स्थानों पर ईसाई धर्मप्रचारक रह र हैं ;

(ग) प्रत्येक स्थान पर ईसाइयों की संख्या क्या है ; और

(घ) ये ईसाई धर्मप्रचारक किन-किन देशों के हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पंत) : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

(ख) से (घ). सूचना सम्बन्धी एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया है ।

विवरण

स्थान का नाम	ईसाइयों की संख्या		विदेशियों की राष्ट्रीयता	
	विदेशी	भारतीय		
झाबुआ .	२	५००	जर्मन	१
			आयरिश	१
ईशगढ़	१	२५०	जर्मन	१
गोपालपुर .	—	२५०	. .	
पंचकुई	१	३००	जर्मन	१
थाडला .	३	२०००	फ्रांसिसी	२
			जर्मन	१
बमनिया	२	७१	कैनेडियन	२
जोहट	६	३१७	कैनेडियन	४
			ब्रिटिश	२
मेन्ढा	२	२५६	कैनेडियन	२
अमखूट	४	६००	कैनेडियन	३
			अमरीकन	२
अलीराजपुर . . .	२	८	कैनेडियन	२
योग	२३	४५५२		

मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्र

१२२१. **श्री डामर** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ के पश्चात् मार्च, १९६० तक की अवधि में केन्द्रीय सरकार के कौन-कौन से मंत्रियों ने कब-कब मध्य प्रदेश के झाबुआ और धार जिलों के आदिवासी क्षेत्रों का दौरा किया ; और

(ख) केन्द्रीय मंत्रियों ने जो दौरे किये उनका उद्देश्य क्या था और अपने दौरों के बाद उन्होंने केन्द्रीय सरकार को क्या सूचना दी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में आदिवसियों की बस्तियां

१२२२. **श्री डामर** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आधुनिक आदिवासी सामूहिक बस्ती योजना के अन्तर्गत कितनी सामूहिक आदिवासी बस्तियां आज तक बसाई गई हैं ; और

(ख) ऐसी बतिस्यों में प्रत्येक घर के लिये कितनी रकम दी गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) अभी तक ऐसी कोई बस्ती नहीं बसाई गई है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार अनुसूचित आदिमजाति के २५ परिवारों के लिये एक बस्ती झाबुआ जिले में बसाने का विचार रखती है ।

(ख) उस बस्ती में हर एक मकान के निर्माण के लिये ५०० रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी ।

केन्द्रीय सरकार में मध्य प्रदेश के अधिकारी

१२२३. **श्री डामर** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के दफ्तरों में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के कितने अधिकारी किन-किन पदों पर आसीन हैं ; और

(ख) इन में से कितने ऐसे अधिकारी हैं जो आई० ए० एस० हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार) : (क) इस समय अखिल भारतीय सेवाओं के मध्य प्रदेश केडेर के २८ अधिकारी केन्द्रीय सरकार में नियुक्त हैं। इन में से --

१ अपर सचिव है

३ संयुक्त सचिव हैं

७ उप सचिव हैं

२ अवर सचिव हैं।

शेष १५ क्षेत्र पदों (फील्ड पोस्ट्स)—पर नियुक्त हैं ।

(ख) १९ ।

स्कूलों में खेल के मैदान

†१२२४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ और १९५९-६० में स्कूलों में खेल के मैदान बनाने के लिये किस किस राज्य ने केन्द्रीय सहायता से लाभ उठाया था ;

(ख) १९५८-५९ और १९५९-६० में इस प्रयोजन के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गयी थी ; और

(ग) क्या स्कूलों में व्यायामशालाओं के निर्माण के लिये सहायता देने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). १९५८-५९—किसी ने नहीं ।

१९५९-६० :

राज्यों के नाम	अनुदान (रुपये)
१. उड़ीसा	२४,०००
२. मध्य प्रदेश	४०,०००
३. पश्चिमी बंगाल	१,२०,५००
४. बिहार	८०,५००
५. केरल	५६,०००
६. बम्बई	१,२८,५००
७. पंजाब	८०,५००
८. उत्तर प्रदेश	१,१२,५००
९. मद्रास	७२,५००
१०. राजस्थान	३२,०००
११. आंध्र प्रदेश	५६,५००
१२. मैसूर	४०,५००
१३. आसाम	४०,०००
१४. जम्मू तथा काश्मीर	१६,०००
कुल	९,००,०००

(ग) स्कूलों में व्यायामशालाओं के निर्माण के लिये सहायता देने के सम्बन्ध में कोई निश्चित योजना नहीं हैं, परन्तु 'कैम्पस वर्क प्रोजेक्ट' योजना के आधीन उच्च माध्यमिक स्तर की विभिन्न शिक्षा संस्थाओं को मनोरंजन हाल तथा ओडिटोरियम, तैरने के तालाब, व्यायामशालाओं आदि के निर्माण के लिये अनुदान दिये जाते हैं ।

उत्तर प्रदेश में स्मारक

†१२२५. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गत भयंकर बाढ़ों के दौरान में केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण के अधीन सुरक्षित किसी प्राचीन स्मारक को नुक्सान हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो कैसा और कितना नुकसान हुआ है ; और

(ग) उसकी मरम्मत के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) कुछ एक स्मारकों को नुकसान हुआ था, परन्तु कोई अधिक नुकसान नहीं हुआ है। लखनऊ में आसफुद्दौला के इमामबाडे के आगे के आंगन के दालान के छत में सीधी दरारें पड़ गयी हैं और लखनऊ की रेजीडेंसी की इमारत की पूर्वी चारदीवारी में भी कुछ एक दरारें पड़ गयी हैं। लखनऊ की कुछ और इमारतों में भी कुछ दरारें सी पड़ गयी हैं, परन्तु वे सभी मामूली सी हैं ।

(ग) इमामबाड़ा के दालान की छत को सहारा देने के लिये अतिरिक्त खंभे लगा दिये गये हैं। छत को पक्का करने के लिये के क्रंकीट और चूने से मरम्मत की जायेगी । रेजिडेंसी की चारदीवारी की दरारों की भी मरम्मत कर दी जायेगी । वार्षिक मरम्मतों के समय अन्य स्मारकों की मरम्मतों की ओर भी ध्यान दिया जायेगा ।

जीवन बीमा कराने वाले व्यक्तियों को १९५८–५९ के लिये बोनस

†१२२६. **श्री बाल कृष्णन्** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा कराने वाले व्यक्तियों के लिये १९५८ के वर्ष के लिये बोनस घोषित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन व्यक्तियों को बोनस बांट दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) से (ग). अवधि सम्बन्धी जीवनांकिक मूल्यांकन के समय मालूम होने वाली अतिरिक्त राशियों में से ही बोनस घोषित किये जाते हैं। ३१ दिसम्बर, १९५९ को निगम के संविहित मूल्यांकन का कार्य अभी जारी है और उस मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप जिस अवधि के लिये बोनस घोषित किये जायेंगे, उसमें १९५८ का वर्ष भी सम्मिलित होगा ।

दिल्ली केन्द्रीय जेल, तिहाड़

†१२२७. { **श्री राधा रमण** :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के केन्द्रीय जेल, तिहाड़ में कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन किये जा रहे हैं और कुछ नये ब्लाक भी बनवाये जा रहे हैं;

(ख) इन परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और उन पर कुल कितनी राशि खर्च की जायेगी ; और

(ग) इन परिवर्तनों की क्या आवश्यकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). पूर्व-निर्मित सामग्री से ऐसे पचास नये कमरे बनवाने का विचार है जिसमें प्रत्येक में २० व्यक्ति रह सकेंगे। इन कमरों के निर्माण और तारें लगाने पर लगभग तीन लाख रुपयों का खर्च आयेगा।

(ग) कैदियों के लिये अधिक स्थान बनाने के लिये।

नृत्य के प्रोत्साहन के लिये अनुदान

†१२२८. **कुमारी मो० वेद कुमारी**: क्या वैज्ञानिक, अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८–५९ और १९५९–६० में देश में मनीपुरी के अतिरिक्त अन्य प्रकार के नृत्यों को प्रोत्साहन देने के लिये संगीत नाटक अकादमी द्वारा कोई अनुदान दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो किस किस प्रकार के नृत्यों के लिये और

(ग) उक्त अवधि में कितना अनुदान दिया गया था ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृतिक-कार्य उपमंत्री** (डा० म० मो० दास) : (क) जी, हां।

(ख) कुचीपुडी, भारत नाट्यम, कथाकली, आधुनिक बैलेट (मिश्रित नृत्य), छौ (सरायकेला तथा मयूरभंज प्रकार के नृत्य), यक्षगण, उड़ीसी, लोक नृत्य तथा कत्थक।

(ग) कुल ४,१७,५०४ रुपयों के अनुदान दिये गये थे जिनमें नृत्य के अतिरिक्त संगीत के प्रशिक्षण के लिये संस्थाओं को दिये गये अनुदान भी सम्मिलित हैं।

दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क

†१२२९. { **श्री राधा रमण** :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क का प्रबन्ध अब दिल्ली विश्वविद्यालय अपने अधीन लेने लगा है ;

(ख) क्या इस प्रबन्ध के तबादले में कोई शर्तें भी निहित हैं क्योंकि यह स्कूल अभी तक एक गैर सरकारी निकाय है ;

(ग) यदि हां, तो वे शर्तें क्या क्या हैं ; और

(घ) प्रबन्ध के तबादले के बाद इस संस्था में क्या क्या नयी बात लागू की जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् ने दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क के प्रबन्धकों द्वारा प्रस्तुत किये गये इस सुझाव को स्वीकार कर लेने का निर्णय किया है कि इस स्कूल को विश्वविद्यालय के अधीन ले लिया जाये और इसे विश्वविद्यालय द्वारा चलायी जा रही संस्था के रूप में चलाया जाये। विश्वविद्यालय द्वारा इसके लिये ब्योरा तैयार करने और इस योजना को कार्यान्वित करने के संबंध में कार्यवाही करने के बारे में सुझाव देने के लिये एक समिति स्थापित की गयी है। यद्यपि फिलहाल तो कोई नयी बात निर्धारित नहीं की गयी है तथापि उद्देश्य यह है कि इस स्कूल को स्थायी और स्थिर आधार पर आधारित किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

क्योंकि इस योजना पर वित्तीय खर्च भी आयेगा, इसलिये विश्वविद्यालय ने यह मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंप दिया है । आयोग द्वारा इस पर यथा काल विचार किया जायेगा ।

पिछड़े हुये वर्ग

†१२३०. **श्री ना० रा० मुनिस्वामी :**
श्री तंगामणि :
श्री बा० चं० कामले :
श्री भा० कृ० गायकवाड़ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में २४ अक्तूबर, १९६० को दिल्ली में पिछड़े वर्गों के प्रभारी राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में क्या क्या निर्णय किये गये थे ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें २४ और २५ अक्तूबर को हुये सम्मेलन में की गयी सिफारिशें निहित हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७०]** ।

विदेशों में भारतीय शिक्षक

†१२३१. **श्री कालिका सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई भारतीय शिक्षक घना के वेस्ट अफ्रीका यूनिवर्सिटी कालेज, नाइजीरिया के यूनिवर्सिटी कालेज, इबादान, पूर्वी अफ्रीका के ईस्ट अफ्रीका यूनिवर्सिटी कालेज, पश्चिमी द्वीप समूह के वेस्ट इंडीज़ यूनिवर्सिटी कालेज, यूनिवर्सिटी आफ हांगकांग, यूनिवर्सिटी आफ मलाया, और यूनिवर्सिटी आफ माल्टा में शिक्षक का कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) क्या उक्त विश्वविद्यालय में अन्य राष्ट्र मंडल के देशों के शिक्षक भी पढ़ाने का काम कर रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). सरकार के पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल

†१२३२. **श्री बाल कृष्ण वासनिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हाल की हड़ताल के बाद केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचरण) नियम, १९५५ के (१) नियम ४-क और (२) नियम ४ख का उल्लंघन करने पर भारतीय लेखा परीक्षण तथा लेखा विभाग के विभिन्न दफ्तरों के कितने कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन कार्यवाही की गई थी और उन्हें केन्द्रीय असैनिक सेवा (वर्गीकरण तथा अपील) नियमों में निर्धारित मुख्य दंड दिये गये हैं ;

(ख) भारतीय लेखा परीक्षण तथा लेखा विभाग के विभिन्न दफ्तरों में कर्मचारियों को दिये गये दंड का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विशेष रूप में नागपुर में जिन कर्मचारियों को दंड दिया गया है उनका हड़ताल से सीधा संबंध न होने के बावजूद भी उन्हें उनके पुराने रिकार्ड के आधार पर ही इस प्रकार से दंड दिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो उन्हें किस प्रकार का दंड दिया गया है अथवा किस प्रकार का दंड देने का विचार है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ११४९ कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी, उनमें से ७०० कर्मचारियों को दंड दिये गये थे। उनमें से २८ कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया अथवा बरखास्त कर दिया गया था। शेष ६७२ व्यक्तियों पर अन्य प्रकार के दंड लगाये गये थे।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी निहित है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७१]।

(ग) जी नहीं, कर्मचारियों पर यह अनुशासन कार्यवाही हड़ताल से कुछ पहले, हड़ताल के दौरान में तथा उसके एक दम बाद उन कर्मचारियों के आचरण को देख कर ही प्रारम्भ की गई थी।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वन्डर वर्ल्ड आफ़ साइंस

†१२३३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'वण्डर वर्ल्ड आफ साइंस' की ९ खंडों को हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित कराने के कार्य को गति देने के लिये कोई कार्रवाई की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :(क) और (ख). जी, हां। इस माला के प्रथम खंड का सस्ता प्रकाशन हिन्दी, बंगला, मराठी और तामिल में सरकारी वित्तीय सहायता से छपवाया जा चुका है। शेष खंडों के अनुवाद के संबंध में कार्यवाही की जा रही है और खंड १ को शेष भारतीय भाषाओं में भी छपवाने का कार्य किया जा रहा है।

दुर्लभ हस्तलिपियों का परिरक्षण

†१२३४. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राचीन तथा दुर्लभ हस्तलिपियों तथा पुस्तकों के परिरक्षण के लिये अत्याधिक प्रभावकारी उपायों के संबंध में कोई अनुसंधान कार्य किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय लेखागार की एक अपनी अनुसंधान प्रयोगशाला है जिसमें भारतीय लेखागार तथा पुस्तकालय संबंधी विभिन्न समस्याओं के संबंध में अनुसंधान किये जाते हैं। इस अनुसंधान प्रयोगशाला में किये गये कुछ एक कार्यों को विदेशों ने भी स्वीकार किया। उदाहरणार्थ, १९५१ में इस प्रयोगशाला में एक ऐसा उपाय सोचा गयाहै जिससे गिलगित की कुछ एक ऐसी हस्तलिपियों का परिमार्जन किया जासकता है जो कि मिट्टी आदि से खराब हो गई हैं। तदुपरांत १९५२ में उसी उपाय से उन हस्तलिपियों का भी परि-

†मूल अंग्रेजी में

मार्जन करने में सफलता प्राप्त हुई जोकि पानी में घुलने वाली स्याहियों और रंगों में लिखी हुई थी और अब वह उपाय अन्य देशों द्वारा भी 'सालवेंट लेमिनेशन' के नाम से मन्जूर कर लिया गया है। यह भारतीय उपाय वाशिंगटन के नेशनल ब्यूरो आफ स्टेंडर्ड द्वारा निकाले गये 'मशीन लेमिनेशन' के मुकाबले में माना जाता है। यह प्रयोगशाला अनुसंधान संबंधी अपने कार्यों के अतिरिक्त अन्य भारतीय अभिलेख कार्यालयों को परिरक्षण संबंधी विभिन्न पहलुओं पर प्रविधिक परामर्श भी देते हैं और यह अन्य देशों में इस संबंध में होने वाले एतत् संबंधी अनुसंधान कार्यों से निरन्तर सम्पर्क रखती है। अभिलेखा सार विभाग ने 'रिपेयर एंड प्रिजर्वेशन आफ रिकार्डज़' नामक एक पुस्तिका भी प्रकाशित की है जिसमें इस संबंध में विस्तृत जानकारी निहित है। उस पुस्तिका की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में ऐतिहासिक अवशेष

†१२३५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य के बुर्जहोम स्थान पर खुदाई करते हुये ऐतिहासिक अवशेष प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वहां पर कोई नई ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जी, हां।

(ख) प्राप्त सामग्री के संबंध में अध्ययन किया जा रहा है और इस संबंध में प्रामाणिक निष्कर्ष निकालने के लिये कुछ और कार्य करना पड़ेगा।

तरल सोने का तस्कर व्यापार

१२३६. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के बाहर से बड़े पैमाने पर चोरी-छिपे तरल सोना देश के अन्दर लाया जाता है जिससे सरकार को बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है ;

(ख) तरल सोने के इस तस्कार-व्यापार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि फीरोजाबाद में जहां तरल सोना बड़े पैमाने पर चोरी-छिपे लाया जाता है गत वर्ष यह बड़ी मात्रा में पकड़ा गया था ;

(घ) यदि हां, तो इस तस्कर-व्यापार से संबंधित विदेशियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(ङ) तरल सोने के तस्कर-व्यापारको समाप्त करने के लिये सरकार निकट भविष्य में क्या सक्रिय कदम उठाने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत के सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभागों के अधिकारियों ने सन् १९५८, १९५९ और १९६० में (३१–१०–१९६० तक) क्रमश: १५४, १४२७, और ७५० औंस तरल सोना यानी हिल (लिक्विड गोल्ड) पकड़ा जो चोरी छिपे लाया गया था। लेकिन सिर्फ इसी एक बात से यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि बड़े पैमाने पर तरल सोना चोरी छिपे लाया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तरल सोने आदि निषिद्ध (कौण्ट्राबैण्ड) वस्तुओं को चोरी छिपे लाने, ले जाने की रोकथाम के लिये समय समय पर तरह तरह के कानूनी और प्रशासनिक उपाय किये गए हैं इन उपायों में ये शामिल हैं —(१) चोरी छिपे माल लाने, ले जाने की रोकथाम में लगे हुये सीमा-शुल्क अधिकारियों (कस्टम्स आफिसर्स) के, तहकीकात संबंधी अधिकारों में वृद्धि, (२) जिन समुद्री और हवाई जहाजों के बारे में सन्देह पैदा हो जाय उनकी तलाशी बारीकी से लेना, (३) समुद्री सीमा और स्थल सीमा के उन भागों का नियमित और आकस्मिक गश्त जहां से चोरी छिपे माल आ, जा सकता है, (४) जो सूचना मिले उसके आधार पर जल्द कार्रवाई। समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार भारी जुर्माने किये जाते हैं जिनमें चोरी छिपे लाये गये माल की जब्ती भी शामिल है। इसके अलावा उपयुक्त मामलों में मुकदमें भी चलाये जाते हैं ताकि अपराधी को कड़ी सजा मिले जिससे दूसरों के मन में भी डर पैदा हो सके। विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों की, चोरी-छिपे माल लाने ले जाने की रोकथाम की कार्रवाइयों में ज्यादा अच्छा तालमेल बैठाने के लिये केन्द्र में राजस्व गुप्त सूचना निदेशालय (डायरेक्टरेट आफ रेविन्यू इंटेलिजेंस) भी कार्य कर रहा है।

(ग) फीरोजाबाद में १९५९ में वहां के व्यापारियों के पास चोरी छिपे लाया गया २३४ औंस तरल सोना—यानी हिल पकड़ा गया।

(घ) चोरी छिपे माल लाने ले जाने के इस मामले में किसी विदेशी का हाथ नहीं था।

(ङ) तहकीकात से पता चलता है कि भारत के दक्षिण-पूर्वी समुद्रतट के रास्ते खास तौर से श्री लंका से चोरी छिपे तरल सोना लाया जाता है। निषिद्ध (कौण्ट्राबैण्ड) माल बेड़ों के समुद्रतट पर कम पहुंचवाली जगहों पर बेवक्त उतारा जाता है? सन्देहजनक समुद्री क्षेत्रों में गश्त लगाने के लिये खास तौर से कार्रवाई की गयी है।

दिल्ली में मध्य प्रदेश राज्य का सम्पर्क पदाधिकारी

†१२३७. **श्री आचार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दिल्ली में एक राज्य संपर्क पदाधिकारी नियुक्त किया है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को उक्त पदाधिकारी से कोई विशेष कार्य है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं। पर हां राज्य सरकार ने भारत सरकार को यह सूचित किया है कि उसने एक ऐसा पदाधिकारी नियुक्त किया है जो कि अपने कार्य के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के संसद् सदस्यों को उस राज्य के सम्बन्ध में वास्तविक जानकारी देता रहेगा। उस पदाधिकारी का मुख्य कार्यालय भोपाल में है, परन्तु फिर वह संसद् के सत्र में दो बार दिल्ली आया करेगा। उसका काम भारत सरकार और राज्य सरकार में सम्पर्क रखने का नहीं होगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

बीमा धारियों को बोनस कार्डों का जारी किया जाना

†१२३८. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम बीमाधारियों को बोनस कार्ड कब तक जारी कर रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने अभी तक बोनस की दरें निश्चित नहीं की हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग) ३१ दिसम्बर, १९५९ तक के सम्बन्ध में निगम की आस्तियों तथा दायित्वों का निर्धारण कार्य तथा 'भेदात्मक' बोनस को घोषित करने के लिये बोनस की अनुक्रमणिका तैयार करने का कार्य बड़ा भारी तथा जटिल है । निगम इसे पूरा करने का यत्न कर रहा है और आशा है कि १९६२ के मध्य तक बोनस घोषित कर दिये जायेंगे । इस के बाद बोनस के कार्ड भी जारी कर दिये जायेंगे ?

भारतीय वायु सेना में एयर मैन

†१२३९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमान सेना के उन असैनिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जोकि एयर मैन के रिक्त स्थानों पर काम कर रहे हैं; वेतन आयोग द्वारा निधारित नये वेतन क्रम लागू नहीं किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उन असैनिक कर्मचारियों को नये वेतन क्रमों के अनुसार सुविधायें देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**प्रतिरक्षा उप मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) उन कर्मचारियों के वेतन क्रमों के सम्बन्ध में वेतन आयोग ने कोई विशेष सिफारिश नहीं की है ।

(ख) उनके लिये पुनरीक्षित वेतन क्रम लागू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

नाट्यशाला संगठनों को सहायता

†१२४०. **श्री लें० अचो सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०–६१ में अब तक संघ राज्य-क्षेत्रों में विभिन्न नाट्य शाला संगठनों को कितनी सहायता मंजूर की गयी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : अभी तक कोई सहायता मंजूर नहीं की गयी ।

---

†*मूल अंग्रेजी में*

मनीपुर में भू-राजस्व

†१२४१. **श्री ले० चो० सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में मनीपुर प्रशासन ने १० लाख रुपये से भी अधिक की भू-राजस्व की बकाया रकम वसूल नहीं की है ;

(ख) क्या बकाया रकम कई वर्षों से वसूल नहीं की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

पुलिस आवास योजनायें

†१२४१. **श्री स० अ० मेंहदी :**
श्री प्र० गं० देब :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में पुलिस आवास के लिये किसी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि दी गयी है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पंत) : (क) वर्ष १९५६ से भारत सरकार राज्य सरकारों को उनकी पुलिस आवास योजनाओं को कार्यान्वित करने में सहायता देने के लिये ऋण देती रही है ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में राज्यों को अब तक दी धनराशि का ब्यौरा है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७२**] ।

डी० एच० लारेंस द्वारा लिखित 'लेडी चेटरलीज़ लवर' नामक पुस्तक

†१२४३. **श्री मे० क० कुमारन्** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० एच० लारेन्स द्वारा लिखित 'लेडी चेटरलीज़ लवर' नामक पुस्तक के शोधित संस्करण पर भारत में प्रतिबन्ध लगा है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पुस्तक के शोधित संस्करण के प्रकाशक के पक्ष में हुए एक अंग्रेजी न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक पर से प्रतिबन्ध हटायेगी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पंत) : (क) और (ख) भारत सरकार का यह ख्याल है कि "लेडी चेटरलीज़ लवर' नामक पुस्तक का शोधित संस्करण समुद्र-सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा १८ (ग) को आकर्षित करता है जिस में देश में अश्लील पुस्तकें लाने पर प्रतिबन्ध लगा है । भाग (ख) में निर्देशित फैसले से इस विचार पर कोई असर नहीं पड़ता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जाली नोट

†१२४४. **श्री तंगामणि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १०० रुपये वाले जाली करेंसी नोट चलाने के लिये मद्रास में व्यक्ति पकड़े जा रहे हैं और मुकद्दमे चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी रकम पकड़ी गयी ;

(ग) इन जाली नोटों के जरिये कितनी रकम अभी चल रही है ; और

(घ) ऐसे चलन (सर्कुलेशन) को रोकने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने ८,७७,१०० रुपये मूल्य के जाली नोट पकड़े हैं।

(ग) सर्कुलेशन में इन नोटों की संख्या का पता लगाना कठिन है परन्तु ऐसा कोई कारण नहीं है कि यह समझा जाये कि यह रकम बड़ी है ।

(घ) जाली नोटों के नम्बरों के बारे में समाचार-पत्रों द्वारा जनता को सावधान कर दिया गया है और इन चेतावनियों का अधिक प्रचार करने के कारण ऐसे नोटों का और सर्कुलेशन नितान्त कठिन हो गया है ।

तम्बाकू की खेती

†१२४५. **श्री राम गरीब** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों में सरकार ने अनधिकृत रूप से तम्बाकू की खेती करने के कई मामले पकड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार इसके क्या आंकड़े हैं ; और

(ग) उनमें से कितनों पर मुकद्दमा चलाया गया और दोषियों को क्या दण्ड दिया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां।

(ख)

राज्य	वर्ष १९५९ और अक्तूबर, १९६० तक पकड़े गये मामलों की संख्या
पंजाब	४७
उत्तर प्रदेश	१९८
राजस्थान	२
आंध्र प्रदेश	४०९७

†अंग्रेजी में

(ग) किसी मामले में मुकद्दमा नहीं चलाया गया परन्तु उपयुक्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियमों के अनुसार दोषियों के विरुद्ध विभागीय रूप से कार्यवाही की जाती है ।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा

†१२४६. **श्री राम गरीब** : क्या शिक्षा मंत्री १ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९३९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिडिल कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने का फैसला किया कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो फैसला कब किया जायेगा ? और कब से कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस मामले पर शीघ्र ही फैसला किये जाने की आशा है ।

प्रामाणिक पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद

†१२४७. **श्री झूजन सिंह** :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के लिये प्रामाणिक पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद करने की योजना के बारे में क्या स्थिति है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

प्रामाणिक पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद करने की योजना को क्रियान्वित करने के बारे में निम्नलिखित पग उठाये गये हैं :—

१. योजना की कार्यान्विति के लिये ब्यौरा बना लिया गया है और सूचनार्थ और कार्यान्विति के लिये विभिन्न राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को भेज दिया गया है ।

२. शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर विभिन्न पुस्तकों के लगभग २०० शीर्षक अनुवाद के लिये चुने गये हैं और इन पुस्तको को विभिन्न क्षेत्रों को आवंटित कर दिया गया है । इस योजना के अधीन जोन लाँक द्वारा लिखित "टू एसेज़ ओन सिविल लॉ' नामक पुस्तक का अनुवाद उत्तर प्रदेश की हिन्दी समिति द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया है ।

३. स्थायी मंत्रणा समिति की सिफारिश के अनुसरण में मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में अपने अपने क्षेत्रों में कार्य का निरीक्षण करने के लिये सम्पर्क समितियां स्थापित की गयी हैं । अन्य राज्यों में समितियां स्थापित की जा रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

४. उत्तर प्रदेश सरकार की हिन्दी समिति के द्वारा अनुदित की जाने वाली पुस्तकों का प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त किया जा रहा है।

संग्राहलयों में रखी वस्तुयें

१२४८. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत जितने संग्रहालय हैं क्या उनमें रखी वस्तुओं के परिचय आदि का विवरण सभी जगह हिन्दी में भी, प्रदर्शित किया जाता है, और

(ख) यदि नहीं, तो भविष्य में ऐसा करने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (१) राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली :—राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शित कला की वस्तुओं पर लेबिल हिन्दी और अंग्रेजी में थे और यह ऐसे ही रहेंगे जब संग्रहालय अपनी नई इमारत में खुलेगा।

(२) सालार जंग संग्रहालय और पुस्तकालय, हैदराबाद :—इस संग्रहालय में ज्यादातर लेबिल अंग्रेजी में हैं। अब हिन्दी, तेलुगू और उर्दू शीर्षक जोड़ने की भी शुरुआत हो गई है।

(३) इंडियन वार मेमोरियल और (४) नेशनल गेलरी आफ मार्डन आर्ट :—चीजों का वर्णन अंग्रेजी में है। तकनीकी शब्दों के हिन्दी पर्याय बन जाने पर, उनका हिन्दी में वर्णन लिखने के बारे में विचार किया जायेगा।

(५) पुरातत्व विभाग—पुरातत्व विभाग के नियंत्रण के अधीन नीचे लिखे दर्शनीय स्थल और क्षेत्रीय संग्रहालय हैं और उनमें प्रदर्श्य चीजों पर नीचे लिखे अनुसार लेबिल लगाये गये हैं :—

१. अमरावती	अंग्रेजी और तेलगू।
२. कोंडापुर	अंग्रेजी और तेलुगू।
३. नागार्जुनकोंडा	अंग्रेजी और तेलुगू।
४. बुद्ध गया	अंग्रेजी और हिन्दी।
५. नालंदा	अंग्रेजी और हिन्दी।
६. लाल किला, नई दिल्ली	अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू।
७. खजुराहो	अंग्रेजी और हिन्दी
८. सांची	अंग्रेजी—लेबिल हिन्दी में भी लगाये जा रहे है।
९. सेंट जार्ज किला, मद्रास	अंग्रेजी और तामिल।
१०. हम्पी	अंग्रेजी, तेलुगू और कन्नड़।
११. सारनाथ	अंग्रेजी और हिन्दी।
१२. भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता (पुरातत्वीय अनुभाग)	अंग्रेजी, बंगाली और हिन्दी।

दक्षिण भारत के संग्रहालयों में हिन्दी के वर्णनात्मक लेबिल लगाने की कोशिश हो रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी में आयकर निर्धारण आदेश

१२४९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपनी आय का ब्यौरा हिन्दी में भरकर देने वाले व्यक्तियों को आयकर निर्धारण सम्बन्धी आदेश हिन्दी में दिये जाने की आयकर विभाग ने क्या व्यवस्था की है ;

(ख) यदि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है तो ऐसा प्रबन्ध करने के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक इसकी व्यवस्था हो जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आयकर-निर्माण आदेश (इनकम टैक्स असेसमेंट आर्डर) हिन्दी में जारी करने के लिए अभी कोई इन्तजाम नहीं है।

(ख) आयकर विभाग में इस्तेमाल किये जाने वाले कई जरूरी फार्म, जैसे धारा २२(२), २२(४), और ३४ के अधीन कानूनी नोटिसों के फार्म, आयकर अधिनियम की धारा २९ के अधीन डिमांड नोटिस फार्म, आयकर-निर्धारण फार्म, आयकर की वापसी और आयकर-निर्धारण आदेशों आदि के खिलाफ अपील करने के लिए आवेदन पत्र (एप्लिकेशन फार्म) हिन्दी में छापे गये हैं और हिन्दी बोलने वाले करदाता उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हिन्दी में एक पैम्फलेट भी छापा गया है जिसमें आमदनी के ब्योरे (रिपोर्ट) भरने के बारे में करदाताओं को ज़रूरी हिदायतें दी गयी हैं और जिन करदाताओं के पास ब्योरे (रिटर्न फार्म) हिन्दी में भेजे जाते हैं उनके पास यह पैम्फलेट भी भेज दिया जाता है। इन प्रारम्भिक कार्रवाइयों से आखिर में उन करदाताओं के लिए कर-निर्धारण आदेशों को (असेसमेंट आर्डर) हिन्दी में जारी करने में सुविधा होगी जो इन आदेशों को हिन्दी में चाहते हैं।

(ग) अभी करदाताओं की ओर से, हिन्दी में कर-निर्धारण आदेश जारी करने की मांग प्रायः नहीं है। हिन्दी में आदेश तभी जारी किये जा सकेंगे जब आयकर विभाग के अधिकारी हिन्दी में काफी योग्यता प्राप्त कर लेंगे और आयकर सम्बन्धी कानून का, जिसमें आयकर की रिपोर्ट और दूसरे कानून भी शामिल हैं, हिन्दी में अनुवाद हो जायेगा। इस काम में समय लगेगा।

राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्था

†१२५०. **श्री राम शरण :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्था दिल्ली नगर निगम को उसके २२ बेसिक स्कूलों का मॉडल स्कूलों के रूप में विकास करने के लिये सहायता कर रही है ; और

(ख) मॉडल स्कूलों की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें माडल स्कूलों की मुख्य बातें दी गयी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

माडल बेसिक स्कूल की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(क) **आवास और भवन** : शिक्षा, शिल्प और अन्य गैर-शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये उसमें पर्याप्त स्थान हो।

भवन साफ सुथरा हो और सुन्दर प्रतीत होता हो और स्कूल में एक छोटे से बगीचे, एक नल-कूप और एक खेल के मैदान की सुविधा हो।

(ख) **अध्यापन** : पढ़ाने वाले बेसिक शिक्षा में प्रशिक्षित होने चाहियें और अध्यापन-कार्य 'सहसम्बन्ध' से हो। समूचे कार्य की प्रत्येक सत्र के आरम्भ में अवधि-वार और महीने-वार योजना बनायी जाये। बच्चों की प्रगति का इकट्ठा रिकार्ड रखा जाये।

स्कूल में सीनियर ग्रेड के लिये एक अच्छा पुस्तकालय और एक विज्ञान प्रयोगलाशा हो।

(ग) **संगठन** : हैडमास्टर को कुछ आवश्यक खर्च के लिये कुछ निधि दी जाये। कर्मचारियों को दिन-प्रति दिन के कार्य में आवश्यक परामर्श देने के लिये माडल स्कूलों का समय समय पर निरीक्षण होना चाहिये।

(घ) **स्कूल छात्र सम्बन्ध** : स्कूल और छात्रों में परस्पर सहयोग होना चाहिये।

(ङ) **स्कूल कार्यक्रम** : नियमित और सामान्य स्कूल की गतिविधियों में स्वच्छता, इकट्ठे प्रार्थना करना, विद्यार्थियों की स्व-सरकार, त्योहारों और राष्ट्रीय दिवसों आदि पर समारोह की व्यवस्था होनी चाहिये।

(च) **शिल्प-कार्य** : शिल्प का चुनाव स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए और शिल्प की शिक्षा सम्बन्धी क्षमता के अनुसार होना चाहिये। कच्चा माल आदि समय पर उपलब्ध हो। विभिन्न शिल्प वस्तुओं और उनके बनाने के तरीके के प्रदर्शन के लिये एक स्कूल संग्रहालय बनाया जाये। शिल्प वस्तुओं के निबटारे के लिये भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।

त्रिपुरा में खेल कूद

†१२५१. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रशासन को खेल-कूद का स्तर बढ़ाने के लिये किसी धनराशि का अनुदान दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में कितनी धनराशि दी गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** (क) जी, हां।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना———— शून्य

द्वितीय पंचवर्षीय योजना २९,८३५ रुपये

रूबल का पुनर्मूल्यन्

†१२५२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित नये रूबल जारी करने से भारत के रुपये अथवा करेन्सी पर कोई असर पड़ेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: : जी, नहीं। प्रस्तावित नये रूबल जारी करने से भारतीय रुपये अथवा करेन्सी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

स्थगन प्रस्ताव

बेरूबाड़ी संघ का पाकिस्तान को हस्तान्तरण और अर्जित राज्य क्षेत्र (विलय) विधेयक का राज्य विधान मंडलों को निर्देश

† **अध्यक्ष महोदय**: मुझे बेरूबाड़ी के हस्तांतरण के बारे में श्री बाजपेयी का एक स्थगन प्रस्ताव मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसके हस्तांतरण के बारे में प्रधान मंत्री तथा पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री के परस्पर विरोधी भाषणों से उत्पन्न भ्रान्तिजनक स्थिति पर विचार किया जाये।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी ने एक दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कहा है कि प्रस्तावित अर्जित राज्य क्षेत्र (विलय) विधेयक के सम्बन्ध में संविधान के उपबन्धों का पालन करने में सरकार की कथित विफलता हुई है।

अब इस सभा की अनुमति के बिना न तो कोई राज्य क्षेत्र अर्जित ही किया जायेगा और न ही उसका हस्तातांतरण किया जाएगा अथवा किसी की सीमा निर्धारित की जायेगी। फिर स्थगन प्रस्ताव अथ वा प्रश्न करने का क्या अभिप्राय है। फिर भी ये दोनों मामले सभा के सामने हैं। यदि माननीय प्रधान मंत्री कोई जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं सभा के माननीय सदस्यों की इच्छा को अच्छी तरह समझता हूं वे चाहते हैं कि इस वाद-प्रतिवाद के बारे में जो कि तकलीफदेह है विस्तारपूर्वक बताया जाये कि क्या होगा तथा प्रारम्भ में क्या हुआ था। जहां तक मेरी बात है मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं और इस बारे में मेरे पास जो कुछ भी तथ्य हैं उन्हें मैं सभी के सामने रखना चाहता हूं। मेरा सुझाव है, बशर्ते कि आप उसका समर्थन करें और आपको सुविधा हो तो, कि मैं यह तथ्य सभा की अगली बैठक में जो कि सोमवार को होगी प्रकट करूं।

जहां तक कि दूसरी बात का ताल्लुक है, आपने सुझाव दिया था कि इसकी चर्चा तभी की जाये। जहां तक मेरा जाती मामला है इस मामले पर अलग से विचार करने के बारे में कोई आपत्ति उठाना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यह एक कानूनी मसला है, जो कि उठाया गया है, और मैं नहीं समझता कि इसके बारे में बातचीत की कोई गुजांइश भी है। हमने इस मसले को उच्चतम न्यायालय को भेजा, और हम उच्चतम न्यायालय के परामर्श के आधार पर कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बहरामपुर) : सरकार के लिये यह कहना तो ठीक है कि वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुकूल कार्य करने का प्रयत्न कर रही है लेकिन मैं सभा के नेता को यह बताना चाहता हूं कि जहां तक कि इस मसले का संबंध है उनके विधि परामर्शदाता उन्हें गलत राय देते रहे हैं। आपको याद होगा कि जब यह मामला पहली बार सभा के सामने आया तो श्री त्यागी ने कहा था कि यह कार्य सभा की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। उस समय प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि उनके विधि पदाधिकारी तथा विधि मंत्री ने भी उन्हें यह परामर्श दिया था कि

---

†मूल अंग्रेजी में

इस मसले को यहां नहीं रखना चाहिये। (**अन्तर्बाधा**) मेरा संशोधन बेरूवाड़ी के बारे में नहीं बल्कि अर्जित राज्य क्षेत्र (विलय) विधेयक के बारे में है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है और राज्य विधान मंडल द्वारा एक संकल्प भी पारित किया गया है कि इसका उचित निर्देश नहीं किया गया है और अगर मेरी जानकारी सही है तो मैं कहूंगा कि राज्य के उच्चतम प्राधिकारी ने विधि को तैयार करने वाले विभागों को बताया था कि राज्य विधान मंडल को निर्देश करना सही नहीं था। नाना प्रकार की बातें इसके बारे में सुनने में आ रही हैं और देश के सभी प्रमुख अखबारों ने इसकी आलोचना की है। हम चाहते हैं कि इसके बारे में ठीक उत्तर दिया जाये। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि सभा के नेता इस बारे में सोमवार को एक वक्तव्य दें। लेकिन सारी स्थिति का स्पष्टीकरण किया जाये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि कि ये दोनों मामले वास्तव में बिल्कुल भिन्न हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ मिलाया नहीं जाना चाहिये। स्थगन प्रस्ताव की पहली सूचना के बारे में सोमवार को एक वक्तव्य दूंगा। सभी तथ्य सभा के सामने रखे जायेंगे और मामले को स्पष्ट कर दिया जायेगा। जैसा कि मैंने कहा है कि दूसरी सूचना के मामले के बारे में कानूनी मसले के बारे में भी तथ्य बताने के लिये तैयार हूं लेकिन उसे अलग से निबटाया जायेगा। प्रविधिक विवादों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा कानूनी पदाधिकारियों की राय के अनुसरण में कार्य किया है। और उस राय की एक प्रति पश्चिमी बंगाल सरकार को दे दी गई है। हो सकता है—मैं नहीं जानता—कि पश्चिमी बंगाल सरकार के वकीलों की राय कुछ दूसरी ही हो। हो सकता है कि यह बात संभव हो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि माननीय सदस्यों के दिमाग में कोई ऐसी बात आये कि हम यह चाहते हैं कि इसके बारे में इस सभा में चर्चा न हो। मेरा विचार है कि इस मामले की चर्चा करने के लिये एक प्रस्ताव की सूचना २ या ३ दिन पहले मेरे पास आई थी और अगर आप चाहें तो हम इसके लिये कोई तारीख निश्चित करलें जिस दिन कि इसे निबटाया जा सके कुछ हद तक मैं इसका स्पष्टीकरण करूं और हो सकता है मेरे कुछ साथी इस विधि की चर्चा करें।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री चौधरी वास्तव में जानना क्या चाहते हैं।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : मेरा स्थगन प्रस्ताव अर्जित राज्य क्षेत्र (विलय) विधेयक के राज्य विधान मंडल को त्रुटिपूर्ण निर्देश के बारे में है। अगर मैंने ठीक समझा है तो सरकार का इरादा संविधान (९वां संशोधन) विधेयक को पश्चिमी बंगाल विधान मंडल को भेजने के पक्ष में नहीं है और न ऐसा करना ठीक ही समझती है। लेकिन अर्जित राज्य क्षेत्र (विलय) विधेयक के बारे में गृह-कार्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री दोनों ने ही कहा है कि इसका निर्देश राज्य विधान मंडल को किया जायेगा। राज्य विधान मंडल ने जो संकल्प पारित किया है उसमें कहा है कि यह निर्देश स्वतः ही त्रुटिपूर्ण है और अगर मेरी जानकारी सही है तो राज्य के उच्चतम प्राधिकारी.....

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उच्चतम प्राधिकारी कौन हैं ?

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : राष्ट्रपति।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : आपका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति ने इस बारे में न तो मौखिक रूप में और न ही लिखित रूप में कुछ कहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी**: राष्ट्रपति ने तो इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है लेकिन प्रधान मंत्री को कानूनन स्थिति देखनी चाहिये। राष्ट्रपति इस विधेयक को पश्चिमी बंगाल के विधान मंडल के पास भेजने के लिये बाध्य हैं और यदि मेरी जानकारी सही है तो यह कहा गया था (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैंने कहा है कि, मैं इस बात के लिये तैयार हूं कि इस बारे में चर्चा की जाये। इस प्रकार चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बार बार राज्य के उच्चतम प्राधिकारी का उल्लेख किया है। जो न्यायसंगत नहीं है। उच्चतम प्राधिकारी ने कभी भी इसका कोई उल्लेख किया है।

†**अध्यक्ष महोदय**: कोई निर्णय करने से पूर्व मैं असली स्थिति जानना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद ३ या ४ के अन्तर्गत जो भी सीमा संबंधी मामला उठाया जाता है वह अंत में इस सभा में आना चाहिये। एक विधेयक तैयार किया जाता है और विभिन्न संबंधित राज्य सरकारों को उसे भेजा जाता गया है उनकी राय जानने के बाद ही यह मामला यहां आयेगा। तब तक हम इस मामले में कोई राय नहीं दे सकते। तब तक हम यह नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति ने प्रधान मंत्री को गलत राय दी अथवा प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को गलत राय दी। यह बात तै करना हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है। नियम में कहा गया है कि वाद-विवाद को प्रभावित करने के लिये राष्ट्रपति का नाम यहां नहीं लेना चाहिये।

जैसा कि मैंने कहा है कि इस चर्चा का उचित समय तभी है जबकि यह विधेयक यहां वाद-विवाद के लिये आता है और तभी हम कह सकते हैं कि इसे विधानमंडल को उचित ढंग से भेजा गया है अथवा नहीं। अथवा इस समय इस पर चर्चा करना समय से पूर्व है। यदि हम समय से पूर्व कोई बात कहते हैं, तो यह अपनी अज्ञानता प्रकट करना होगा।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य): समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार से कि प्रधान मंत्री तथा पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री के बीच इस मामले को लेकर कुछ मतभेद है, भ्रांति उत्पन्न हो गई है।

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रधान मंत्री इसका उत्तर सोमवार को देंगे इस मामले से संबंधित दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि इसके हस्तान्तरण के संबंध में जो परामर्श हुआ है उसके बारे में प्रधान ने एक दूसरा ही वक्तव्य दिया है। दूसरी बात पश्चिमी बंगाल के विधान मंडल द्वारा पारित संकल्प है जहां मुख्य मंत्री ने कुछ बातें कही हैं। इन दोनों बातों के बारे में प्रधान मंत्री सोमवार को एक विस्तृत वक्तव्य देंगे।

दूसरा प्रश्न हस्तानान्तरण के बारे में है। इस संबंध में एक विलय विधेयक है। प्रश्न यह है कि यहां इस विधेयक को लाने से पूर्व विभिन्न संबंधित राज्यों को इसे निर्देश करने के लिये क्या पग उठाये जायें। मैं कहूंगा कि इस बारे में कुछ कहना समय से पूर्व है।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी**: यह मामला इस सभा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हैं क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री ने बताया है कि यह विधेयक संबंधित राज्य विधान मंडलों को भेज दिया गया है। और एक राज्य विधान मंडल ने कहा है कि यह उपयुक्त तरीका नहीं है, यह त्रुटिपूर्ण है। विधान मंडल की परवाह नहीं की गई है।

†**अध्यक्ष महोदय**: खेद है कि भले ही प्रधान मंत्री भी तैयार हों, लेकिन मैं इसकी अनुमति अब नहीं दे सकता। हम नहीं जानते कि हमें क्या करना है। इस समय हम स्थिति में नहीं हैं कि यह

---

†मूल अंग्रेजी में

परामर्श दे सकें कि हमें यह करना चाहिये अथवा यह नहीं करना चाहिये। आज हम यदि यह परामर्श दे देते हैं कि यह करना चाहिये और कल देखते हैं कि हमने गलत सूचना दी तो हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। और हमारे लिये यह कहना असंभव होगा कि यह गलत है। अतः समय से पूर्व हम कोई परामर्श नहीं दे सकते।

अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता। अतः यह मामला सोमवार तक के लिये स्थगित है जबकि प्रधान मंत्री इस बारे में एक विस्तृत वक्तव्य देंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : एक तीसरा प्रश्न भी है। एक और स्थगन प्रस्ताव था जिसकी अनुमति आपने नहीं दी। कराची से समाचार जारी हुआ है कि त्रिपुरा से एक विशेष क्षेत्र का एक भाग देकर बेरूवाड़ी के मामले में कुछ एक प्रकार का समझौता होने जा रहा है। इस मामले को स्पष्ट किया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : हो सकता है कि यह सच हो। मैंने ठीक ही इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बारे में हर रोज नाना प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर बेरूवाड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जिसका कि हस्तान्तरण नहीं किया जाना चाहिये तो सरकार इसके हल के लिये कोई दूसरा ही रास्ता तलाश करेगी। ताकि यह मामला निपट जाये। अगर यहां इसकी चर्चा की जायेगी तो हो सकता है कि कोई राय ऐसी दी जाये कि सरकार को यह करना चाहिये अथवा यह नहीं करना चाहिये और ऐसी स्थिति में जबकि यह मामला अभी तै नहीं हुआ है, इसके बारे में चर्चा करना ठीक नहीं है। यह तो सरकार का काम है कि यह इस दायित्व को ले और फिर सभा के सामने आये। उसके बाद इस सभा को इस बात की छूट है कि वह अपनी राय दे। अतः बातचीत के दौरान में यदि कोई स्थगन प्रस्ताव आता है तो मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा। अतः उस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति मैंने नहीं दी और यह ठीक ही था। अब मैं इस संबंध में अपने विचार नहीं बदलूंगा।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची-पश्चिम अनुसूचित आदिम जातियां) : आपने ठीक ही निर्णय दिया है कि इस बारे में अभी चर्चा की जाये जबकि यह विधेयक सभा के सामने आये लेकिन मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं और वह यह है कि क्या संसद को निरोधक कार्य करने का अधिकार है अथवा नहीं अर्थात् अगर संसद् इस बात को जानती है कि राष्ट्रपति वह कार्य कर रहे हैं जोकि संसद् के क्षेत्राधिकार में आता है तो क्या संसद् उनको ऐसा करने से रोक सकती है। दूसरे शब्दों में यह है कि कोई ऐसा कार्य किया गया है जिसके बारे में इस संसद् से परामर्श नहीं लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक स्थिति क्या है। मैं यह जानना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : संविधान के अनुसार हम उस राय के बारे में यहां चर्चा नहीं कर सकते जो मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है। मंत्रियों द्वारा दी जाने वाली राय में हम कोई संशोधन नहीं कर सकते। अगर कोई कार्यवाही की जाती है तो सरकार ही उसके लिये यहां सभा में उत्तरदायी है।

अतः इस वाद-विवाद को यहां उठाना अनावश्यक है। हमें यह मालूम करने की आवश्यकता नहीं कि क्या और किस प्रकार का परामर्श दिया गया है। हमारा संबंध तो अन्ततोगत्वा उस कार्य से है जो कि किया गया है।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी अतः मुझे बोलने का अवसर दिया जाये ताकि मैं स्थिति का स्पष्टीकरण कर सकूं। प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्री के परस्पर

---

†मूल अंग्रेजी में

विरोधी भाषणों के अतिरिक्त एक बात और है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद क्या यह सच नहीं है नेहरू-नून करार रद्द हो गया है। सरकार को चाहिये कि पाकिस्तान सरकार के साथ नया करार करे। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद नेहरू–नून करार रद्द हो गया है। और इसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। फिर उस करार के आधार पर यह निर्णय कैसे लिया जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस बारे में चर्चा नहीं कर सकते। इस प्रकार के मामले यहां उठाने की अनुमति मैं नहीं दे सकता।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर): मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपके निर्णय से मैं सहमत हूं। कि बातचीत के दौरान में कोई स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जा सकती। क्या आपकी बातचीत से हम यह समझें कि भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच बेरूवाड़ी के स्थान पर कोई भाग देने संबंधी नई बातचीत हो रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने यह बात नहीं कही थी। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे कि हमें तथा देश को कोई कठिनाई हो। किसी राज्य क्षेत्र का हस्तान्तरण इस सभा की अनुमति के बिना नहीं हो सकता।

†**श्री नाथ पाई** : प्रश्न यह है कि क्या बेरूवाड़ी के बारे में पाकिस्तान और भारत सरकार के बीच कोई बातचीत चल रही है। क्या प्रधान मंत्री इस संबंध में कोई वक्तव्य देंगे।

†**श्री हेम बरूआ** (गौहाटी) : क्या जनरल अय्यूब ने रंगून जाते समय ढाका में यह वक्तव्य दिया था कि भारत सरकार ने बेरूवाड़ी के स्थान पर कुछ और प्रबन्ध किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत सरकार को नून-नेहरू करार का पालन करना चाहिये। और पश्चिमी बंगाल सरकार को इसे मानने के लिये तैयार करना चाहिये।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : इसके बारे में भी सोमवार को कुछ कहना मेरे लिये अधिक लाभदायक होगा। लेकिन फिर भी मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि ऐसी कोई बातचीत न हुई है और न हो रही है। स्पष्ट है कि हमने इस मामले पर काफी विचार किया है और कर रहे हैं क्योंकि कानूनी बातों आदि के अलावा इस मामले का संबंध मनुष्यों तथा अन्य बातों से है और यह जरूरी है कि हम इस मामले को यथासंभव अधिकाधिक मैत्री भाव से निबटाने का प्रयत्न करें। अतः हमने इस मामले के सभी पहलुओं का परीक्षण कर लिया है पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

खनिज संरक्षण तथा विकास नियम

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : मैं श्री केशवदेव मालवीय की ओर से खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १९ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३५३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिए संख्या एल० टी० २४८६/६०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

क्षेत्रीय परिषद् अधिनियम तथा अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (१) मैं क्षेत्रीय परिषद् अधिनियम १९५६ की धारा ५४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १९ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२५२ में प्रकाशित क्षेत्रीय परिषद् (संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श) नियम, १९६० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० २४८५-६०]**।

(२) मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूं :—

(क) अखिल भारतीय सेवायें, (मृत्यु व सेवा निवृति लाभ) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २० अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० ९४५।

(ख) दिनांक २० अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० ९४६।

(ग) भारतीय पुलिस सेवायें, (वेतन), निगम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २७ अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० ९८०।

(घ) भारतीय पुलिस (सेवा वेतन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २७ अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० ९८१।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० २३५४–६०।]

सभा का कार्य

†**संसद कार्य-मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं सोमवार, ५ दिसम्बर, १९६० को आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिए जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं जो इस प्रकार होगा :—

(१) आज की कार्य सूची में से बचे किसी सरकारी कार्य पर विचार।

(२) रेलवे अभिसमय समिति के १९६० के प्रतिवेदन पर रेलवे मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले संकल्प पर चर्चा।

(३) १९६०–६१ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।

(४) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पारित किया जाय :

वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक, १९६०।
भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, १९६०।
रेलवे यात्री किराया (संशोधन) विधेयक, १९६०।
त्रिपुरा उत्पादन शुल्क विधि (निरसन) विधेयक, १९६०।
पशुनिर्दयता निवारण विधेयक, १९६०, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में।
औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, १९६०।

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) ६–१२–६० को ३ बजे श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले एक प्रस्ताव पर चीनी के उत्पादन, वितरण एवं निर्यात की वर्तमान स्थिति पर चर्चा।

(६) ८–१२–६० को ३ बजे श्री ही० ना० मुकर्जी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले संकल्प पर भारत में खेल कूदों की वर्तमान स्थिति, विशेष कर हॉकी में हमारी ओलम्पिक खेलों में स्वीकृत धाक की समाप्ति, पर चर्चा।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अब हमने वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक १९६० को संयुक्त समिति को निर्दिष्ट करने का विचार छोड़ दिया है ; अब उस पर विचार कर के उसे पारित किया जाएगा। क्योंकि सरकार इस विधेयक को यथाशीघ्र पारित करना अत्यावश्यक समझती है ।

कार्य मंत्रणा समिति

अट्ठावनवां प्रतिवेदन

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के अट्ठावनवें प्रतिवेदन से, जो १ दिसम्बर, १९६० को सभा में उपस्थित किया गया था, सहमत है ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के अट्ठावनवें प्रतिवेदन से, जो १ दिसम्बर, १९६० को सभा में उपस्थित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभा का कार्य—जारी

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : श्रीमान्, अगले कार्य के लिए जाने के पूर्व मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह समाचार ठीक है कि भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त का प्रतिवेदन इस सत्र में चर्चा हेतु नहीं रखा जाएगा ?

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : जी, हां ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : : क्यों ?

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा उस प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए उत्सुक मालूम होती है । उसके इस सत्र में पेश किए जाने में क्या कठिनाई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्री श्री गो० ब० पन्त : कोई विशेष कठिनाई नहीं है। यदि सभा चाहती है तो हम वैसा कर देंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा मैं उसके लिये समय निर्धारित करूंगा।

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री दातार द्वारा १ दिसम्बर, १९६० को प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी, अर्थात्

> "कि निवारक निरोध अधिनियम, १९६० को अग्रेत्तर अवधि के लिए जारी रखने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

कल यह आपत्ति की गई थी कि इस विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति ने अपनी सिफारिश दे दी है और वित्तीय ज्ञापन भी मेरे पास भेज दिया है।

श्री आचार अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मैं कल यह कह रहा था कि हम इस कानून से खुश नहीं हैं। परन्तु हमारे देश की परिस्थिति ऐसी है कि उस के बिना काम नहीं चल सकता है। कल मेरे पूर्व-वक्ता ने यह कहा था कि इस कानून को स्थायी बना दिया जाना चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूं और मैं चाहता हूं कि उसे यथाशीघ्र खत्म किया जाना चाहिए। उसे केवल उतने समय तक ही कायम रखना चाहिये जब तक कि वह अत्यन्त आवश्यक हो। परन्तु खेद है कि हमारे देश में कानून के प्रति सम्मान की भावना बहुत कम है। छोटी छोटी बातों के लिए भी सत्याग्रह शुरू कर दिया जाता है। हिन्दी से संबंधित सत्याग्रह इसका प्रमाण है। पता नहीं कानून के प्रति ऐसी उदासीनता क्यों बरती जाती है।

†**श्री प्र० ना० सिंह** (चन्दौली) : बुरे कानूनों का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए।

†**श्री आचार** : मैं इस तर्क का उत्तर देना चाहता हूं। कल श्री अशोक मेहता ने उसे विधि-विरुद्ध विधि कहा था। यह ठीक नहीं है क्योंकि यह कानून संविधान में दी गई विधि के अनुसार बनाया गया है। कोई भी कानूनी जानकार इस कानून को विधि विरुद्ध नहीं कहेगा क्योंकि संविधान की दृष्टि से वह सर्वथा विधिवत् है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह कानून लोक-प्रिय भी है क्योंकि उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है।

एक साम्यवादी सदस्य ने कहा कि इस कानून का उपयोग प्रतिशोध के रूप में किया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस कथन को प्रमाणित किया जाय। माननीय मंत्री ने आंकड़े दे कर बताया था कि इस कानून को बहुत सावधानी से काम में लाया गया है। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस से खुश हैं। मैं मानता हूं कि यह कानून खराब है। परन्तु कठिनाई यह है कि बहुत से लोग कानून से भी ज्यादा खराब हैं जिन के काले कारनामों के लिए इस प्रकार का कानून अत्यावश्यक है।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस कानून को जारी रखने की जिम्मेदारी विरोधी पक्षों पर है जो इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करते हैं जिसमें इस प्रकार

---

†मूल अंग्रेजी में

का कानून अपरिहार्य है । उदाहरण के लिए राजापुर के माननीय सदस्य का दृष्टान्त लिया जा सकता है । उन्हें किन परिस्थितियों में बन्दी किया गया था ? समस्त शासन को छिन्न भिन्न करने का प्रयत्न किया जा रहा था । यदि ऐसी स्थिति में किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें कोई गलती नहीं है । हम सभा में भी एक बार ऐसा देख चुके हैं कि अध्यक्ष महोदय के आदेश पर भी एक माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर नहीं गए और उन्हें मार्शल की सहायता से बाहर ले जाना पड़ा ।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं । माननीय सदस्य सभा की घटनाओं का निर्देश कर रहे हैं । उनका निवारक निरोक अधिनियम से क्या सम्बन्ध है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का तात्पर्य यह है कि जब सभा के माननीय सदस्य भी अध्यक्ष पीठ की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो बाहर क्या स्थिति होगी ? वैसे यह ठीक है कि सभा की घटनाओं का निर्देश नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उस से विवाद उत्पन्न होता है । माननीय सदस्य अन्य दृष्टांत पेश कर सकते हैं ।

†**श्री आचार** : मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि जब उच्च स्तर के व्यक्ति ऐसा आचरण करते हैं तो निम्न स्तर के लोग कैसे बच सकते हैं ? यदि विरोधी पक्ष के लोग स्वस्थ वातावरण उत्पन्न करने का प्रयत्न करें तो इस प्रकार का कानून आवश्यक नहीं रह जाएगा । अतः मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का वातावरण शीघ्र उत्पन्न हो सके ताकि यह काला कानून समाप्त किया जा सके ।

आचार्य कृपलानी (सीतामढ़ी) : यह बड़ी विचित्र बात है कि पराधीनता की स्थिति में हमारे साथ जो अन्याय और अत्याचार किए जाते हैं वैसे ही हम भी सत्तारूढ़ होने पर दूसरों के साथ करना चाहते हैं । अंग्रेजों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए एक राजा को फांसी पर चढ़ा दिया था परन्तु उन्होंने स्वयं आधे संसार की स्वतंत्रता छीन ली थी । वैसा ही फ्रांसीसियों, अमरीकिनों, रूसियों तथा चीनियों ने भी किया है । ऐसा मालूम होता है कि न व्यक्ति ही कुछ शिक्षा लेते हैं और न राष्ट्र ही तथा संसार का क्रम वैसा ही चलता रहता है ।

प्रधान मंत्री ने राष्ट्र संघ में यह कहा था कि जब हम गलत रास्ते पर पैर रखते हैं तो बुरा कर्म करते हैं और फिर अधिक नीचे गिरते जाते हैं । यह कानून एक विशेष स्थिति का सामना करने के लिए पारित किया गया था । उस समय यह कहा गया कि स्थिति सुधरते ही वह कानून समाप्त कर दिया जाएगा । परन्तु जैसा कि मैं ने ऊपर कहा एक बार बुरा कर्म करने पर हम बुरा ही करते जाते हैं । इसीलिए यह कानून समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह कानून सर्वथा विधिवत् है । मैं इससे कदापि सहमत नहीं हूं । कानून विधि विरुद्ध हो सकते हैं । रौलट अधिनियम सरकार द्वारा कानूनी ढंग से बनाए गए थे फिर भी हम उन्हें विधि विरुद्ध कहते थे । मेरा निवेदन है कि अंग्रेजी शासन में सामान्य परिस्थितियों में इस प्रकार के कानूनों का प्रयोग नहीं किया जाता था वरन् केवल यद्ध की स्थिति में ही किया जाता था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : यह ठीक नहीं है । अंग्रेजी शासन में अनेक दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम पारित किए गए थे जिनके अन्तर्गत केवल बंगाल में ही हजारों व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे ।

†**आचार्य कृपालानी** : माननीय मंत्री को जानना चाहिए कि वे दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम थे जिनके अन्तर्गत न्यायालयों में अपील की जा सकती है । माननीय मंत्री को भी दांडिक विधि संशोधन विधेयक पेश करना चाहिए । वर्तमान शांतिपूर्ण स्थिति में इस प्रकार का कानून ठीक नहीं है ।

हमारी सरकार का कहना है कि हमारे देश में पूर्ण शांति है और प्रजातांत्रिक शासन कायम है जब कि पड़ौसी देशों में अधिनायक तंत्रों की स्थापना हो चुकी है । मेरा निवेदन है कि उस प्रजातंत्र को इस प्रकार के कानून से कलुषित क्यों किया जा रहा है ? हमें बताया गया कि इस कानून के अन्तर्गत केवल ४०० या ५०० व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्हें साधारण कानून के अन्तर्गत क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया ? ऐसी अनेक धारायें हैं जिनके अन्तर्गत लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है फिर आप ये असाधारण शक्तियां क्यों प्राप्त करना चाहते हैं ?

जब यह विधेयक पहली बार सरदार पटेल द्वारा पेश किया गया था तो सभा में यह आशंका व्यक्त की गई थी कि उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण किया जा सकेगा । सरदार पटेल ने उसके संबंध में खेद प्रकट किया था परन्तु अब तो उसे ऐसा समझा जाने लगा है जैसे कोई साधारण बात हो ।

इस अधिनियम का एक उपबन्ध पड़ोसी देशों के साथ अमैत्रीपूर्ण संबंध उत्पन्न करने के विरुद्ध है । यदि मैं चीन के विरुद्ध कुछ कहता हूं तो मुझे इसके अन्तर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है । मेरा निवेदन है कि हम बाहरी खतरों की बात तो करते हैं परन्तु देश के अन्दर के खतरों की ओर ध्यान नहीं देते हैं । जब तक देश में वर्गीय, सामाजिक, साम्प्रदायिक एवं प्रान्तीय भेद-भाव रहेगा तब तक अपराधियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही प्रभावी नहीं होगी । वास्तव में हमारे नेतागण स्वयं इन भावनाओं को प्रोत्साहन देते हैं । यदि शासक दल अपनी दलीय एकता रखने में असमर्थ हैं तो देश की एकता कैसे कायम रख सकेगा ? जब तक देश में भ्रष्टाचार रहेगा देश में समृद्धि संभव नहीं है। देश को केवल कानूनी साधनों से नहीं बचाया जा सकता है । अतः नैतिक उत्थान आवश्यक है । हमें आत्म विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि हम स्वयं अपने सब से बड़े शत्रु हैं और इसीलिए देश के भी शत्रु हैं ।

†**श्री याज्ञिक** (अहमदाबाद) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । इसके संबंध में पंजाब तथा आसाम की स्थिति का उल्लेख किया गया है । मैं नहीं समझता कि इस से आसाम की समस्या सुलझाने में तनिक भी सहायता मिली होगी । सीमान्तों के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में सुधार हो रहा है और चीन के सम्बन्ध में भी तनाव काफी कम हो गया है । परन्तु हमारे देश का शासन मनमाने ढंग से चलाया जा रहा है जिसमें जनता की स्वतंत्र इच्छा का तनिक भी ध्यान नहीं किया जाता है । ऐसी स्थिति में गान्धी जी ने सहयोग आन्दोलन की शिक्षा दी थी जो सशस्त्र विद्रोह का एकमात्र विकल्प है । अपनी सरकार होने पर भी असहयोग

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्दोलन सर्वथा उचित है जैसा कि श्री विनोबा भावे ने हाल में गुजरात में दौरा करते हुए बताया था । आज की स्थिति अत्यन्त गंभीर है । सरकार अधिकाधिक ऋण ले रही है और मूल्य बढ़ते जा रहे हैं । यदि सरकार यह समझती है कि इस निवारक निरोध अधिनियम से विभिन्न सत्याग्रह तथा असहयोग आन्दोलन खत्म हो जायेंगे तो यह ठीक नहीं है । जब तक देश की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक ये आन्दोलन खत्म नहीं होंगे ।

निवारक निरोध अधिनियम को विधि विरुद्ध विधि कहने पर श्री आचार ने आपत्ति की है । मेरा विचार है कि यह अधिनियम रौलट एक्ट से भी अधिक खराब है क्योंकि इसके अन्तर्गत किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जा सकती है । महागुजरात आन्दोलन में इस अधिनियम के अन्तर्गत जिन ३० व्यक्तियों को यर्वदा जेल में बन्द किया गया था वे वास्तव में लोगों से शांतिपूर्ण तरीके अपनाने के लिए कह रहे थे । वातस्व में इस अधिनियम के क्रियान्वयन से स्थिति और भी खराब होती जा रही है जैसा कि पंजाब में मास्टर तारासिंह की निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारी के कारण हुआ है । जब ब्रिटिश सरकार ने रौलट एक्ट पास किया था उस समय की स्थिति वर्तमान स्थिति से कहीं अधिक खराब थी । इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री से इस अधिनियम के बढ़ाए जाने की वांछनीयता के सम्बन्ध में पुनः विचार करने का अनुरोध करूंगा । यदि संभव हो तो इस मामले को विधि आयोग को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, उसकी सलाह ली जानी चाहिए और देश की परिनियम पुस्त से इस धब्बे को सर्वथा उड़ा दिया जाना चाहिए ।

श्री प्र० ना० सिंह : श्रीमन्, चूंकि मैं इस काले कानून में स्वतः भुक्त भोगी हूं, इसलिए थोड़े अधिक समय की इंडलजेंस चाहूंगा ।

निरोधक नजरबन्दी कानून की अवधि को बढ़ाने के सिलसिले में सरकार की तरफ से इस सदन के सामने एक प्रस्ताव रखा गया है और इस प्रस्ताव को रखते समय दातार साहब ने जो भाषण किया है उसको मैंने बड़ ध्यान से सुना है । लेकिन मुझे उस भाषण में कोई ऐसी दलील नजर नहीं आई जिससे यह पता चलता हो कि इस कानून की अवधि को, इसके जीवन को बढ़ाये जाने की कोई आवश्यकता है । सन् १९५० में जब यह कानून यहां आया और समय समय पर दो साल के लिए या चार साल के लिए, जब जब इसकी अवधि बढ़ाने का सवाल पेश होता रहा है तब तब यही दिखाई पड़ता रहा है कि इस निरोधक नजरबन्दी कानून को जितनी जल्दी खत्म किया जाए उतना ही अच्छा है ।

संविधान सभा में डा० अम्बेडकर ने आर्टिकल १५(ए) को जुड़वाने के लिए जो बातें कही थीं उनमें से एक यह थी कि प्रिवैंटिव डिटेंशन बनाने का कारण यह है कि अभी भारत की स्थिति स्पष्ट नहीं है, राजनीतिक पार्टियां भविष्य में क्या करेंगी, उनका क्या रोल होगा, स्पष्ट नहीं है और चूंकि उस समय असाधारण स्थिति देश में विद्यमान थी इसलिए संविधान के अन्दर प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात आई । मैंने कंस्टिट्युएंट असैम्बली की बहस को देखा है । उस समय बहस में श्रीमन्, आपने भी हिस्सा लिया था । प्रिवेंटिव डिटेंशन के सिलसिले में श्रीमन् की तरफ से भी एक सुझाव दिया गया था कि कम से कम छः महीने के बाद जो लोग डिटेन किए जाते हैं, उनके केसिस को रिव्यू किया जाना चाहिए । इसी के साथ साथ महात्मा गांधी के नेतृत्व में हम सभी लोगों ने इस देश की आजादी के

†मूल अंग्रेजी में

संग्राम में भाग लिया है और मैं अपने को इस बात के लिए सौभाग्यमान समझता हूं कि देश की आजादी की लड़ाई में ट्रेजरी बैंचिज पर जो लोग बैठे हुए हैं जिस तरह से उन्होंने भाग लिया है उसी तरह से मैं ने भी भाग लिया है और तीन साल के लिए मैं लगातार डिफेंस आफ इंडिया रूल्ज के अन्तर्गत बन्द रहा हूं सन् १९४२ के जमाने में जबकि मैं एक विद्यार्थी था ।

मैंने उस समय का सरदार वल्लभ भाई पटेल का भाषण देखा और उन्होंने उस समय की स्थिति को अपने भाषण में रखा और कहा कि हिन्दुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिससे हिन्दुस्तान की सीक्योरिटी को खतरा हो सकता है । लेकिन इस सिलसिले में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में भी स्थिति बदल चुकी है । जब कि तेलंगाना की घटनाएं हुई उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का इनसरेक्शन में विश्वास था लेकिन अब हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी जनतंत्री व्यवस्था में विश्वास करती है और हिन्दुस्तान की मौजूदा हुकूमत को जनतंत्री तरीके से बदलने का विचार रखती है । ऐसी हालत में मैं कहूंगा कि जब डा० अम्बेडकर ने संविधान सभा में निरोधक नजरबन्दी कानून को रखा और जिस स्थिति में सन् १९५० में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस सदन में इस कानून को पेश किया, उस स्थिति में और आज की स्थिति में बड़ा अन्तर आ गया है । सन् १९५० से दस साल गुजर गए और इन दस सालों में हम महसूस करते हैं कि स्थिति बदल गयी है और जो आशंकाएं पहले थीं वे अब नहीं रही हैं । अब हिन्दुस्तान में कोई पार्टी हुकूमत को बदलने के लिए सशस्त्र रास्ता नहीं अपनाना चाहती बल्कि आज सारी पार्टियां मौजूदा हकूमत को बदलने के लिए या अपने दल की सरकार बनाने के लिए जनतंत्री पद्धति का इस्तेमाल करना चाहती हैं ।

मैंने देखा कि इस समय जो स्थिति है उसके संबंध में कोई विशेष बात नहीं कही गयी । बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि सीमा का मामला सामने है और कुछ लोग इस देश के अन्दर सीमा के बारे में भिन्न राय रखते हैं, इसलिये इस कानून की आवश्यकता है । लेकिन श्री दातार के भाषण से मैं नहीं जान सका कि सरकार भी इस चीज़ को ऐसा ही समझती है या नहीं । सीमा के मामले में प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उससे मौजूदा हालत में कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, कोई इमरजेंसी की हालत नहीं है । जब हिन्दुस्तान में ऐसी स्थिति हो तो उस स्थिति में इस निरोधक नजरबन्दी कानून को जारी रखना और इसकी अवधि को बढ़ाना किसी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता ।

इसी के साथ जब हमारे राज्य मंत्री श्री दातार साहब इस सदन के सामने यह बात रखते हैं कि इस निवारक नजरबन्दी कानून की अवधि को बढ़ाया जाये, तो हम यह भी जानना चाहेंगे कि जो पिछले दस साल गुजरे हैं उनमें इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं हुआ । हम जानना चाहेंगे कि इसका किस तरह इस्तेमाल हुआ । साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या हिन्दुस्तान में ऐसी स्थिति आज है कि इस कानून को जारी रखा जाये । मैं इस बात को दिखाना चाहता हूं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया गया है । इसलिये मैं साफ तौर से सदन को कहना चाहूंगा कि इस कानून की अवधि को नहीं बढ़ाना चाहिये । कल श्री दातार ने अपने भाषण में कहा कि इस कानून का इसलिये इस्तेमाल नहीं किया गया कि राजनीतिक पार्टियों के कार्यों को और आंदोलनों को स्टाइफिल किया जाये । इस संबंध में मेरे पास जो आंकड़े हैं उनको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं । सन् १९५९–६० में २१६ आदमी गिरफ्तार हुये निरोधक नजरबन्दी कानून के अधीन । उनमें से ८७ आदमी ऐसे हैं जो कि राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखते हैं, ७० आदमी गुंडाइज्म के लिये हैं और कुछ लोग अपने यहां डाकुओं को शरण देने के लिये हैं । सन् १९६० में

[श्री प्र० ना० सिंह]

सितम्बर तक १५३ आदमी गिरफ्तार किये गये हैं जिनमें से आठ राजनीतिक पार्टियों से संबंधित बताये जाते हैं। लेकिन ३४, ३६ या ३७ और आदमी ऐसे हैं जो कि इसेंशियल सप्लाईज के सिलसिले में गिरफ्तार हुये हैं महाराष्ट्र के सत्याग्रह के सिलसिले में और रेलवे सत्याग्रह के सिलसिले में और वह तमाम राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखते हैं। अगर हम इस संख्या को भी जोड़ें तो सन् १९६० में सितम्बर तक इस कानून के अधीन गिरफ्तार लोगों में राजनीतिक पार्टियों के लोगों की संख्या ४०, ४२, ४५ या इससे भी ज्यादा होगी।

इस कानून का मंशा यह है कि इसका उपयोग उन लोगों के खिलाफ किया जाये जिनसे स्टेट की सीक्योरिटी को या देश के डिफेंस को खतरा हो। इस सिलसिले में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सन् १९५९ में जो लोग इस कानून के अधीन गिरफ्तार किये गये उनमें डिफेंस के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये लोगों की संख्या पांच ही थी। इस कानून का उपयोग उन लोगों के विरुद्ध किया जाता जिनसे कि देश की प्रतिरक्षा को खतरा होता या देश की सुरक्षा को खतरा होता तो यह बात समझ में आ सकती थी क्योंकि यही इस कानून का मंशा है। लेकिन सन् ५९ में इस सिलसिले में केवल पांच आदमी गिरफ्तार किये गये और सन् १९६० में इस सिलसिले में एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि इसका लगातार इस्तेमाल ऐसे कार्यों के लिये किया जाता है जो राजनीतिक विरोधी पार्टियों के लोग करते हैं।

मैं इस सिलसिले में एक और उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री जी इस समय मौजूद हैं। उनको याद होगा जो जो घटनायें उनके सामने हुई देश की आजादी की लड़ाई के सिलसिले में। उस समय उनका विशेष स्थान था और मौजूदा हालत में भी गृहमंत्री महोदय का देश में एक विशेष स्थान है, चाहे वह उत्तर प्रदेश का मामला हो या देश के किसी अन्य भाग का। आचार साहब ने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी तो सत्याग्रह करना चाहती है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक सत्याग्रह का सवाल है, देश को यह फैसला करना है कि जनता के असन्तोष को अहिंसा के माध्यम से व्यक्त किया जाये या हिंसा के माध्यम से व्यक्त किया जाये। अगर मौजूदा सरकार यह समझती है कि जनता के असन्तोष को हिंसा के माध्यम से ही व्यक्त किया जाये तो यह मौजूदा सरकार को मुबारक हो। हम तो यह नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो और लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता जबकि अहिंसा का रास्ता अपनाया जाये। इसलिये हम अहिंसात्मक आंदोलन द्वारा जनता के मौजूदा असन्तोष का साथ देना चाहते हैं।

दातार साहब ने मणिपुर की चर्चा की और कहा कि वह बार्डर का इलाका है और वहां पर सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने सत्याहग्रह शुरू कर दिया और वहां रेसपांसिबिल गवर्नमेंट की मांग की। अगर हमने रेसपांसिबिल गवर्नमेंट की मांग की तो कौन सा बेजा काम किया। आप वहां के लोगों को रेसपांसिबिल गवर्नमेंट न देकर गलती करते हो और यदि हम लोग उसकी मांग करते हैं तो इसमें क्या बेजा है। वहां पर जो पहले रेसपांसिबिल गवर्नमेंट थी उसको हटाकर आपने वहां ब्योरेक्रेटिक रेजीम स्थापित कर दी। अगर वहां की जनता कहती है कि रेसपांसिबिल गवर्नमेंट के वक्त में जो उसकी हालत थी उससे आप अच्छी हालत पैदा करें तो इसमें असाधारण बात क्या है।

सन् १९५४ में डा० राम मनोहर लोहिया मणिपुर गये पर उनको वहां के कानून की धारा १०७/११७ के अधीन गिरफ्तार करके बन्द कर दिया। उसके बाद सेशन जज ने उनको छोड़ दिया, लेकिन बाहर निकलते ही उनको निरोधक नजरबन्दी कानून के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया पर हाईकोर्ट ने उनको छोड़ दिया। फिर भी यहां कहा जा रहा है कि वहां मूवमेंट फ्रिजिल आउट हो गया। इस पार्लियामेंट के एक सदस्य हैं श्री अचा सिंह, उनको अभी तक नहीं छोड़ा गया है और

कहा जाता है कि मूवमेंट खत्म हो गया और सारे लोगों को छोड़ दिया गया है । श्री अचा सिंह उस इलाके के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह मणिपुर के लोगों की रेसपांसिबिल गवर्नमेंट की आकांक्षा को व्यक्त करते थे । उनकी आकांक्षा को पूरा नहीं किया गया और उनको अभी तक बन्द किया हुआ है और कहा जाता है मूवमेंट खत्म हो गया ।

मेरी नजरबन्दी के संबंध में भी हाउस में चर्चा की गयी थी । मैं इस सिलसिले में गृहमंत्री जी से इतना ही कहना चाहता हूं कि आज यह स्थिति है कि नौकरशाही दिन पर दिन गिरती जा रही है । मौजूदा सरकार के मंत्री सामंतवाद का तरीका बरत रहे हैं अगर कोई मंत्री किसी जिले में चला जाता है तो आप देखें कि नौकरशाही उसके पीछे लगी हुई है । अगर कोई जिले का ही मंत्री हुआ तो वे लोग २४ घंटे उसी के पास रहते हैं । अगर यह सामन्तवाद नहीं है तो क्या है । यह लोकतंत्र का तरीका नहीं है । अगर आपके मंत्री सामन्तवादी तरीके से रहते हैं तो मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन मैं गृहमंत्री महोदय का ध्यान अपने केस की ओर दिलाना चाहता हूं । अब तो उसका फैसला हो गया और एक बहुत लम्बा जजमेंट दिया गया है, जिसकी मुझे नकल भी अभी नहीं मिल सकी और शायद गवर्नमेंट को भी नहीं मिल पायी है । लेकिन जो मेरे पास सरटीफाइड कापीज हैं उनके आधार पर मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । मुझे इस कानून के सेक्शन ३ के क्लाज १ ए० के सब क्लाज २ और तीन में मेनटिनेंस आप पबलिक आर्डर और सिविल सप्लाइज के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया लेकिन जो चार्ज मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने दिया उसके आपरेटिव पोरशन में वह कहते हैं कि पूर्वोक्त कारणों से मुझे विश्वास है कि आप इस तरह की कार्यवाही कर सकते हैं जो लोक शांति में बाधक हो ।

पबलिक आर्डर के लिये गिरफ्तार किया जाता है । डिटेंशन आर्डर के सिलसिले में जो कारण बतलाये गये हैं उन में यह कहा गया है कि मेनटेनेंस आफ पबलिक आर्डर के लिये आपका डिटेंशन जरूरी है । वह आदेश धारा ३ के उपखंड १ के उपखंड (क) के पद (२) और (३) के मातहत दिया गया था और वह आर्डर मेनटेनेंस आफ पबलिक आर्डर के सिलसिले में था और साथ ही मैं मेनटेनेंस आफ इसेंशिएल सप्लाइज के सिलसिले में भी था । आर्डर तो इन दोनों के लिये था लेकिन जो चार्ज देते हैं उसमें केवल मेनटेनेंस आफ इसेन्शियल सप्लाइज का जिक्र आता है औपरेटिव पोर्शन उसी की बाबत है । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि क्या इस बात को देखा नहीं जा सकता है कि आज हमारे देश में नौकरशाही कितनी लापरवाह बनती जा रही है ? मैं इस बात को स्पष्ट कहूं कि यह मामला हाईकोर्ट में भी उठा था । मैंने अपनी पेटीशन में स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा था कि मैं उत्तरप्रदेश के गृह-मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी का विरोधी रहा हूं। असेम्बली के चुनावों में सन् १९५७ के चुनावों में मेरा उनका डाइरैक्ट कंटैस्ट रहा । दो दिन तक तो मैं इलेक्शन में लीड करता रहा लेकिन तीसरे दिन मैं उनके खिलाफ नैरो मार्जिन से हारा और बाद में उसी इलाके में मैं पार्लियामेंट का मेम्बर चुना गया । इसलिये उत्तर प्रदेश के होम मिनिस्टर साहब का मेरे प्रति जो रुख है वह एक अच्छा रुख नहीं है । अब श्री त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के होम मिनिस्टर नहीं रहे हैं । खैर वे रहें या न रहें मुझे इससे कोई सरोकार नहीं । वैसे वे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, भले आदमी हैं और पंत जी उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं । मैं भी चूंकि उसी शहर का हूं जिस शहर से कि श्री त्रिपाठी का संबंध है इसलिये मैं भी उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं । यहां पर मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि उस समय जो वहां के अधिकारी लोग थे उन अधिकारियों पर यह एक असर था कि इस प्रभु नारायण सिंह को बन्द करो जैसे भी हो फिर ऊपर पूछने वाला तो कोई है नहीं । ऊपर कोई देखने वाला तो है नहीं । माननीय गृह मंत्री महोदय के पास जब केन्द्र में यह मामला आया था तो उचित तो यह था कि गृह मंत्री महोदय स्वतः इस मामले को देखते और उनको सारे जरूरी कागजात और रेकार्ड्स वगैरह को देखना भालना चाहिये था ।

[श्री प्र० ना० सिंह]

मेरे केस को लेकर हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वह लगभग ९० सफे का है और उसमें विस्तार से बतलाया गया है कि किस तरह से मेरे बारे में प्रीवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट की एक एक धारा का उल्लंघन किया गया है। सैक्शन ३ जिसके कि अन्दर एप्रूवल होना चाहिये वह एप्रूवल नहीं है और सैक्शन ७ के बमुजिब जो नोटिस मिलना चाहिये वह नोटिस नहीं मिला।

ग्राउन्ड्स औफ डिटेंशन मिलनी चाहिए वह नहीं मिलीं। हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस मामले में अधिनियम की धारा के तीनों तत्वों की घोर अवज्ञा की है। इसके बाद कई और चीजों के सिलसिले में कहा गया है कि वह बोर्डर लाइन केस था। मैलाफाइडी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब मैलाफाइडी साबित करना बड़ा मुश्किल है और इस का साबित करना इतना मुश्किल कार्य है जिसका कि कोई ठिकाना नहीं। अब पूरा जजमेंट तो मुझे अभी तक नहीं मिल सका लेकिन उस के थोड़े से पोर्शन्स् प्रैस में बहुत वाइड्ली रिपोर्ट हुए हैं। मैं जनाब की इजाज़त से गृह-मंत्री महोदय और सदन् का ध्यान २ नवम्बर, के लीडर में प्रकाशित उस जजमेंट के हिस्सों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिनमें यह कहा गया है कि माननीय न्यायाधीशों ने कहा कि अधिनियम की धारा ३ के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन का आदेश निरोध के आदेश के पश्चात् १२ दिनों के अन्दर नहीं पास किया गया। उससे जिलाधीश के मूल आदेश में काफी संपरिवर्तन हो गया था इसलिए उसे अनुमोदन आदेश नहीं समझा जा सकता। माननीय न्यायाधीशों ने खण्ड ७ पर भी विचार किया और यह मत व्यक्त किया कि इस मामले में धारा ७ के तीन तत्वों में से एक की बड़ी निर्दयता से उपेक्षा की गई है।

हाई कोर्ट का जजमेंट काफी लम्बा है। तीन दिन तक हाई कोर्ट जजमेंट डिक्टेट करता रहा और सात आठ दिन तक हाई कोर्ट में आर्गुमेंटस चलते रहे। मैलाफाइडी से संबंधित हिस्सों में यह कहा गया है कि वे मामले अनिवार्यतः प्राधिकारियों की बदनीयती के परिचायक नहीं थे। ऐसी कठिनाइयां संबंधित प्राधिकारियों की अदक्षता अथवा लापरवाही के परिणाम-स्वरूप हो सकती हैं। उनके सामने जो मामले नित्य आते हैं उन में प्राधिकारियों की अनेक गंभीर चूकें तथा अनियमितितायें मिली हैं। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि वे गलतियां किसी प्रकार की बदनीयती से की गई हैं। फिर भी प्रार्थी की ओर से लगाए गए आरोपों को सर्वथा निराधार नहीं कहा जा सकता है।

मैं इस चीज को कहना चाहता हूं कि शासक दल द्वारा किस तरीके से अपने राजनैतिक विरोधियों को दबाने के लिए इस निरोधक नज़र बन्दी कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी सिलसिले में जो और भी समय समय पर गिरफ्तारियां होती रहीं हैं और जिस मन-माने और गलत सलत तरीके से होती रही हैं उन को श्रीमान् ने खुद देखा होगा। संविधान परिषद् में इस पर बहुत बहस हुई थी। मुझे करीब डेढ महीने के लग गये कि किसी तरह से मैं अपनी पेटीशन तैयार कर सकूं। डेढ महीने की मुतवातिर लिखा-पढ़ी के बाद जाकर कहीं मुझे अपनी पेटीशन हाई कोर्ट में दाखिल करने की इजाजत मिल पाई थी। डेढ़ महीने के बाद मेरी पेटीशन हाई कोर्ट में जाती है।

इसी के साथ साथ एक दूसरी दिक्कत हमारे सामने है। यह कहा जाता है कि ऐडवाइजरी बोर्डस् बना दिये गये हैं। अब यह ऐडवाइजरी बोर्ड्स् क्या हैं? अब मैं इसके संबंध में अपने माननीय गृह-मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन ऐडवाइजरी बोर्ड्स

में यह जो आपने आई० ए० एस० आफिसर्स को जज बना दिया है और उनको इन बोर्ड्स का चेअरमैन बनायेंगे तो उस हालत में कैसे हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि वह आई० ए० एस० आफिसर्स उन बोर्ड्स में बैठ कर हमारा ठीक से फैसला कर सकेंगे ? अलबत्ता अगर प्रीवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट में आप यह व्यवस्था रखते कि सुप्रीम कोर्ट को जज और चीफ जस्टिस ऐडवाइजरी बोर्डस में रहें तो उन से सही तौर पर इंसाफ मिलने की उम्मीद की जा सकती थी। यह सही है कि संविधान ने सर्टेन प्राविजन्स दे दिये हैं और उस के खिलाफ आप नहीं जा सकते है और इसलिये आपको ऐडवाइजरी बोर्ड्स की इस तौर पर व्यवस्था करनी पड़ती है ।

अब मेरा केस ४, ५ जुलाई को एडवाइजरी बोर्ड से आया। ५ तारीख को मुहर्रम था। और उस दिन हाई कोर्ट बंद था । मैंने एडवाइजरी बोर्ड से रिक्वैस्ट किया कि यदि सलाहकार परिषद् के माननीय सदस्यगण इस चीज को चाहें और मैं भी स्वयं थोड़ा समय चाहता हूं तो दूसरे दिन मेरा केस हो जाय। लेकिन सुनवाई को टाला नहीं गया और यह फैक्ट की बात है कि ५ जुलाई को लखनऊ की अवध बेंच पर पूरा हाई कोर्ट खुलवाया गया और मुझे कहा गया कि इंतजार हम नहीं कर सकते और हमें तो अभी फैसला देना है और चुनांचे ४, ५ जुलाई को जबकि मुहर्रम था, मुहर्रम की छुट्टियां थीं, उस समय अवध बैंच का हाई कोर्ट खोला गया और उस में मेरा केस बाकायदा लिया गया। अब हम तो परेशान थे ही बेचारे चपड़ासी और अहलकारान भी सब के सब उसी एक केस के कारण परेशान थे और सचमुच में ही उन बेचारों को तो मुहर्रम ही हो गया। मैं तो चाहता था कि मुझे एक दिन का मौका मिल जाय लेकिन हाई कोर्ट अपना फैसला देने के लिए डिटरमिंड था।

आप सैक्शन ७ के सब क्लाज २ में कह चुके हैं कि यदि कोई बात पबलिक इंटरैस्ट में नहीं होगी तो वह ग्राउन्ड्स में नहीं दी जायेगी । ऐडवाइजरी बोर्ड्स में डैटीन्यू के बिहाफ पर प्लीडर्स और वकील लोग प्लीड नहीं कर सकते दें और ऐसी हालत में हम इन ऐडवाइजरी बोर्ड्स से क्या उम्मीद रख सकते हैं? चाहे कोई बड़े से बड़ा लाइयर क्यों न रहा हो लकिन अगर वह पांच, सात या दस वर्ष प्रैक्टिस का काम छोड़ दे और दूसरी लाइन में चला जाय तो वह पूरी तरह गुड्स डेलीवर नहीं कर सकता है और कुदरती तौर पर उस से यह उम्मीद करना कि वह पूरी तरह महारत से पूरे ला प्वाएंट्स को डील कर सकेगा सही न होगा । अब हमारे स्वयं माननीय गृह मंत्री अपने समय के एक माने हुए वकील रहे हैं लेकिन अब अगर यह कहा जाय कि ऐडवाइजरी कमेटी के सामने वह किसी डैटीन्यू का केस प्लीड करें तो यह जरा कठिन होगा क्योंकि वह सारी ला की बातें उनको याद आती चली जांय यह जरा मुमकिन नहीं होता मालूम देता और हो सकता है कि उनको वह सब बातें याद न हों जो कि उस केस के सम्बन्ध में जरूरी हैं।

हमारे त्यागी जी ने भारतीय संविधान सभा में कहा था कि अगर इस प्रीवेन्टिव डिटेंशन के विरुद्ध शिकायतें आयेंगी कि इसका किन्हीं व्यक्तियों अथवा राजनैतिक पार्टियों पर दुरुपयोग हुआ है तो वे इस को जारी नहीं रखेंगे । अब इस के दुरुपयोग का सब से बड़ा सबूत श्रीमन् यह है कि केरल में जिन के कि लिए आप कहते हैं कि वे डिक्टेटरशिप की मान्यताओं में पले रूज हुए लोग हैं, ऐसे लोगों की हुकूमत केरल में थी और आप ने आन्दोलन चलाया और उनकी सरकार को खत्म करने का आन्दोलन चलाया । उस आन्दोलन में हम आपके साथ नहीं थे । और हम ने यहां भी पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के और प्रेसीडेंट के इंटरवेंशन के खिलाफ वोट दिया था । जहां वह गवर्नमेंट को खत्म करने

[श्री प्र० ना० सिंह]

के लिए इतना ज़बर्दस्त आन्दोलन चलाने के बावजूद सरकार ने प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट का इस्तेमाल नहीं किया। इस से प्रकट होता है कि विरोधी दल इस विषय में ज्यादा उदार साबित हूए हैं और आगे भी उदार साबित होंगे ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय त्यागी जी को संविधान सभा में जो खतरा महसूस हुआ था, उस को उन्हें अपने दिल से निकाल देना चाहिए। यह एक काला कानून है, जो कि हिन्दुस्तान के स्टैट्यूट बुक पर है । तेरह वर्ष की आज़ादी के बाद भी इस को कायम रखना हमारे लिए कलंक की बात है । इस बात की कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं है कि इस को एक मिनट के लिए भी हमारे स्टैट्यूट बुक पर बना रहने दिया जाये ।

†श्री महन्ती (टकानाल) : यह विधयक स्थायी तो नहीं हो सकता, इस तथ्य को तो मंत्री महोदय भी स्वीकार करते हैं। कुछ असाधारण स्थिति का मुकाबला करने के लिए यह अपेक्षित था, परन्तु बार बार इसकी अवधि को बढ़ाया जा रहा है। इस समय इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या ऐसी आकस्मिक परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं, जिनमें ऐसा विधान बनाना जरूरी है? १९५० से लेकर आज तक जो अधिनियम का इतिहास रहा है वह आपके समक्ष रखा जा चुका है। सार रूप में बात यह कि सरदार पटेल, राजा जी और डाक्टर काटज सभी अपने अपने काल में गृह-कार्य मंत्री की हैसियत से यही कहते रहे हैं कि यह अस्थायी काल के लिए है और इसके द्वारा किसी प्रकार की राजनीतिक विचार धारा को दबाने का प्रयत्न नहीं किया जायेगा। वर्त्तमान गृह-कार्य मंत्री भी यही कहते हैं। परन्तु देखना यह है कि क्या वर्तमान अवस्था में इस अधिनियम की सरकार को जरूरत है?

इस अधिनियम के अधीन ३१ दिसम्बर, १९५९ से ३० दिसम्बर, १९६० के बीच जितने व्यक्ति नजरबन्द किये गये उनके आंकड़ों का अध्ययन करने से पता चलता है कि उनमें से कम से कम ७० प्रतिशत हिंसात्मक कार्यों और गुंडागर्दी के कारण नजरबन्द किये गये थे। परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि जब हम गुंड़े नजरबन्दों के मामले के उच्च न्यायालय के समक्ष लाये गये तो इन नजरबन्दों के मुकदमों के फैसलों में यह विचार व्यक्त किया गया था कि यदि पुलिस कथित गुंडों का अपराध सिद्ध नहीं कर सकती थी तो इस अधिनियम का आश्रय नहीं लिया जाना चाहिए था। सुरक्षा और शान्ति बनाये रखने के लिए इस अधिनियम का उपयोग एक आसान उपाय' के रूप में किया जाता है। गुंडों को रोकने के लिए सामान्य कानून का आश्रय लिया जाना चाहिए।

सरकार को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को किसी छोटी सी अवधि के लिए भी नजरबन्द कर सके। यह अधिकार नैतिक अथवा राजनीतिक दोनों कारणों से ही बुरा प्रभाव डालता है। इस अधिनियम के अधीन नजरबन्दी के जो कारण दिये जाते हैं उनमें यह भी कहा जाता है कि उनसे भारत की सुरक्षा को खतरा है। परन्तु उन आधारों पर इस अधिनियम का उपयोग नहीं किया गया है। जिन अवसरों पर इस अधिनियम का उपयोग किया जाना चाहिए था उन पर उपयोग करने में सरकार नितान्त असफल रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सारी स्थिति का अध्ययन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस विधान की कोई आवश्यकता नहीं है न ही आज के वातावरण में इसका औचित्य ही सिद्ध किया जा सकता है। अराजकता को रोकने के लिए निर्माण किया जा रहा यह कानून स्वंय ही अराजकता पर आधारित है। अतः मेरा मत है कि इसकी अवधि नहीं बढ़ायी जानी चाहिए।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : मेरा मत है कि निवारक नजरबन्दी के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण उचित प्रकार का नहीं है। माननीय मंत्री ने बताया है कि यह विधान बहुत दिन से चल रहा है और आज तक केवल ५०० व्यक्तियों पर इस का प्रयोग हुआ है। मंत्री महोदय को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह कांग्रेस के प्रतिनिधि के नाते जहां है जिसका कि शानदार इतिहास और महान परम्परायें हैं। गत ७०, ७५ वर्षों से वह निरन्तर स्वतन्त्रता और नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करती चली आ रही हैं। उसकी नीति यही थी कि प्रत्येक प्रकार के दमनकारी विधानों का विरोध किया जाय। इसी बात ने ही तो जनता के समक्ष स्वतन्त्रता का सिद्धान्त प्रस्तुत किया था। इसी से प्ररित होकर ही भारत की जनता कांग्रस का समर्थन करती आई है। कांग्रस के हाथ में शक्ति आई तो लोगों ने समझा कि अब उनकी पुरानी कठिनाईयां और दुःख दूर हो जायेंग। परन्तु इसके विपरीत आज बड़ी विचित्र बातें देखने को मिल रही हैं। उस अधिनियम को जिस को मूलतः केवल एक वर्ष के लिए पारित किया गया था उसकी अवधि बार बार बढ़ाते चले जाना कांग्रस सरकार के लिए शोभा की बात नहीं हो सकती। यह मानव स्वभाव ही है कि एक बार हाथ में आई शक्ति को छोड़ने के लिए दिल नहीं करता और शायद इसी लिए गत दस वर्षों से बराबर इस विधान की अवधि बढ़ाई जा रही है।

इस अधिनियम की सबसे बुरी बात यह है कि जो भी राज्य इसका प्रयोग करता है उसका नैतिक पतन हो जाता है। इस अधिनियम का प्रयोग बम्बई और कलकत्ता में सब से अधिक किया गया है और वही राज्य अपने आप को सब से अधिक प्रगतिशीलमानते हैं। मेरा अनुभव यह है कि जो लोग इस अधिनियम के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं वही इसका दुरुपयोग करते रहे हैं। कई व्यक्तियों को इसलिए नजरबन्द कर दिया गया क्योंकि उनके राजनीतिक विचार पदासीन दल से नहीं मिलते। महाराष्ट्र के उन नजरबन्दों का मामला, जो बरार को पृथक करना चाहते थे, इसी प्रकार का मामला है। कुछ लोगों की नजरबन्दी के लिए बताये गये कारणों को न्यायालयों में उचित सिद्ध नहीं किया जा सकता। मैं इस कानून का विरोध ही नहीं इसकी निन्दा भी करता हूं। यह हमारे मूल भूत अधिकार पर डाका डालने वाली बात है। इस अधिनियम की अवधि नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। यह इस बात का द्योतक है कि आज कांग्रेसी लोगों को स्वतन्त्रता के स्थान पर शक्ति से अधिक प्यार हो गया है।

†**श्री रघुवीर सहाय** (बदायूं) : जब जब भी इस विधान की अवधि बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सदन में विधयक प्रस्तुत किया गया, तब तब ही इस पर बड़ी गर्मागर्म चर्चा होती रही है। मेरा निवदन है कि निवारक निरोध की व्यवस्था करने वाले कानून को पास करने के सम्बन्ध में संविधान में स्पष्ट उपबन्ध है। शांति और सुरक्षा बनाये रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। उसी से यह निर्णय करना होता है कि इस प्रकार का विधान पारित कराने का उचित अवसर कौन सा है। सरकार भावुकता से काम नहीं ले सकती, उसे हालात का मुकाबला करने के लिए संगत तरीकों और ठंडे दिमाग से काम करना होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुबीर सहाय]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये] :

सभी राज्य सरकारों ने इस कानून की अवधि बढ़ाया जाना स्वीकार कर लिया है। यह भी संभव हो सकता है कि अधिनियम का प्रयोग करते समय भूल हो जाये और उस भूल का उपचार करने के लिये व्यवस्था की गयी है। यह धारणा गलत है कि सत्तारूढ़ दल अपने विरोधियों को कैद करना चाहता है। मंत्री महोदय द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उनसे स्पष्ट है कि अधिकांश लोगों को इसलिये ही नजरबन्द किया गया था क्योंकि वे गुंडागर्दी करते हैं। मुझे आश्चर्य है कि इस वर्ग के लोगों के लिये क्यों इतनी चिन्ता व्यक्त की जा रही है। हमें यह बात याद रखनी चाहिये कि सामान्य विधि के अन्तर्गत काफी विलम्ब होने का भय रहता है इसीलिये इस प्रकार के अधिनियम की आवश्यकता अनुभव होती है। वैसे भी प्रत्येक नजरबन्द को अपने आपको निर्दोष सिद्ध करने के लिये काफी सुविधायें दी जाती हैं।

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, नजरबन्दी कानून की अवधि को तीन वर्ष के लिये बढ़ाने का विधेयक इस बात का ताजा प्रमाण है, ताजा उदाहरण है कि संकट के काल में सरकार जो असाधारण अधिकार प्राप्त कर लेती है, उन्हें फिर आगे जाकर छोड़ना नहीं चाहती है। परिस्थितियां बदल जाती हैं, किन्तु सरकार अपने शस्त्रागार में जो हथियार इकट्ठे कर लेती है उन्हें कम करने के लिये तैयार नहीं होती है।

श्री दातार के भाषण से ऐसी किसी भी असाधारण परिस्थिति का परिचय नहीं मिलता जिस का सामना करने के लिये नजरबन्दी कानून की आवश्यकता हो। और अगर उत्तरी सीमा पर चीन की कार्रवाई से कोई असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हुई भी है तो प्रधान मंत्री जी और गृह-मंत्री जी इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि उसका निराकरण करने के लिये एक अलग विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया जायेगा। मैं नहीं समझता जब सरकार सीमा संबंधी प्रचार पर नियंत्रण लगाने के लिये एक अलग विधेयक लाने का विचार कर रही है और उसका संभव है समर्थन भी किया जाये तो फिर इस नजरबन्दी कानून की अवधि को बढ़ाने का क्या औचित्य है। इस चीज को अभी तक स्पष्ट नहीं किया जा सका है। राज्य मंत्री महोदय ने यह भी दावा किया है कि इस विधेयक को राजनीतिक विरोध को समाप्त करने के लिये काम में नहीं लाया गया। मैं इस दावे का खंडन करना चाहता हूं और मेरा उनसे निवेदन है कि जिस प्रकार से यह नजरबन्दी कानून पश्चिमी बंगाल में पिछले तीन साल से भारतीय जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ काम में लाया गया है, इसके बारे में गृह-मंत्रालय की तरफ से जानकारी इकट्ठी करें। १९५६ में हमारे भारतीय जनसंघ के तीन प्रमुख कार्यकर्त्ताओं को, १४ सितम्बर को नजरबन्द कर दिया गया। १९५८ में जनसंघ के संगठन मंत्री को नजरबन्द किया गया और जिस तारीख को एक साल की नजरबन्दी काटने के बाद वह जेल से छूटे उसी तारीख को जो जनसंघ के दूसरे मंत्री थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जो गिरफ्तारी के कारण दिये गये हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। एक कारण तो यह दिया गया है कि वे नेहरू–नून समझौते के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। मैं नहीं समझता कि नेहरू-नून समझौते के खिलाफ प्रचार करना कोई नजरबन्दी का कारण हो सकता है। आज सारा पश्चिमी बंगाल नेहरू-नून समझौते को कार्यान्वित करने के खिलाफ एक आवाज से खड़ा हो गया है। ऐसी स्थिति में क्या आप सारे बंगाल को नजरबन्दी कानून में बन्द करेंगे.....

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : जेलें इतनी नहीं हैं वर्ना कर लें।

श्री वाजपेयी : केवल यही कारण उच्च न्यायालय में जाकर निराधार साबित न कर दिया जाये, इसलिये एक कारण और भी जोड़ दिया गया जिसको मैं अभी कोट करूंगा । श्री राम प्रसाद दास जोकि जनसंघ की आल इंडिया वर्किंग कमेटी में भाग लेने के लिये नई दिल्ली आ रहे थे उन्हें एक दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर आरोप लगाया गया, मैं कोट करता हूं :—

> "कि आप ९–१०–५८ को दिल्ली जा रहे हैं और आप कुछ ऐसी योजनायें बना सकते हैं जिनसे प्रधान मंत्री की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा पहुंच सकता है ।"

श्री त्यागी (देहरादून) : यह एक गम्भीर आरोप है ।

श्री वाजपेयी : मैं मानता हूं कि यह बड़ा गम्भीर चार्ज है, किन्तु क्या गृह-मंत्री जी इस बात को अपने हृदय पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि जनसंघ की आल इंडिया वर्किंग कमेटी में भाग लेने के लिये आने वाला कोई व्यक्ति यहां आकर हमारे प्रधान मंत्री जी की सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकता है, उनके जीवन के खिलाफ षड़यंत्र कर सकता है, और अगर ऐसा कर सकता है तो केवल उसी को गिरफ्तार क्यों कर लिया गया, पूरी वर्किंग कमेटी बैठी हुई थी, उसको आप गिरफ्तार कर सकते थे । अगर आप समझते हैं कि देश के प्रधान मंत्री जी के संबंध में हमारे दिलों में इतना भी आदर नहीं है तो मेरा निवेदन है कि आप भारतीय जनसंघ पर प्रतिबन्ध लगा दीजिये और नहीं तो कम से कम हमें विश्वास में लेकर बताइये कि जनसंघ में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधान मंत्री जी की हिफाजत नहीं चाहते हैं, हम पार्टी में उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पार्टी से उसको निकाल देंगे । षड़यंत्र हमारे देश के प्रधान मंत्री के जीवन के खिलाफ हो और हमें बताया भी न जाये और फिर ताज्जुब की बात देखिये कि एक साल के बाद वह व्यक्ति रिहा कर दिया गया । अगर वह कोई षड़यंत्र कर रहा था तो आप अभी भी उसके खिलाफ मुकदमा चलायें और उसको सजा दिलवायें । लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है । आखिर में हाई कोर्ट में उसका मुकदमा गया और उसने कहा कि अमुक व्यक्ति को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिये । मगर हाई कोर्ट के निर्णय को नहीं माना गया । चार महीने तक उस व्यक्ति को जेल में बन्द रखा गया, हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी । मैं हाई कोर्ट के फैसले की कुछ पंक्तियां उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने रखना चाहता हूं । कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा :—

> "चूंकि जनसंघ के एक के बाद दूसरे सेक्रेटरी गिरफ्तार किये जाते और लम्बे अर्से के लिये नजर बन्द किये जाते रहे मालूम देते हैं, हालांकि कोई दुर्घटना हुई मालूम नहीं देती, अतः हमें आशा है कि सरकार नजरबन्द व्यक्ति को यथासंभव शीघ्र रिहा करने के प्रश्न पर विचार करेगी ।"

यह कलकत्ता हाई कोर्ट की सिफारिश है, मैं इसे फैसला नहीं कहूंगा । सरकार को चाहिये था कि इस सिफारिश का आदर करती । मगर हाई कोर्ट की इस सिफारिश के बाद भी उनको और चार महीने तक जेल में बन्द करके रखा जाता है । बाद में उनको छोड़ा गया । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह नजरबन्दी कानून का दुरुपयोग नहीं है ? अगर आप समझते हैं कि देश में कोई ऐसे तत्व हैं जो देश की शांति को, देश की सुरक्षा को संकट में डालना चाहते हैं तो आप उन पर खुली अदालत में मुकदमा चलायें, उनकी आपत्तिजनक कार्रवाइयों पर रोक लगायें, मगर नजरबन्दी कानून की आड़ लेकर उन्हें उनके वैध कार्यों से रोकना इसे कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता । नजरबन्दी कानून किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लाया जाये, मैं उसके समर्थन में नहीं हूं, फिर चाहे वह शेख अब्दुल्ला हो या मास्टर तारासिंह हों । बिना मुकदमा चलाये किसी भी व्यक्ति को नजरबन्द रखना ठीक नहीं है । और अगर देश में कोई ऐसे तत्व हैं, ऐसी शक्तियां हैं जो देश की स्वतंत्रता को, देश की सुरक्षा

[श्री वाजपेयी]

को संकट में डालना चाहती हैं, जो विदेशों से धन या हथियार प्राप्त कर रही हैं, जो पंचमांगियों के रूप में काम कर रही हैं, उनके लिये एक ला आफ ट्रीजन आप अलग से बना सकते हैं, गद्दारों के खिलाफ एक कानून अलग से आप बना सकते हैं। मगर नजरबन्दी कानून और उसका इस तरह का राजनीतिक दुरुपयोग, इसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है।

मैं गृह-मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल में जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ यह एक्ट जिस तरह से काम में लाया गया है, उसकी वह जांच करें और हमें बतायें कि हमारे कार्यकर्त्ता वहां ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन केवल पुलिस की रिपोर्ट पर आप कार्रवाई करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने पुलिस रिपोर्ट का एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। पुलिस ने अपने ग्राउंड में लिख दिया कि अमुक दिन जनसंघ के कार्यालय में एक मीटिंग हुई थी उसमें आपने भाषण दिया कि पश्चिमी बंगाल से सब मुसलमानों को खदेड़ देना चाहिये। हमारे कार्यकर्त्ता का कहना है कि उस दिन मैं उस मीटिंग में गया भी नहीं था और पश्चिमी बंगाल जनसंघ के वाइस-प्रेजीडेंट जो एक मुस्लिम सज्जन हैं, उनका कहना है कि मैं उस मीटिंग में था और ऐसी कोई बात नहीं कही गई। अब किस को सच माना जाये। ऐसी हालत में क्या केवल पुलिस रिपोर्ट पर आप किसी आदमी को एक साल के लिये नजरबन्द कर देंगे ? मेरा निवेदन है कि नजरबन्दी कानून के इस तरह के उदाहरण सरकार के इस दावे का खंडन करते हैं कि सरकार इस कानून का दुरुपयोग नहीं करती। सरकार को चाहिये कि इस कानून की अवधि को बढ़ाने से पहले, वह इस बात का विचार करे, हमको समझाये सदन को विश्वास में ले और बताये कि आखिर देश में ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिस में लोगों को बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द करने का अधिकार उसे चाहिये। श्री दातार के भाषण से इस प्रकार की किसी स्थिति का संकेत नहीं मिलता। संभव है पंडित पन्त इस संबंध में कोई प्रकाश डालें लेकिन उन्हें भी मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि नजरबन्दी कानून किसी को, किसी भी दल को, किसी भी पार्टी को खत्म करने का तरीका नहीं है। अगर आपको यही करना है तो उसके लिये आपको दूसरे तरीके अपनाने होंगे और उन तरीकों में जनता का विश्वास प्राप्त करना होगा। लोगों को नजरबन्द करके कांग्रेस पार्टी अलोकप्रिय बनती जा रही है और जिन कांग्रेस के सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस की सरकार, इसलिये कि—वे कांग्रेस के संगठन में उसका विरोध करते हैं, इस कानून के अन्तर्गत उनको भी नजरबन्द कर देगी।

†पंडित कृ० चं० शर्मा : (हापुड़): मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह विधान प्राकृतिक न्याय की धारणा के अनुरूप नहीं है। दूसरे देशों में प्राकृतिक न्याय की दिशा में लोगों में काफी चेतना है। वह विधि का समुचित आदर करते हैं और इस मानसिक अवस्था तक पहुंचने में उन्हें काफी समय लगा है। हमारे यहां तो हालत यह है कि यदि हमारे प्रधान मंत्री शिवाजी की मूर्ति का अनावरण करने जाते हैं तो उनके विरूद्ध प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रकार की बात किसी भी लोकतंत्रीय देश में देखने को नहीं मिलती। अगर मेरा मत है कि हमारे यहां प्रचलित वातावरण में इस प्रकार का विधान बड़ा ही आवश्यक है।

अभी हाल ही में आसाम में भारी गड़बड़ी हुई। यदि इस प्रकार का विधान न हो तो इस प्रकार की परिस्थितियों का मुकाबला किस प्रकार हो। गृह-कार्य मंत्री की यह युक्ति भी ठीक है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

देश के विकास की प्रगति के लिये भी यह विधान बड़ा आश्वयक है। लोगों को सामूहिक हितों की रक्षा के लिये हमें इसका आश्रय लेना होता है। हमारा देश लोकतंत्रीय प्रजातंत्र में विश्वास रखता है। संविधान जिस चीज की अनुमति देता है वह वैध है और जिसकी अनुमति नहीं देता वह अवैध है। परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिये भी हमें विधान पारित करने होते हैं।

यह विधान हमारे संविधान की सीमाओं के अन्तर्गत आता है। संसार के सभी प्रगतिशील तथा सभ्य देशों की संविधि पुस्तक में इस प्रकार के कानून हैं, जिसमें कि निवारक नजरबन्दी के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। हमारे देश में यदि इस प्रकार का कानून रहे तो कोई आपत्ति की बात नहीं। इसके बिना देश की प्रगति संभव नहीं।

†**डा० कृष्णस्वामी** (चिंगरापुर) : मैं इस विधेयक का विरोधी हूं। यह विधेयक जिस ढंग से सभा के समक्ष लाया गया है उसमें इसके मुख्य खंडों पर विचार हो सकने की संभावना ही नहीं रही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया गया है परन्तु जन प्रतिनिधियों को इसमें संशोधन प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। इसके अन्तर्गत जिस प्रकार की सलाहकार बोर्डों की व्यवस्था है, वे बोर्ड उच्च न्यायालयों की भांति कार्य नहीं करते। उन्हें यह भी अधिकार नहीं है कि साक्षियों की छानबीन कर सके। अतः इस संबंध में उन पर अधिक भरोसा करना निराधार है। माननीय सदस्यों को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि गत वर्षों में इस अधिनियम ने किस प्रकार कार्य किया है। कई बार सामान्य विधि के काफी होते हुये भी इस विधि का आश्रय लिया गया।

केन्द्रीय सरकार के कमचारियों की हड़ताल का सामना करने में इस विधान का सहारा लिया गया, जबकि सरकार की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था ही इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये काफी थी। यदि इस दिशा में निवारक नजरबन्दी का सहारा न लिया जाता तो कौन सा तूफान आने वाला था। एक बात और है यह विधान १९६२ के वर्ष में चलेगा। इस वर्ष देश में चुनाव होंगे और यह सन्देह अनुचित नहीं होगा कि इस कानून के होते हुये शायद चुनाव पदासीन दल से प्रभावित हुये बिना न रहे। मैं चाहता हूं कि इस ठोस तथ्य की ओर माननीय सदस्य ध्यान दे। क्या इसका प्रयोग सरकार के विरोधियों के खिलाफ नहीं किया जायेगा ? मेरा निवेदन है कि यदि इसकी अवधि को आगामी चुनावों के छः अथवा सात मास पूर्व ही समाप्त कर दिया जाये तो यह अच्छी बात ही कही जायेगी।

बहुत से माननीय बन्धुओं ने कहा है कि देश में आज जो समाज विरोधी तत्वों ने अराजकता फैला रखी है उसका सामना करने के लिये इस प्रकार का कानून अपेक्षित है। परन्तु मेरा अनुभव यह है कि जब भी बड़े पैमाने पर अराजकता फैली है इस अधिनियम का सहारा लेना संभव नहीं हो पाया है। यदि इसका प्रयोग राज्य की सुरक्षा के लिये किया जाता है तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि राज्यों में जो सुरक्षा संबंधी कानून लागू हैं क्या वे स्थिति का सामना करने के लिये काफी नहीं हैं ? मेरा मत यह है कि इस प्रकार के किसी केन्द्रीय अधिनियम की तो आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती।

एक बड़ी मनोरंजक युक्ति अन्य पक्ष की ओर से दी गयी है कि संविधान ने निवारक नजरबन्दी को वैध बना दिया है, अतः यह विधान ठीक ही है। यह ठीक हो सकता है परन्तु इसने सरकार को इस बात के लिये आमंत्रित तो नहीं ही किया है कि वह इस प्रकार का कानून बनाये। यदि सरकार इसको अनिवार्य ही समझती है तो उसे अधिनियम के उपबन्धों वाला एक विधेयक सभा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृष्णस्वामी]

के समक्ष लाना चाहिये, उसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिये और उसकी अपरिहार्यता के बारे में सभा का समाधान कराया जाना चाहिये । परन्तु यदि माननीय राज्य मंत्री ने यह कह कर ही सन्तोष कर लेना है कि यह विधान काफी सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है तो उनसे कोई आशा नहीं की जा सकती ।

†**श्री द० अ० कट्टी (चिकोड़ी)**: १९५० में जब यह विधेयक पहली बार प्रस्तुत किया गया था उस समय यह बताया गया था कि इसको केवल एक वर्ष के लिये लागू किया जा रहा है। परन्तु पिछले दस वर्षों में लगभग चार अथवा पांच बार इसकी अवधि बढ़ाई जा चुकी है और इस बार फिर तीन वर्ष तक इसकी अवधि बढ़ाने का यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

माननीय गृह मंत्री ने इसकी उपयोगिता बताने की कोशिश की है परन्तु उनके तर्क प्रभावपूर्ण नहीं हैं। मैं तो यह समझता हूं कि यह विधेयक अनावश्यक है। इस अधिनियम की १ दिसम्बर, १९५९ से ३० सितम्बर, १९६० तक की क्रियान्विति देखने पर पता लगता है कि इसको पुरस्थापित करने के समय जो स्थिति थी वह अब नहीं है। गत तीन वर्षों में केवल ५६९ व्यक्तियों का निरोध किया गया, वह भी धारा ३(१)(क) (एक) के अधीन नहीं बल्कि गुंडागर्दी, डकैती, तस्कर व्यापार आदि जुर्मों के अधीन पता लग जाता है कि इसकी अब आवश्यकता नहीं रह गई है।

सरकार द्वारा बताये गये आंकड़ों के अनुसार ३० सितम्बर १९६० को समाप्त होने वाले नौ महीनों में गुंडागर्दी, डकैती आदि के लिये १५३ व्यक्ति नजरबन्द किये गये। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या ४० करोड़ नागरिकों में से केवल १५३ ही गुंडे हैं ? मैं समझता हूं कि गुंडों की संख्या अधिक है तो इन गुंडों को गुंडागर्दी करने से किस प्रकार रोका जाता है, अर्थात् देश की अन्य दण्डिक विधियों के द्वारा। जब हम इन शेष गुंडों को अन्य विधियों के द्वारा गुंडागर्दी करने से रोक सकते हैं तो केवल १५३ गुंडों के लिये निवारक निरोध कानून क्यों ? इसका हमें उत्तर मिलना चाहिये ।

संविधान के अधीन सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता की गारण्टी दी गई है परन्तु इस विधेयक के द्वारा हमारी स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया जा रहा है क्योंकि देश की सामान्य दण्ड विधि में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है कि एक भी निर्दोष व्यक्ति को दण्ड नहीं मिलना चाहिये परन्तु इसके विपरीत इस विधि में ऐसी व्यवस्था है कि कहीं एक भी अपराधी बच न निकले, इसलिये इन निर्दोष व्यक्तियों को दंड दे दिया जाना चाहिये ।

कई उच्च न्यायालयों ने कई मामलों में फैसला दिया है कि निरोध दुर्भावना से किया गया। मुझे इन फैसलों को देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि इसको दुरुपयोग के लिये ही पारित किया जाता है ।

माननीय गृह-मंत्री श्री दातार ने अपने भाषण में कहा है कि कानून को भंग करने वालों के कारण इस कानून की आवश्यकता है। उनके प्रतिवेदन में भी बताया गया है कि गुंडागर्दी के कारण लोगों का निरोध किया गया है। परन्तु इसमें एक बात बड़ी अजीब है कि निरूद्ध किये गये व्यक्तियों में एक व्यक्ति भी कांग्रेसी नहीं है। क्या यह समझा जाना चाहिये कि कांग्रेसियों में कोई गुंडा है ही नहीं ? क्या इसमें सभी सन्त हैं। मेरा तो अपना यह अनुभव है कि यदि गुंडागर्दी के आधार पर निरोध किया जाये तो असंख्य कांग्रेसी बन्द पड़े हों।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्पष्ट है कि यह कानून केवल राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वियों को दबाने के लिये है। बड़ी अजीब बात है कि एक ओर तो संसदीय लोकतंत्र बनाया जा रहा है और दूसरी ओर विरोधी पक्ष को दबाया जा रहा है जबकि विरोधी पक्ष को मजबूत तथा शक्तिशाली बनाया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिये शक्तिशाली विरोधी पक्ष का न होना खतरनाक है, इसीलिये जनता पिस रही है। कांग्रेस दल जाली वोटों के आधार पर सत्तारूढ़ है। इस कानून को हटा देना नितांत आवश्यक है।

लाला अचिंत राम (पटियाला) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बात सच है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट से गवर्नमेंट ऐसी ताकतें ले रही है, जो कि आम तौर पर उस के पास नहीं होनी चाहियें। जब सरदार पटेल ने यह मेजर पेश किया था, तो बजा तौर पर बहुत दुःख का इज़हार किया था।

श्री ब्रजराज सिंह : (फ़िरोज़ाबाद) : इन्होंने तो कल बिल्कुल दुःख का इज़हार नहीं किया।

लाला अचिंत राम : माननीय सदस्य कहते हैं कि इन्होंने बिल्कुल दुःख का इज़हार नहीं किया, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर वह १९५७ की पन्त जी की तकरीर को देखें, जो कि उन्होंने यह बिल पेश करते हुए की थी, तो वे मुतास्सर हुए बगैर नहीं रहेंगे। इस सिलसिले में उन के दिल में भी वही जज़बात हैं, जो कि माननीय सदस्यों के दिलों में हैं। जिन लोगों ने सारी उम्र आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उन के बारे में यह कहना कि उन को आज़ादी का कोई फ़िक्र नहीं है, मेरे ख्याल में उन के साथ बेइन्साफ़ी है।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं श्री दातार की बात कह रहा था।

लाला अचिंत राम : दातार साहब पन्त जी के डिप्टी मिनिस्टर हैं। वह उन के बिहाफ़ पर इस बिल को पेश कर रहे हैं। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य और खास तौर पर श्री अशोक मेहता, जो कल इस पर बोले थे, दातार साहब, पन्त जी और सरदार पटेल के जज़बात को देखें। वे गवर्नमेंट को ऐसे ही एक्यूज़ न करें। सवाल यह है कि जब उन को गवर्नमेंट में होने का मौका मिलेगा, तो वे क्या करेंगे,। कल उन्होंने कहा कि सौ, सवा सौ आदमी इस के मातहत पकड़े गए हैं और हम को एक एक आदमी की आज़ादी लिबर्टी, का फ़िक्र है। मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि वे इस मामले को ज़रा बैलैंस्टड व्यू से देखें। अगर पंद्रह हज़ार आदमी पकड़े, तो बुरा है, दस हज़ार पकड़े, तो भी बुरा है, नौ हज़ार पकड़े गए, तो भी बुरा है और अगर सौ आदमी पकड़े, तो भी बुरा है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां गवर्नमेंट ने ठीक काम नहीं किया है, वहां उस को डिस्क्रेडिट दीजिए, लेकिन अगर उस ने कुछ अच्छा काम किया है, तो उस को क्रेडिट देना चाहिए। इस में क्रेडिट की यह बात है कि दस हज़ार से सिर्फ़ सौ आदमी ऐसे रह गए हैं, जिनको इस कानून के मातहत पकड़ा गया। एक सूरत यह भी आ सकती है कि कोई भी न पकड़ा जाये। जैसा कि मैं ने अभी कहा है कि हम को इस बारे में एक बैलैंस्ड व्यू लेना चाहिए। दस हज़ार से सौ रह गए, यह एक अच्छी बात है। हां, यह सवाल किया जा सकता है कि सौ भी क्यों रहे। **दिस आई कैन अंडरस्टैंड**। इस के सिवा मेरा चार्ज ज़रा और है। मेरा चार्ज यह है कि गवर्नमेंट ने रेस्ट्रेंट के बजाय ओवर रेस्ट्रेंट बरती है। मुस्लिम लीग जब पैदा हुई तो यह एक छोटा सा बच्चा था। यह छोटा सा बच्चा था केरल में भी। आप देखें कि बारह बरस के बाद जमायते-इस्लाम का अभी एक जल्सा हुआ है आज—

श्री प्र० ना० सिंह : केरल में भी मुसिल्म लीग के साथ कांग्रेस ने दोस्ती कर ली थी।

लाला अचित राम : मैं इस के भी खिलाफ हूं ।

मैं यह कह रहा था कि अभी जल्सा हुआ है जिसमें जहरीली तकरीरें की गईं। हजारों लोग इकट्ठे हुए। मुझे पता नहीं इस पावर का इस्तेमाल करना उन के खिलाफ जायज़ था या नाजायज़ , लेकिन आप इस पर गौर कर सकते थे । अगर आप समझते कि जायज़ था तो आप इन पावर्स का इस्तेमाल भी कर सकते थे। आग जब लग चुकेगी तो सिचुएशन आप के बस में नहीं रहेगी। इस वास्ते वक्त पर कार्यवाही करना ही अच्छा होता है । मैं नहीं चाहता कि आप दबाव में आकर इन पावर्स को इस्तेमाल करें और न ही आप खुशामद में आयें । जो जस्ट चीज़ है , उसको आप करें। आप खुद खयाल करें कि मुल्क में कैसी कम्युनल फीलिंग्ज़ हैं और देश की राजधानी दिल्ली में ये क्या शक्ल अख्तियार कर गई हैं। मेरा खयाल है कि गवर्नमेंट बजाय रेस्ट्रेंट के ओवर-रेस्ट्रेंट कर गई है, बजाय काशस होने के ओवर-काशस रही है ।

मैं समझता हूं कि अगर आप नार्मली बिहेव करते तो असम में जो कुछ हुआ न हुआ होता । असम में दस हजार घर जला दिये गए। आप कहते हैं कोई बात नहीं, उनको हम ठीक कर लेंगे , लेकिन ऐसा एटीट्यूड अख्तियार करना ठीक नहीं है । वक्त पर आपने सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया और उसका नतीजा पेश देश को भुगतना पड़ा और दस हजार घर जल गए । इतना नुक्सान उठाने के बाद आपने सिचुएशन को कंट्रोल किया तो क्या किया ।

अभी कुछ अर्सा हुआ स्ट्राइक हुई थी। मैं नहीं मानता कि जो स्ट्राइक हुई उस के अन्दर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो सकती थी, उस से पहले ही उसको कंट्रोल किया जा सकता था । लेकिन आपके अन्दर ओवर-कान्फिडेंस था। आप समझते थे कि ये हमारे एम्पलायीज़ हैं, इन को हम ठीक कर लेंगे, इन को हम पे दे देंगे । आपने गवर्नमेंट चलानी है, बाहर वाली दूसरी पार्टियों ने नहीं चलानी हैं, जिम्मेदारी आप पर है, मुल्क को ठीक हालत में रखने की जिम्मेदारी आपकी है इसलिए आप इस में इंटिरेस्टिड हैं कि किस काम को कैसे करना है । लेकिन इंटिरैस्टिड होते हुए भी, आप ओवर-कान्फिडेंस में आ गए। आपने कहा कि पे कर देंगे और आप ने पे कमिश्न की रिकोमेंडेशंस पर अमल नहीं किया। अमल क्यों नहीं किया और क्यों देरी की, यह सवाल उठता है । तो मेरा आप के खिलाफ यह चार्ज है कि आप रेस्ट्रेंट ही नहीं रख रहे, ओवर-रेस्ट्रेंट रख रहे हैं । आप जो पावर लेने जा रहे हैं, अव्वल तो उस का इस्तेमाल ही न करें, लेकिन अगर इसको इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस हो तो आप झिझके नहीं । अगर झिझकेंगे तो नुक्सान होगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज यहां पर ही ऐसी तकरीर होती है, कम्युनल वायरस फैलाया जाता है कम्युनल पायजन फैलाया जाता है कि आप कुछ करते ही नहीं हैं । वक्त पर काम करेंगे तब काम होगा वर्ना नहीं ।

अशोक मेहता साहब ने कहा कि मास्टर तारा सिंह की ताकत को गवर्नमेंट जानती नहीं थी। मैं समझता हूं कि उन्हों ने यह बात जरा ठीक नहीं की गवर्नमेंट अच्छी तरह से उन की ताकत को जानती थी और उन के मुखालिफों की ताकत को भी जानती थी। गवर्नमेंट ने ऐसे मौके पर उन से मुआहिदा किया और यह जानते हुए किया कि वहां एक कम्युनिटी पंजाब में है जिस को डिफाई नहीं करना चाहिये, लेकिन उस को डिफाई कर के किया। मैं चाहता था कि उन्हों ने यह कहा होता कि आप ने मास्टर तारा

सिंह से पूछा लिया है कि रिजनल फार्मूला कहां इम्प्लेमेंट नहीं हुआ है और इस का वह जवाब देते तो और बात थी। लेकिन यह बात नहीं है कि गवर्नमेंट उस की ताकत को नहीं जानती थी।

आप जानते हैं दिल्ली में क्या हुआ। लोगों का चार्ज है कि यहां पर इंडिसक्रिमिनेटली गिरफ्तारियां की गई हैं : लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। जिस तरह से माब ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया और पत्थर फेंके उस वक्त जिस रेस्ट्रेंट से गवर्नमेंट ने काम लिया, वह छोटी बात नहीं थी। उन हालात में गोली चल जाना मामूली बात थी।

श्री प्र० ना० सिंह : रोज चलती है।

लाला अचिंत राम : मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जिस रेस्ट्रेंट से उस वक्त आप ने काम लिया वह मामूली बात नहीं थी, तारीफ के काबिल बात थी। अगर आप गोली चला भी देते तो आप पूरी तरह से जस्टिफाइड होते लेकिन आप ने ऐसा नहीं किया और इस के लिये आप की तारीफ की जानी चाहिये। यह ऐसी मिसाल है जिस पर बाकी देश में भी अमल होगा।

आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप ओवर-कोन्फिडेंस से सफर कर रहे हैं, ओवर रेस्ट्रेंट से सफर कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों से सफर न करते होते तो आप की इतनी नुकताचीनी न होती और जिस तारीफ के आप मुस्तहिक हैं वह आप को मिल जाती। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि आप ओवर-कान्फिडेंस और ओवर-रेस्ट्रेंट से सफर न करें और न ही ओवर-डू कीजिये।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : सभा में प्रस्तुत विधेयक का उदाहरण विधानों में ढूंढ़े नहीं मिलेगा। क्योंकि यह गंभीरतम राष्ट्रीय आपतकाल में ही प्रस्तुत हो सकता है।

यह बताया गया कि विधेयक में ऐसे उपबन्ध रखे गये हैं जिस से निरुद्ध व्यक्ति की बात अच्छी तरह से सुनी जायेगी। गिरफ्तारी के पांच दिनों में उस को गिरफ्तारी के कारण बता दिये जायेंगे। बारह दिनों में स्थानीय सरकार गिरफ्तार के आदेशों की पुष्टि कर देगी और ३० दिनों में, सलाहकार बोर्ड मामले को सुनना आरंभ कर देगा। परन्तु मैं समझता हूं कि यह सभी उपबन्ध केवल एक दिखावा हैं क्योंकि यदि पुलिस अधिकारी उचित न समझे तो सलाहकार बोर्ड को मामले के तथ्य नहीं देगा। निरुद्ध व्यक्ति को तो तथ्य कभी नहीं मिलेंगे तथा उस पर आरोप लगाने वाले का नाम उस को कभी भी नहीं बताया जायेगा। सब से अजीब बात है कि उच्च न्यायालय में मामले को नहीं ले जाया जा सकता।

इस की तुलना रौलेट एक्ट से की गई। मैं समझता हूं कि रौलेट एक्ट इस की तुलना में दस गुना अच्छा था क्योंकि पहले रौलेट एक्ट सारे भारत में लागू नहीं था। दूसरे अपराधी पर मुकदमा चलता था। अपराधी को गवाहों से प्रति परीक्षण करने का अधिकार था। परन्तु फिर भी श्री बिट्ठल भाई पटेल, डा० सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, श्री जिन्ना और पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस का विरोध उस समय किया था। परन्तु इस विधेयक के बारे में हमारी सरकार बड़ी उत्सुक है।

माननीय मंत्री तथा इस विधेयक के समर्थक सदस्यों न बताया कि सरकार गुण्डों की गुण्डागर्दी रोकने के लिये इस को लागू करने को उत्सुक हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ब्रिटेन में महायुद्ध के जमाने में भी यूनिवारक निरोध अधिनियम नहीं बनाया था फिर क्या आज पुलिस पर १५० करोड़ रुपया व्यय करने पर भी गुंडागर्दी नहीं रोकी जा सकती है जो इस का सहारा लेना आवश्यक है ? यह एक काला कानन है जिस की मैं निन्दा करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० विजय आनन्द** (विशाखापटनम) : मैं समझता हूं कि कानून का पालन करने वाले नागरिकों को इस प्रकार के विधयक से डरना नहीं चाहिये। यह सरकार जनता की सरकार है और मैं समझता हूं कि जब तक किसी कानून की आवश्यकता नहीं होगी तब तक यह सरकार उसे प्रस्तुत नहीं करेगी। सरदार पटेल, राजाजी, तथा पंत जी सभी ने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया है। और स्वतन्त्रता के पक्षपाती रहे हैं। इसलिये देश का हित देख कर ही उन्हों ने इस को प्रस्तुत किया।

एक सज्जन ने कहा कि इस प्रकार का विधेयक युद्धकाल में ही लागू किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि आज भी अन्दरूनी युद्ध चल रहा है। देश में कुछ व्यक्तियों के ऐसे कार्य हैं जिनके कारण इस प्रकार को विधि का लागू होना आवश्यक है। आज सीमाओं पर अभूतपूर्व घटनायें हो रही हैं। इन सब बातों को देखते हुए यह कानून जरूरी है। हड़ताल को इसी के द्वारा असफल किया गया।

[श्री मूलचन्द दूबे पीठासीन हुए]

मैं उमझता हूं कि इस विधि की नितान्त आवश्यकता है। जो लोग कानून के अनुसार काम करते हैं उन को डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं। इस को अवश्य पारित किया जाना चाहिये जिस से देश की सीमाओं पर होने वाली गड़बड़ी को रोका जा सके।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

तिहत्तरवां प्रतिवेदन

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तिहत्तरवें प्रतिवेदन से, जो सभा में ३० नवम्बर, १९६० को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तिहत्तरवें प्रतिवेदन से, जो सभा में ३० नवम्बर, १९६० को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प जारी

†**सभापति महोदय** : अब सभा श्री विट्ठल राव के इस संकल्प पर जिसे उन्हों ने १८ नवम्बर को प्रस्तुत किया था विचार करेगी :

"इस सभा की यह राय है कि सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय।" श्री विट्ठल राव अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त० ब० विट्ठल राव (खम्मम) : इस संकल्प को मैं ने जीवन बीमा निगम की सफलता से प्रभावित हो कर पेश किया है। हमारे देश में अब कारखाने लग रहे हैं इस लिये सामान्य बीमा की गुंजाइश बढ़ती जा रही है। इस के अलावा एशियाटिक तथा रूबी कम्पनी की जांचों से जिन हालात का पता चला है उन से और भी चिन्ता का सामना करना पड़ा है।

इन दो कम्पनियों के बारे में सभा में प्रश्न पूछा गया था कि सरकार इन की अनियमितताओं की रोकथाम करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है। इस पर माननीय मंत्री ने उत्तर दिया था कि इन समवायों के कार्यों की सारी जांच हो चुकी है और अभी उस प्रतिवेदन का परीक्षण हो रहा है।

जहां तक इन दोनों कम्पनियों में से न्यू एशियाटिक कम्पनी का सम्बन्ध है उस के काम में काफी अनियमिततायें देखी गयी हैं। वहां पर रुपये का गबन हुआ है और हिसाब में धोखेबाजी चली है। घाटों को दबाया गया हैं।

इन्हीं चीजों के बारे में कम्पनी से लिखा पढ़ी हुई। और रिपोर्ट के परीक्षण के बाद यही तय हुआ कि बीमा अधिनियम की धारा ४८ग का प्रयोग कर के सरकार अपने दो निदेशक कम्पनी में लगाये।

इस के अलावा उस संकल्प को प्रस्तुत करने का दूसरा कारण यह है कि राष्ट्रीयकरण होने पर आधुनिक कुछेक कम्पनियों का एकाधिपत्य भी समाप्त हो जायगा। अब तो कुछ ही पूंजीपति सारे काम पर कब्जा जमाये हुए हैं।

इंडियन इन्श्योरेंस ईयर बुक से ज्ञात होगा कि ३१ दिसम्बर, १९५९ को १७७ कम्पनियां चालू थीं। विदेशी कम्पनियों की आस्तियां ११ करोड़ रुपये तक की थीं। हमारी कम्पनियों को इस वर्ष २ करोड़ रुपये का लाभ रहा है। परन्तु स्पष्ट बात यह रही है कि बड़ी कम्पनियां छोटी कम्पनियों को हड़प गई हैं। कुछ बड़ी कम्पनियां भी कुप्रबन्ध के कारण बन्द हो गयी हैं।

कुछ लोग कह सकते हैं कि इस व्यापार के संचालकों ने आचारण के कुछ नियम अपना रखे हैं। परन्तु युनाइटड इंडिया कम्पनी के अध्यक्ष श्री चेट्टियार ने स्वयं कहा है कि कम्पनियां सामान्यत: उन नियमों के आधार पर नहीं चलतीं। जहाजों में माल लदवाने वालों को विवश किया जाता है कि वे अमुक कम्पनी में बीमा करायें इस प्रकार की चीजें चल रही हैं।

जहां तक इन कम्पनियों के हिसाब का सम्बन्ध है उन्हें देखने से ज्ञात होता है कि इन्हें काफी लाभ प्राप्त हो रहा है।

राज्य सभा में यह कहा गया है कि टैक्नीकल लोगों के अभाव के कारण इस क्षेत्र में पदार्पण करना कठिन है ; परन्तु यह दलील ज्यादा ठोस नहीं है। हम अपने लोगों को ठीक ढ़ंग का प्रशिक्षण दे सकते हैं। हो सकता है पहले पहल कुछ कठिनाई हो परन्तु बाद में ऐसा न रहेगा। यदि सरकार इस व्यापार को संभाल ले तो सफलतापूर्वक काम चला सकती है।

जहां तक मुआवजा देने का प्रश्न है, हम उस का भी ठीक तरह से हल कर सकते हैं। आखिर हमारे कामनवैल्थ के सम्बन्ध भी इस में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

श्री पटेल ने संशोधन रखा है कि इन का राष्ट्रीयकरण २५ वर्ष तक न हो यह व्यर्थ है। इस प्रकार से राष्ट्र का हित न होगा। श्री जैन का संशोधन ज्यादा अच्छा है क्योंकि उन का कहना है कि इस काम को जीवन बीमा निगम ही संभाले।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त० व० विट्ठल राव]

यह भी कहा जा सकता है कि इस काम को संभालने से ज्यादा लाभ न होगा। परन्तु लाभ तो अवश्य होगा चाहे ज्यादा हो या कम। कम से कम ६ करोड़ रुपया वार्षिक लाभ अवश्य होगा। इस से कुछ सीमा तक विदेशी मुद्रा की कठिनाई भी दूर होगी।

†श्री सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : मेरा एक संशोधन है।

†सभापति महोदय: यह नियम बाह्य है क्योंकि इस का सार वह है जो कि मूल संकल्प का है।

†श्री पु० र० पटेल (मेहसाना) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

†सभापति महोदय : मेरे विचार में यह नियम बाह्य है।

†श्री साधन गुप्त (कलकत्ता-पूर्व) : मैं श्री विट्ठल राव के संशोधन का समर्थन करता हूं। कि यह व्यवसाय देश तथा सामान्य बीमा कर्मचारियों के हित की दृष्टि से तर्क संगत है। बीमा उद्योग की स्थिति बड़ी कठिन है। अत: बीमा व्यवसाय समस्त देश तथा नियोजकों और कर्मचारियों के सम्बन्ध में इन सभी के दृष्टिकोणों का तर्कपूर्ण निष्कर्ष यही है कि सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण किया जाये।

सामान्य बीमे के व्यवसाय के विस्तार की बहुत गुंजाइश है क्योंकि हम एक औद्योगिक क्रांति की ड्योढ़ी पर है। अत: इस कारवार की समृद्धि निश्चित है। पर गत कुछ वर्षों में कई एक समवायों के बन्द होने का विरोधाभास इन तीन कारणों से हुआ है—कदाचार, जीवन बीमा कारबार का राष्ट्रीयकरण तथा सामान्य बीमों का कारबार कुछ थोड़े से हाथों में संकेन्द्रित हो जाना है।

कदाचार सम्बन्धी बातें ये थीं—झूठी प्रायीष्ठयां गैर कानूनी कमीशन या छूट, धान की गड़बड़ी तथा शेयर बाजार में सट्टा। इन सब बुराइयों के लिये जो आचरण संहिता बनाई गई है उस से कोई लाभ नहीं हुआ। जीवन बीमा के सम्बन्ध में यह हुआ कि जीवन बीमा समवायों ने सामान्य बीमा का कारबार भी शुरू किया था, जो जीवन बीमा के कारबार पर भी ही आश्रित था। जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के बाद ये समवाय संकटपूर्ण स्थिति में पड़ गये। छोटे समवाय जो मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थे; बंद हो गये।

कदाचारों को समाप्त करने का एक ही रास्ता है और वह है राष्ट्रीयकरण। समवायों के बन्द होने पर कर्मचारियों को छंटनी से बचाने का भी यही एक उपाय है।

प्रीमीयम की लगातार बढ़ती हुई आय का न्यायपूर्ण उपयोग कर के सरकारी व गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों के लिये दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था करने में राष्ट्रीयकरण बहुत ही उपयोगी होगा। इस समय यह कारबार मुख्यत: आग बीमा तथा समुद्रीय बीमा के बीच समिति होने के कारण इन के बीच जो अलाभप्रद प्रतियोगिता होती है वह भी इस के फलस्वरूप समाप्त हो जायेगी। इस कारबार के अन्तर्गत पशुओं के बीमे को भी लाया जाना चाहिये।

यह कहना ठीक नहीं है कि प्रतिकर का खर्च बहुत अधिक होगा क्योंकि प्रीमियम की आय बहुत काफी बढ़ जायेगी और लाभ निश्चित रूप से अधिक होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

आज कल हमें विदेशी मुद्रा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारी विदेशी मुद्राओं के खर्च को ऐकानामी राष्ट्रीयकरण का एक महत्वपूर्ण आधार है। राष्ट्रीयकरण हो जाने अन्य अनावश्यक बातें जैसे छट आदि भी समाप्त हो जायेंगी।

नौवहन सम्बन्धी बीमा की दर भी यहां बहुत कम है। इस का कारण यह है कि बाहर के समवायों के साथ काफी प्रतिस्पर्धा है। यही कारण है कि लगभग प्रत्येक समवाय को जो यह कारबार कर रही है हानि का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीयकरण हो जाने से यह अनार्थिक प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जायगी।

अतः मेरा निवेदन है कि सरकार इस के राष्ट्रीयकरण के बारे में गम्भीरता से विचार करे।

†*श्री प्र० र० पटेल : सभापति महोदय, मैं ने दो मित्रों के विचार सुने कि सभी प्रकार के समान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये। उन्हों ने अपनी विचारधारा के अनुसार ही बताया है क्योंकि वह देखते हैं कि रूस में पूर्णतः राष्ट्रीयकरण है इसलिये हमारे देश में भी पूर्णतः राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिये। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि विश्व में केवल रूस ही देश नहीं है। हमें अन्य देशों को भी देखना चाहिये। मेरा यह कहने से यह मतलब नहीं है कि राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिये अपितु मैं यह बताना चाहता हूं कि हमें यह देखना चाहिये कि हमारा लाभ किस में अधिक है।

पिछले पांच वर्षों में सामान्य बीमा करने वालों के कार्यों को देखा जाये तो पता लगता है कि १९५३ में प्रीमियम से १६,५२,७४,०० रुपये की आय हुई थी और १९५८ में २४,७९,९७,००० रुपये की आय की आशा थी। इस से पता लगता है कि इस का कार्य ४५ प्रतिशत से ५० प्रतिशत तक बढ़ा है। आज देश में ९० समवाय भारतीय हैं और ८७ समवाय भारतीय हैं जो ब्रिटेन में रजिस्टर्ड हैं। यदि हम राष्ट्रयरकरण के बारे में इस प्रकार कहते फिरेंगे तो भारतीय बीमा व्यवस्था को हानि उठानी पड़ जायेगी। मैं ने इसलिये एक संशोधन प्रस्तुत किया था कि २५ वर्ष तक राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिये। परन्तु उस को नियम बाध्य कर दिया गया है।

हमारे देश की यह नीति है कि हमें देश में सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों रखने हैं। जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के समय चर्चा पर दोनों सभाओं में यह राय जाहिर की गई थी कि जीवन बीमा को सरकारी क्षेत्र में रखा जाना चाहिये और सामान्य बीमा को गैर-सरकारी क्षेत्र में रखा जाना चाहिये। अब यह राष्ट्रीयकरण का संकल्प प्रस्तुत किया गया है और संभव है कि दो तीन वर्ष बाद पुनः ऐसा संकल्प प्रस्तुत किया जाये। इस का प्रबन्धकों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिये हमें उन के द्वारा किये गये काम के आधार पर इस के राष्ट्रीयकरण के बारे में सोचना भी नहीं चाहिये।

हमारे भारतीय समवायों का लगभग १२ करोड़ रुपये का व्यवसाय विदेशों में है। मैं समझता हूं कि यदि उन्हें उत्साहित किया जाये तो वह विदेशों से और अधिक धन ला सकते हैं। इंडियन इंश्योरेंस बुक १९५९ में दिया हैकि भारतीय समवायों का कमीशन समेत प्रबन्ध व्यय ४५.० प्रतिशत है तथा ब्रिटन में रजिस्टर्ड भारतीय समवायों का कमीशन समेत प्रबन्ध व्यय ५०.६ प्रतिशत है। इस से पता लगता है कि हमारे समवाय कम धन व्यय कर के अच्छा धद कमा रहे हैं।

नौवहन बीमा के बारे में मेरे मित्र यह स्वीकार करेंग कि विदेशों में हमारे समवायों को विदेशी समवायों से टक्कर लेनी होती है। परन्तु फिर भी भारतीय समवायों के कुल दाव लगभग ६९.४ प्रतिशत थे तथा अभारतीय बीमा समवायों के कुल दावे लगभग ५०.१ प्रतिशत थे। इन का व्यय क्रमशः २७.८ प्रतिशत और ३८.३ प्रतिशत था। इस से भी पता लग जाता है कि भारतीय समवाय कम व्यय पर अच्छा व्यसवाय कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री प्र० र० पटेल]

कमीशन के बारे में देखने पर पाता लगता है कि भारतीय समवायों के भुगतान किये जाने वाले दावे ३६.१ प्रतिशत, कमीशन १४.३ प्रतिशत तथा व्यय ३२.८ प्रतिशत है। ब्रिटेन में पंजीबद्ध समवायों के भुगतान किये जाने वाले दावे २२.८ प्रतिशत, कमीशन १४ प्रतिशत, तथा व्यय ३२.६ प्रतिशत है। न्यजीलैंड में पंजीबद्ध समवायों के भुगतान किये जाने वाले दावे २०.२ प्रतिशत, कमीशन १३.९ प्रतिशत और व्यय ३८.१ प्रतिशत है। फ्रांस में पंजीबद्ध समवायों के भुगतान किये जाने वाले दावे २८.९ प्रतिशत, कमीशन १४.९ प्रतिशत, तथा व्यय ४४.१ प्रतिशत है। अमरीका में पंजीबद्ध समवायों के भुगतान किये जाने वाले दावे २९.३ प्रतिशत कमीशन १४.४ प्रतिशत है और व्यय ३९.९ प्रतिशत है। इस से भी पता लगत है कि हमारे समवाय अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं।

यह आरोप लगाया जाता है कि अधिक धन दिया जाता है। इस का कारण यह है कि कमीशन की सीमा १४ प्रतिशत है जो कि बहुत कम है और इसीलिये यात्रा और अन्य व्यय दिये जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इतना सब कुछ होने पर भी हमारे प्रबन्ध व्यय बहुत कम हैं।

वर्तमान नियमों के अधीन नया समवाय बनाने वाले व्यक्ति को अधिक अंश लेने पड़ते हैं। परन्तु ८ अथवा १० वर्ष पहले की स्थिति को यदि हम देखें तो पता चलता है कि समवायों के अंश अधिकांशतः साधारण जनता ले रखे थे। दूसरे शब्दों में जनता के समवाय थे। अब भी मैं समझता हूं कि जनता जिस समवाय के अंश लें ले उस को लोक समवाय तथा जो पूरी तरह सरकारी हो उस को सरकारी समवाय कहा जाना चाहिये।

आप देखें कि इन समवायों के विनियोजनों की अधिकांश राशि रिजर्व बैंक में है। भारतीय बीमा कर्ताओं की प्रतिभूति रिजर्व बैंक में २,६९,१२,००० रुपये है। अन्य प्रतिभूतियां ८,५५,००० रुपये है। समवायों का सहकारी बैंकों में विनियोजन ३,६३,००० रुपये है। इस से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय समवायों का अधिकांश धन रिजर्व बैंक में है।

मेरे मित्र ने कहा कि अंशों में सट्टेबाजी की जाती है। परन्तु उन्हों ने ऐसा आरोप ही लगाया। ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिया।

मेरे मित्र ने कहा कि न्यू एशियाटिक ने अपनी हानियां बड़े खाते में डालीं और बाद में उन को पूरा कर लिया। मैं नहीं समझता कि इस में गलत बात क्या की गई। सरकार ने इस की जांच करने के लिये दो निदेशक नियुक्त किये। जांच के बाद जिन्होंने ऐसा किया था उन को दंड दे दिया गया। इस से अधिक और क्या किया जा सकता था।

मेरे मित्र ने यह कहा कि बड़े बड़े समवायों का व्यवसाय बढ़ रहा है और हमारे छोटे छोटे समवायों को व्यवसाय नहीं मिल पाता है। क्या इस समस्या का हल राष्ट्रीयकरण ही है। मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है अपितु हमें छोटे समवायों की सहायता करनी चाहिये या उन को बड़े समवायों में मिला देना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण का अभी समय नहीं आया है।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : मेरे पूर्ववक्ता ने राष्ट्रीयकरण की नीति को साम्यवादी विचारधारा बताया है। मैं उन का ध्यान अवाड़ी कांग्रेस के संकल्प की ओर दिलाना चाहता

†मूल अंग्रेजी में

हूं जिस में कांग्रेस ने समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना की घोषणा की थी है। मैं उसी के आधार पर सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण चाहता हूं।

हमें पता है कि भारतीय बीमा करने वालों की कुल प्रीमियम आय ३० करोड़ रुपया है और विदेशी समवायों की प्रीमियम आय लगभग ७,१९,००,००० है। भारतीय बीमा करने वालों की आस्तियां ३८ १/२ करोड़ रुपये हैं और विदेशी समवायों की आस्तियां ११ करोड़ रुपये हैं। भारतीय समवायों की २७ प्रतिशत आस्तियों का विनियोजन भारतीय समवायों को पूर्वाधिकार अंशों, भूमि और मकान सम्पत्तियों आदि में विनियोजित है। अर्थात् एक तिहाई आस्तियां सरकारी क्षेत्र के हाथ में हैं। मेरे विचार से न तो यह समाजवाद है और न साम्यवाद। यह तो गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा व्यवसाय पर नियंत्रण मात्र है और हमें इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों से इस एकाधिकार को छीनना है।

यह कहा जाता है कि सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण करना उचित नहीं है क्योंकि ऐसा कर देने पर यह व्यवसाय उन्नति नहीं कर पायेगा। मैं बताना चाहता हूं कि कुछ सामान्य बीमा समवाय पुराने गैर सरकारी जीवन बीमा समवायों के अधीन थीं और इन समवायों के जीवनबीमा निगम में मिल जाने पर इनका व्यवसाय भी जीवन बीमा निगम में मिल गया है। आंकड़ों से पता लगता है सरकारी नियंत्रण में आ जाने के बाद से इन समवायों की आय दो वर्षों में १ करोड़ २२ लाख रुपये से २ करोड़, ६४ लाख रुपये १९५९ में बढ़ गई थी। इसलिए मैं समझता हूं कि यदि सभी समवायों को सरकारी नियंत्रण में ले लिया जाये तो आय बहुत बढ़ जायेगी और आशा करता हूं कि सरकार सामान्य बीमा व्यवसाय को अपने नियंत्रण में ले लेगा।

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब०रा० भगत)** : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर वाद-विवाद किया। संकल्प के प्रस्तावक, श्री त० ब० विट्ठल राव ने अपने संकल्प के तीन आधार माने हैं। उन्होंने जीवन बीमा निगम को राष्ट्रीयकरण करने के लिये तीन कारण पेश किये हैं : जीवन बीमा निगम ने बड़ा अच्छा काम करके दिखाया है ; मवेशियों और फसलों का बीमा शुरू करना और उसे विकसित करना है। और तीसरा कारण यह कि सामान्य बीमे के काम में बड़े पैमाने पर कदाचार चल रहे हैं। इन सभी का इलाज, उनकी राय में, इस निगम का राष्ट्रीयकरण करना ही है। उनके सहयोगी, श्री साधन गुप्त ने कहा है कि इसके अतिरिक्त निगम में बड़ी अन्दरूनी काट चल रही है, उसमें मितव्ययता की जा सकती है और विदेशी मुद्रा का खर्च बहुत बढ़ रहा है। इसलिये सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।

श्री पु० र० पटेल ने इसका अध्ययन किया है। उन्होंने कई भ्रांतियां दूर कर दी हैं। उन्होंने वर्ष-पत्र से उद्धरण देकर यह सिद्ध किया है कि भारतीय बीमा समवायों की हालत उतनी खराब नहीं है जितनी कि कुछ लोग बता रहे हैं। काम में लगातार प्रगति हो रही है और उसमें सुधार की काफी गुंजाइश है। भारतीय और गैर भारतीय बीमा समवायों में सबसे बड़ा अन्तर यही है कि हमारे समवाय उनकी भांति उतने अच्छे किस्म का व्यवसाय नहीं कर पाती, जिसके फलस्वरूप उनको अनुपाततः अधिक बड़े दावों का भुगतान करना पड़ता है। जिन भारतीय समवायों के पास अधिक बड़े पैमाने पर ज्यादा अच्छे किस्म का व्यवसाय करने की क्षमता है, उनको ज्यादा अच्छा मुनाफा होता है। लेकिन बीमे के इस क्षेत्र में इतना बहुत मुनाफा नहीं होता जितना कि कहा गया है।

मैं सामान्य बीमा व्यवसाय के मुनाफों का विवरण एक मोटे तौर पर आपको बताता हूं। हालांकि १९५९ के बीमा वर्ष-पत्र में कुल मुनाफा २०७ लाख रुपये बताया गया है, लेकिन उसमें से

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री व० र० भगत]

केवल ४० लाख रुपया लाभांशों के लिये रखा गया था और २० लाख रुपया अगले वर्ष के हिसाब में जोड़े गये थे। मुनाफे की शेष सभी राशि कुछ व्यय, करो और रक्षित राशियों, इत्यादि के लिये रखा गया था। १० करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी पर ४० लाख रुपये का मुनाफा केवल ४ प्रतिशत बैठता है। १९५८ में ४६ भारतीय समवायों ने लाभांश ही नहीं दिया।

इसलिये सामान्य बीमे को राष्ट्रीयकृत करने के पक्ष में दिये गये तर्कों में अधिक सार नहीं है। एक तर्क यह दिया गया है कि यदि सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये, तो वह जितना चाहे उतना व्यवसाय कर सकेगा। इसके समर्थन में कहा गया है कि जीवन बीमा निगम ने देहाती क्षेत्रों में काम शुरू कर दिया है। मेरी समझ में तो नहीं आता कि राष्ट्रीयकरण भर कर देने से सामान्य बीमा व्यवसाय को नये-नये क्षेत्रों में, विशेषकर देहाती क्षेत्रों में जमा फसलों और मवेशियों का बीमा शुरू किया जा सकता है, कैसे पहुंचाया जा सकता है। देहाती क्षेत्रों में काम का दायित्व तो राज्य सरकारों का है। कुछ राज्य सरकारों ने मवेशी और फसलों के बीमे का काम शुरू भी किया है। मैं मानता हूं कि देहाती क्षेत्रों के लिये यह बड़ा महत्वपूर्ण है और प्रगतिशील देहाती-अर्थव्यवस्था में इसका स्थान दिन-दिन अधिक महत्वपूर्ण बनता जायेगा ; लेकिन राष्ट्रीयकरण से उसको बल मिलने की बात समझ में नहीं आती।

इसी प्रकार का एक तर्क यह है कि जीवन बीमा निगम ने अत्यधिक प्रगति की है, इसलिये सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।

श्री त्रि० कु० चौधरी ने तर्क पेश किया है कि निजी क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थानों पर हमारा अधिक नियंत्रण होना चाहिये। उन्होंने कांग्रेस के अवादी प्रस्ताव का भी हवाला दिया है। ठीक है, हम समाजवाद के हामी हैं ; हम समाजवाद की नीवें डाल रहे हैं। समाजवाद की इमारत धीरे-धीरे खड़ी होती जा रही है। सरकारी क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, औद्योगीकरण की गति तेज होती जा रही है, देहाती अर्थ-व्यवस्था एक सांचे में ढलती जा रही है ; और कई योजनाओं द्वारा हम समाजवाद की नीवें डालते जा रहे हैं। अब यदि कहा जाये कि इतने महत्वपूर्ण निर्माण-कार्य से ध्यान हटा कर, एक छोटे से क्षेत्र का अकारण ही राष्ट्रीयकरण करने में अपनी शक्ति का अपव्यय करना चाहिये, तो यह बेमतलब होगा।

जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण करते समय, वित्त मंत्री ने जीवन बीमा और सामान्य बीमा में स्पष्ट भेद किया था। आज भी हम उसे ठीक समझते हैं। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण करने के कारण कुछ भिन्न थे। पहला यह कि सरकारी निधियों के लिये अधिक बड़े संसाधन होने चाहिये। सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण करने से उनमें कोई अधिक वृद्धि नहीं होगी। दूसरा कारण यह था कि सामान्य बीमे का काम, खास तौर पर समुद्री बीमे का काम कुछ ऐसा पेचीदा किस्म का है, उसमें टेकनीक की इतनी उलझनें हैं कि उससे अधिक लाभ होने की आशा नहीं। इसलिये उसे शुरू करना ठीक नहीं समझा गया। वैसे तीन सहायक समवाय यह काम कर रहे हैं, और काफी अच्छी तरह कर रहे हैं। हमें इससे अनुभव हो रहा है। हम इसे और विकसित करना चाहते हैं। लेकिन यदि इसके सभी पहलुओं पर विचार किया जाये, उनको यथार्थवादी दृष्टिकोण से तौला जाये, तो आपको सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण में कोई ज्यादा सार नजर नहीं आयेगा।

राष्ट्रीयकरण के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया गया है कि सामान्य बीमा व्यवसाय में कदाचार होते हैं। मैं मानता हूं कि हैं, और उनको रोकने की भरसक कोशिश की जानी चाहिये। हमें सोचना चाहिये कि उनको कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन इसके आधार पर यह कैसे कहा जा सकता है

कि राष्ट्रीयकरण कर देने से सभी कदाचार दूर हो जायेंगे ? मैं मानता हूं कि सुधार की काफी गुंजाइश है। आइये, हम देखें कि कदाचार कौन से हैं।

श्री साधन गुप्त ने कहा है कि ज्यादा छूट दी जाती है और अतिरिक्त कमीशन अदा किया जाता है। अवैध किस्म की छूट भी दी जाती है और झूठे लेखे भी तैयार किये जाते हैं। यदि किसी उपाय से इनको बन्द कर दिया जाये, या काफी कम कर दिया जाये तो जाहिर है कि प्रीमियम भी कम हो जायेगा। उन्नत देशों में, सरकारी विनियमन द्वारा या प्रतियोगिता के कारण समय-समय पर प्रीमियम घटाया जाता है। जिससे कि पालिसीधारियों को उसका लाभ पहुंच सके। यहां भी यही होना चाहिये। इसलिये इन कदाचारों को बन्द करने का अर्थ यह नहीं होगा कि वह सारी राशि मुनाफे में मिल जायेगी। इन कदाचारों को दूर करने के लिये ही राष्ट्रीयकरण करना भ्रामक सिद्ध होगा, क्योंकि उसका लाभ पालिसीधारियों को ही होगा। उनको कम प्रीमियम देना पड़ेगा।

दूसरा तर्क यह दिया गया थ कि विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ रहा है। बताया गया था कि हमारे देश के बीमा-कर्त्ता अपना बीमा विदेशी बीमा समवायों से करा लेते हैं और विदेशी बीमा-कर्त्ता खुद भी हमारे देश में बीमा व्यवसाय करते हैं, और इसके फलस्वरूप हर साल काफी विदेशी मुद्रा देश से बाहर चली जाती है। इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े भी दिये गये थे। कह नहीं सकता कि वे आंकड़े बिल्कुल सही ही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इसके कारण विदेशी मुद्रा की हानि होती है। लेकिन विदेशी मुद्रा की इस हानि का कारण शायद यह है कि भारतीय बीमा-कर्त्ता विदेशी बीमा समवायों से अच्छी शर्तों पर बीमा नहीं करा पाते, और एक कारण यह भी है कि भारत में व्यवसाय करने वाले विदेशी बीमा-कर्त्ता भारतीय समवायों के पुनः बीमा के व्यवसाय को विदेशों के लेखे में ही जोड़ते हैं, उसे भारत के अपने व्यवसाय के लेखे में नहीं दिखाते। इस हानि को रोकने का सीधा प्रयास करना चाहिये। हमें इसके नियंत्रण के लिये कुछ विनियमन करना चाहिये। राष्ट्रीयकरण करना तो इसका कोई इलाज नहीं। राष्ट्रीयकरण करने के बाद भी तो इस सम्बन्ध में यही स्थिति बनी रह सकती है। विदेशों की दो एक बड़ी-बड़ी संस्थाओं के जरिये तो बीमा करने से, या उनके साथ सौदे-बाजी का ज्यादा अनुभव प्राप्त करके, इस हानि को धीरे-धीरे कम किया जा सकता है, और आगे चल कर कभी इसको पूरी तौर से बन्द भी किया जा सकता है।

फिर इसके बाद कहा गया था कि विदेशी समवायों ने एकाधिकार जमा लिया है। **बीमा वर्ष-पत्र** में दिये गये आंकड़ों से पता चलता है कि विदेशी बीमा समवायों का व्यवसाय निरन्तर कम ही होता जा रहा है। वह ४० प्रतिशत से घट कर ३२ या ३३ प्रतिशत ही रह गया है। सब से बड़ी बात यह है कि विदेशी समवाय अधिक अनुभवी हैं, इसलिये उन को ज्यादा बेहतर किस्म का व्यवसाय मिल जाता है।

मैंने खास-खास तर्कों का उत्तर दे दिया है। मैं मानता हूं कि सामान्य बीमा व्यवसाय में बड़ी-बड़ी खामियां हैं। एक बड़े पैमाने पर कदाचार चल रहे हैं। मैं निजी क्षेत्र के दूसरे प्रकार के समवायों के साथ इन की तुलना नहीं करना चाहता। बस मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार यथार्थ स्थिति पर पूरी तरह से नजर रखे है। सरकार ने अपनी सीमित शक्तियों के बल पर उसमें सुधार करने की भरसक चेष्टा की है। हम उस के विनियमन और नियंत्रण के लिये अधिक से अधिक शक्तियां ग्रहण करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सरकार को जब भी किसी बीमा समवाय के काम में कोई बुराई नजर आती है, वह बड़ी तत्परता से उस समवाय के मामलों की जांच कराती है, बीमा अधिनियम की धारा ३३ के अन्तर्गत। उस जांच की रिपोर्ट मिलने पर, सरकार, विधि की सीमा में रहते हुए, तत्काल सम्बन्धित समवाय के विरुद्ध कार्यवाही करती है। अधिनियम के अन्तर्गत सरकार किसी भी बीमा समवाय के निदेशक-बोर्ड में दो सरकारी निदेशक नियुक्त कर सकती है।

[श्री बी० रा० भगत]

सामान्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत, सरकार, जीवन बीमा की भांति, सामान्य बीमा क्षेत्र में प्रशासक की नियुक्ति नहीं कर सकती। सरकार के पास जितनी भी शक्तियां हैं, उन सभी का पूरा-पूरा उपयोग किया जा रहा है।

सरकार ने जिन जिन बीमा समवायों के विरुद्ध कार्यवाही की है, उन के नाम बताना अवांछनीय होगा। लेकिन चूंकि दो समवायों के नाम लिये जा चुके हैं, इसलिये मैं सभा को बताता हूं हमने उन मामलों में कितनी तत्परता से कार्यवाही की थी। मैं 'न्यू एशियाटिक इन्शोरेंस कम्पनी' और 'रूबी जनरल इन्शोरेंस कम्पनी' की बात कर रहा हूं। जैसे ही इन दो समवायों के बारे में हमें कुछ मालूम हुआ, वैसे ही हम ने उन की पूरी तौर पर जांच कराना शुरू कर दी थी। जांच कितनी अच्छी तरह से की गई थी, इसका पता 'न्यू एशियाटिक' के बारे में जांच कर्त्ता लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन से लग सकता है। मेरे सहयोगी ने एक प्रश्न के उत्तर में उसकी मुख्य-मुख्य बातें बताई थीं। 'न्यू एशियाटिक' के निदेशक-बोर्ड में दो सरकारी निदेशक नियुक्त किये गये थे, जिससे कि वे कदाचारों के लिये जिम्मेदार लोगों क पता चला सकें। उन का प्रतिवेदन अभी तक नहीं मिला है, पर शीघ्र ही मिलने की आशा है। तब सरकार उस के आधार पर तय करेगी कि आगे क्या कार्यवाही की जाये।

'रूबी कम्पनी' के सम्बन्ध में, जांचकर्त्ता लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें कम्पनी को बता दी गई हैं। समवाय ने अभी कुछ ही दिन पहले अपना उत्तर भेजा है। उस पर विचार हो रहा है। मैं यह सब इसीलिये बता रहा हूं कि सरकार सभी बातों पर गौर करते हुए अपनी ओर से भरसक चेष्टा करती है। और, यदि सामान्य बीमा क्षेत्र में कोई गड़बड़ी है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है।

अब मैं बताता हूं कि उस के विनियमन और नियंत्रण के लिये हम किस ढंग से व्यवस्था करते हैं। यह काम बीमा-नियंत्रक के अधीन बीमा-विभाग द्वारा किया जाता है। सामान्य बीमा के बारे में अभी विभाग की शक्तियां बड़ी सीमित हैं। लेकिन फिर भी समवाय ने बड़े अच्छे ढंग से अपना कर्त्तव्य निभाया है और छोटे-बड़े, देशी-विदेशी सभी समवाय इसकी कार्यक्षमता का लोहा मानते हैं कि वह बड़े प्रभावशाली ढंग से बीमा अधिनियम की व्यवस्थाओं को लागू करता है। माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े उद्धृत किये थे। हां, दावों का अनुपात तो कुछ अधिक है, लेकिन कमीशन वगैरह अन्य देशों के मुकाबले अधिक नहीं है। यह विभाग सामान्य बीमा समवायों के बारे में कुछ ज्यादा सख्त रहा है। हम उन पर जोर देते रहे हैं कि खर्च भी आय के मुकाबले एक सीमित अनुपात में ही रहे। यह विभाग अलग-अलग समवायों की असफलताओं और उनके कदाचारों की ओर तो सरकार का ध्यान आकर्षित करता ही रहा है, साथ ही उनके मूलभूत कारण भी बताता रहा है। विभाग ने संविहित शक्तियों के मामले में बड़ी निष्पक्षता से काम किया है। उसने तीन सरकारी सहायक समवायों पर भी ये सभी व्यवस्थायें लागू की हैं। मैं उसको जो यह श्रेय दे रहा हूं, वह सर्वथा उचित है।

कदाचारों की मौजूदगी का कारण यह नहीं कि सरकार ने कोई ढिलाई की है, बल्कि यह है कि यह व्यवसाय एक अपने ही ढंग से चलता रहा है। समवाय एक-दूसरे पर विश्वास नहीं करते। उनमें बड़ी प्रतियोगिता है। इसी परस्पर अविश्वास के कारण, वे समवाय अपनी बिगड़ती हुई दशा के मूल कारण को दूर करने का उपाय नहीं कर पाते। हमारा परम कर्त्तव्य यह है कि हम उन समवायों को बतायें कि उनको परस्पर अविश्वास की भावना दूर करनी चाहिये और सभी को मिल कर एक रचनात्मक ढंग से मूल बुराइयों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। यदि वे

ऐसा कोई प्रयास सच्चे हृदय से करेंगे, तो सरकार उन को पूरा सहयोग देगी। भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय के लिये एक विशेष अधिनियम, एक संविहित संस्था और उस की कार्यकारिणी समिति, आचरण संहिता और प्रशासकीय व्यवस्था मौजूद है। उस आचरण संहिता का उल्लेख किया गया था। हो सकता है कि कुछ मामलों में, उदाहरण के लिये छूट देने के मामले में, उसे अधिक सफलता न मिली हो। लेकिन प्रीमियम की नकद अदायगी के मामले में तो उस ने अच्छी सफलता प्राप्त कर ली है। आप जानते ही हैं कि पहले उधार की प्रथा प्रचलित थी। इसलिये कहा जा सकता है कि चाहे उसे उतनी सफलता न मिली हो जितनी कि मिलनी चाहिये थी, फिर भी वह इतनी अप्रभावशाली भी नहीं रही है जितनी कि उसे बताया गया है।

उस के अतिरिक्त, एक प्रशासकीय व्यवस्था भी है, जिस का प्रधान बीमा-नियंत्रक है। सरकार इस से सहमत हो गई है। साथ ही, एक संविहित प्रशुल्क समिति और उस की प्रादेशिक समितियां भी हैं, जो प्रीमियम की दरों और पालिसी की शर्तों का नियंत्रण तथा विनियमन करती हैं। और यदि इतने पर भी सभी बीमा समवाय इस व्यवसाय को अधिक ठोस आधार पर लाने और साफ-सुथरा बनाने के लिये सक्रिय सहयोग नहीं देते, तो सरकार को उस में सुधार करने के लिये और भी कदम उठाने के लिये विवश होना पड़ेगा। उस के लिये यदि सरकार को अधिक वैधानिक शक्तियां ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो वह सभा से अनुमति लेगी। इसलिये यह कहना गलत है कि हम हाथ पर हाथ धरे कदाचारों को देखते रहते हैं।

अभी तक बीमा व्यवसाय एक वैज्ञानिक आधार पर प्रीमियम की दरों की प्रणाली विकसित करने में असफल रहा है। वह विदेशी मुद्रा का देश से बाहर जाना भी नहीं रोक पाया है। उसको अवैध छूटों की अदायगी और झूठे लेखे तैयार करने की बुराइयां रोकने में भी सफलता नहीं मिली है। सरकार इन असफलताओं को खड़ी-खड़ी देखती नहीं रहेगी।

मेरा ख्याल है कि सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण करना बेमतलब होगा। सामान्य बीमे के संसाधन इतने नहीं हैं कि जिन से हमारी योजनाओं को कोई बड़ी सहायता मिले। मुनाफा भी बहुत थोड़ा है। इस व्यवसाय में जो बुराइयां हैं, वे कमोबेश अन्य व्यवसायों में भी हैं। और इस आधार पर हम उन सभी का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते। हां, हम उस का "नियंत्रण और विनियमन" अवश्य करेंगे। सरकार 'नियंत्रण और विनियमन' को और अधिक कारगर बनायेगी। और यदि आवश्यकता पड़ेगी, तो अधिक शक्तियां भी ग्रहण करेगी।

इसलिये, मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से सामान्य बीमा के प्रीमियम के रूप में कितनी राशि अदा की जाती है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मेरे पास अभी इस के आंकड़े नहीं है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मुझे माननीय मंत्री के भाषण से कोई निराशा नहीं हुई। इसलिये कि हमारा यही अनुभव है कि सरकार ने इसी तरह जीवन बीमा व्यवसाय, इम्पीरियल बैंक या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन, वगैरह का राष्ट्रीयकरण करने की हमारी मांगें भी पहले नहीं मानी थीं, लेकिन बाद में उन का राष्ट्रीयकरण हुआ। उस समय भी वे सभी निजी क्षेत्र में प्रगति कर रहे थे, और उसी आधार पर उन का राष्ट्रीयकरण न करने का तर्क दिया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त० ब० विट्ठलराव]

हम पिछले दो साल से मांग कर रहे थे कि डीजल इंजिनों का निर्माण सरकारी क्षेत्र में होना चाहिये। माननीय रेलवे मंत्री तब इस पर नाराज भी हो उठे थे। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले उसे सरकारी क्षेत्र में रखने का निर्णय किया गया है। इसलिये मुझे उपमंत्री के भाषण से कोई निराशा नहीं हुई। मैं जानता था।

लेकिन उन्हों ने एक बात तो मानी है कि सामान्य बीमा व्यवसाय के अधिक नियंत्रण तथा विनियमन की आवश्यकता है, और सरकार को इस के लिये अधिक शक्तियां ग्रहण करनी पड़ेंगी। यदि उपमंत्री वास्तव में 'नियंत्रण और विनियमन' के पक्ष में हैं, तो उन को सीधे-साधे कहना चाहिये कि सरकार अधिक शक्तियां ग्रहण करने के लिये सभा में एक विधान लायेगी।

यदि सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण हो जाय, तो विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। साथ ही, सरकार को इस व्यवसाय के विनियोजनों की पद्धति बदलनी चाहिये। अभी उस का केवल ५ करोड़ रुपया रक्षित राशि और सरकारी प्रतिभूतियों में लगा हुआ है, जब कि उस की कुल आस्तियां ५२ करोड़ रुपये की हैं।

श्री पु० र० पटेल ने हमारी जानकारी काफी बढ़ाई है। लेकिन मैं उन के निष्कर्षों से सहमत नहीं। मेरा अनुरोध है कि संकल्प को स्वीकृत किया जाये।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

†**सभापति महोदय** : इस संकल्प पर शुक्रवार को मत-विभाजन होगा।

सभा का कार्य

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : श्रीमान्, संसद्-कार्य मंत्री की ओर से मुझे अगले सप्ताह के कार्यक्रम में एक साधारण से परिवर्तन की घोषणा करनी है। चीनी के उत्पादन, वितरण और निर्यात के बारे में श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा ६ दिसम्बर के बजाय अब ७ दिसम्बर, १९६० को ३ बजे होगी।

निशान लगा कर मतदान करने की नयी प्रणाली के बारे में संकल्प

†**सभापति महोदय:** : अब हम अगला संकल्प लेंगे।

†**श्री विभूति मिश्र** (बगहा) : चेयरमैन साहब, मैं अपना संकल्प आपके सामने पेश करना चाहता हूं, वह इस प्रकार है :

"इस सभा की राय है कि हाल ही में लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के उप-चुनाओं में निशान लगाकर मतदान करने की जिस नई प्रणाली का परीक्षण के तौर

---

†मूल अंग्रेजी में

पर प्रयोग किया गया था वह सफल सिद्ध नहीं हुई है, अतः इसका भावी चुनावों में प्रयोग न किया जाये ।"

इस सम्बन्ध में मुझ को यह कहना है कि वोट देने की प्रथा बहुत पुरानी प्रथा है । यह प्रथा हिन्दुस्तान में ईसामसीह के ३०० वर्ष पहले से चली आती है । हिन्दुस्तान में सरकारी काम में भी वोट का प्रयोग होता था और गांवों में भी यदि किसी आदमी को कोई सजा देनी होती थी तो उस समय भी यह प्रथा काम में लाई जाती थी ।

इसके अलावा दुनिया के और देशों में भी वोट की प्रथा चालू है । एथेन्स में वोट की प्रथा थी । 'बैलट' शब्द इटालियन शब्द "बैलोटा" से निकला है, यह उसका अपभ्रंश है ।

पहले लोग इस तरह के नहीं थे कि वोट की प्रथा में कोई गड़बड़ करते हों । वे वोट का काम या तो पत्थर से कर लेते थे या मिट्टी की गोलियां बना कर कर लेते थे, नहीं तो कागज़ के टुकड़ों से कर लेते थे । जब इस तरह की प्रथा में गड़बड़ी होने लगी तो यह महसूस हुआ कि वोट की कोई दूसरी प्रथा निकाली जानी चाहिये । तो सन् १८५६ में साउथ अस्ट्रेलिया में यह मार्किंग का सिस्टम चला । आज हमारी सरकार जो सिस्टम चालू कर रही है, वह मार्किंग का सिस्टम साउथ आस्ट्रेलिया में सन् १८५६ में चला था ।

हमारे देश का इतिहास यह है कि हमारे स्वाधीन होने से पहले का, और जगह का तो मैं नहीं जानता, हमारे यहां बंगाल, बिहार, आसाम और उड़ीसा में रंग रखा जाता था । जितने उम्मीदवार होते थे उनमें हर एक को एक एक रंग दिया जाता था, किसी को लाल, किसी को पीला, किसी को हरा, किसी को उजला आदि । और उसी रंग का बक्सा रहता था । वोटर्स को बैलट पेपर दिया जाता था और वह जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहते थे उसके बक्से में जाकर अपना पेपर गिरा देते थे ।

स्वाधीनता के बाद सन् १९५२ में हमारे देश में प्रथम बार आम चुनाव हुए । उस समय देखा गया कि बहुत से उम्मीदवार होंगे, तो रंग का बटवारा करना मुश्किल है । इसलिये हमारे यहां इलेक्शन कमीशन ने सिम्बल की प्रथा चलायी, चुनाव चिह्न की प्रथा चलायी, जैसे कांग्रेस का सिम्बल बैलों का जोड़ा था, किसी की झोंपड़ी थी, किसी की धूपदानी थी, किसी का वृक्ष था और किसी का कुछ और था । इस तरह से हर एक पार्टी को उसका चुनाव चिह्न दिया गया । सन् १९५२ के चुनावों में यह प्रथा बहुत अच्छी तरह से कामयाब हुई, और सन् १९५२ के चुनावों में एलिजिबल वोटर १७·३ करोड़ थे जिनमें से १०·५९ करोड़ ने अपना वोट दिया, और वोटिंग का परसेंटेज रहा ६१.२१९ । यही प्रथा फिर सन् १९५७ के चुनावों में चली । सन् १९५७ के चुनावों में एलिजिबल वोटरों की संख्या थी १९.३ करोड़ और वोट देने वालों की संख्या, यानी जिन्होंने अपने वोट दिये उनकी संख्या थी १२.०५ करोड़ । सन् १९५७ के चुनावों में ६२.४१ फीसदी वोट गिरे थे । सन् १९५७ के चुनावों के बाद एलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने यह कहा है :

"प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों को पृथक पृथक चुनाव चिन्ह देने तथा उसे मतदान पेटी में लगाने की प्रणाली पहिले सामान्य चुनावों में सफलतापूर्वक अपनायी गयी । इस से हमारे अशिक्षित मतदाता जो कि पूरी जनसंख्या के ८३ प्रतिशत हैं, अपनी पसन्द के उम्मीदवार के हक में मतदान करने में समर्थ हुये । सर्वसम्मति से यह निश्चय किया गया कि दूसरे सामान्य चुनाव में भी यही प्रणाली अपनायी जाये । अशिक्षा के कारण हमारी जनसंख्या के अधिकांश लोग इस योग्य नहीं हैं कि—वे

मतदान पत्र में अपनी पसन्द के उम्मीदवार के आगे चिह्न लगा सकें। यदि इस सम्बन्ध में चुनाव अधिकारियों द्वारा उनकी सहायता की जायेगी तो इसमें मतदान की गोपनीयिता नहीं रहेगी ....."

यह उन्होने लिखा है। यह सेंकेंड जनरल एलेक्शंस की रिपोर्ट है। उन्होने लिखा कि पहले जनरल एलेक्शन में यह बात सफलीभूत हुई और दूसरे इलेक्शन में सफलीभूत हुई। आखिर एलेक्शन कमीशन ने कहा कि हिन्दुस्तान में ८३ फीसदी अशिक्षित लोग हैं, अनपढ़े लोग हैं और ऐसे लोगों को अगर हम मार्किंग सिस्टम बतलावें तो उनके लिये मुश्किल होगा कि वे अपना वोट ठीक से एक्सरसाइज कर सकें और गुप्त रूप से एक्सरसाइज कर सकें।

अब सभापति महोदय, हमारे देश में बहुत अशिक्षा है और बहुत से निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां कि पढ़े लिखों का नाम भी नहीं है और लोगों को अपने जरूरी पत्र आदि पढ़वाने के लिये ५, ५ और १०, १० मील जाना पड़ता है .....

विधि मंत्री (श्री अ० कृ० सेन): अब हालत ऐसी नहीं रही है जैसी कि माननीय सदस्य बतला रहे हैं।

†**श्री विभूति मिश्र** : अभी भी साहब ऐसी हालत कायम है और सेन साहब जैसे कुशल और अनुभवी व्यक्ति मौजूद नहीं हैं। बहुत से निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां कि अभी भी अविद्या मौजूद है। मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में दोहद का इलाका है जो कि एक जंगली इलाका है और चारों तरफ ५, ७ मील तक जंगल ही जंगल फैला हुआ है। अब वहां पर हमारे भोले भाले और अनपढ़े ग्रामीण भाई बसते हैं और उनको इतनी भी शिक्षा प्राप्त नहीं है कि वह वोट को समझ सकें और फिर यह मार्किंग सिस्टम तो ऐसा है जिसमें पढ़े लिखे आदमी तक से गलती हो सकती है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अब उपाध्यक्ष महोदय, आप लगभग नौ साल से संसद् के सदस्य हैं और यह हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे उपाध्यक्ष हैं। आपने देखा होगा कि यहां पर जो हम अपना वोट डालने के लिये बटन दबाते हैं तो उसमें मिनिस्टर साहबान से भी गलतियां हो जाती हैं और मेम्बर साहबान से भी अक्सर गलतियां हो जाया करती हैं और अब आप समझ सकते हैं कि जब इतने पढ़े लिखे मिनिस्टरों और मेम्बर साहबान तक से गलती हो जाती है तब उन बेचारे अनपढ़े लोगों का तो कहना ही क्या है। अब जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको इस मार्किंग सिस्टम में अपना स्टाम्प ले जाकर लगाने में कितनी दिक्कत होगी ? दूसरी बात यह है कि हमारे यहां पर्दा सिस्टम बहुत ज्यादा है और उसके कारण भी इस मार्किंग सिस्टम में बड़ी दिक्कत और असुविधा होने वाली है। हमारी औरतें सब पर्दे के अन्दर रहती हैं। अब उनको आप कार्ड दे देते हैं और उनको उसको वहां बूथ पर जाकर जहां कि बैलेट बौक्स रक्खा जाता है वहां उसमें गिराना है। अब वहां पर प्रीसाईडिंग आफिसर रहेगा, सब का एजेंट रहेगा, सब के सामने जाकर उनको बैलट पेपर लेना होगा और बैलेट पेपर ले जाकर उस पर मार्क करना पड़ेगा और निशान लगाने में उन औरतों को जो कि पर्दानशीन हैं झिझक होगी और बहुत संभव है कि वे ठीक से निशान न लगा पायें या गलत जगह लगा दें। अब यह दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे मुल्क में पर्दे की प्रथा है और इस पर्दे की प्रथा को एक दिन में एकदम से न तो सेन साहब हटा सकते

†मूल अंग्रेजी में

हैं और न और कोई ही हटा सकता है। वह तो धीरे धीरे देश में से जायेगी। इस लिये जो वास्तविकता है उससे हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिये और आज जो स्थिति है उसके अनुसार ही व्यवस्था करनी चाहिये। इस लिये मेरा कहना है कि इस मार्किंग सिस्टम के कारण पढ़े लिखे लोगों को भी दिक्कत होगी और जो पढ़े लिखे नहीं हैं और जिन की कि संख्या हमारे देश में बहुत अधिक है उनको तो और भी अधिक कठिनाई प्रतीत होगी। मैं चाहता हूं कि यह जो मार्किंग सिस्टम में वोट की दिक्कत है उसे ठीक किया जाय।

एलेक्शन कमीशन ने सकेंड रिपोर्ट में खुद लिखा है कि मार्किंग सिस्टम में बड़ी कठिनाई है लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इसको जारी किया। मार्किंग सिस्टम वहां चलेगा जहां कि लोग पढ़े लिखे होंगे लेकिन मैं अभी हाल में अमरीका में जो चुनाव हुआ है उसकी बाबत बतलाना चाहता हूं कि वहां भी चुनाव में गड़बड़ी हुई है। अमरीका सरीखा सबसे धनी और समृद्ध देश जहां के लोग काफी शिक्षित हैं वहां भी २२ नवम्बर के स्टेट्समैन अखबार में इस आशय की खबर छपी है 'अमरीकी चुनावों में धोखा धड़ी' अब समयाभाव के कारण मैं उसको पूरा तो पढ़कर सुना नहीं सकता लेकिन उसमें यह चीज़ आई है कि वहां अमरीका में चुनावों में भी गड़बड़ी का पता लगा है। अमरीका में भी मार्किंग सिस्टम है। अमरीका के चुनावों के बारे में भी २६ तारीख को अखबार में यह चीज़ निकली है कि :

> "आस्टिन टक्सास के जिला न्यायाधीश ने, टक्सास के महाधिवक्ता का यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया कि टक्सास में राष्ट्रपति के चुनावों में हुई अनियमितताओं के कारण, विकिल काउन्टी के ३५ क्षेत्रों की मतदान पेटियां सरकारी अधिकार में ले ली जायें इत्यादि . . ."

अब वोटर जाकर गलत मार्किंग कर दे वह तो इस में संभावना है ही लेकिन कहते हैं कि काउंटिंग में कंसट्रेक्टिव फ्रौड हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि यह कितनी गंभीर बात है। दो ही उम्मीदवार हैं और जब इस तरह की गलती और गड़बड़ी उसमें हो सकती है तब और बड़े चुनावों का तो कहना ही क्या है। इस से आप समझ सकते हैं कि इस मार्किंग सिस्टम में क्या खामी है। और इस में क्या कठिनाई है। इस प्रथा के कारण स्टेट्समैन अखबार में २२ और २६ नवम्बर को यह समाचार छपा कि वहां पर चुनाव में गड़बड़ और कंस्ट्रक्टिव फ्रौड हुआ है।

दूसरी बात यह है कि इस मार्किंग सिस्टम के कारण जो सीक्रेसी मेंटेन करने की हमारी मंशा है उसे हम ठीक तरह से पूरा नहीं कर पायेंगे।

> 'मार्किंग सिस्टम सम्बन्धी नियम ४१ एफ़—में यह कहा गया है कि मतदान पेटियां इस प्रकार रखी जायेंगी कि उन में पड़ने वाले मतदान पत्र, चुनाव अधिकारी उम्मीदावर तथा उसके एजेंटों के सामने रहें। नियम ४१ छ का संक्षेप यह है कि उन्हें अपने मार्क को चुनाव अधिकारी को दिखाना होगा तत्पश्चात मतदान पत्र को मतदान पेटी में डाल दिया जायेगा।'

इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रीज़ाइडिंग आफिसर को उन्हें दिखलाना पड़ेगा जोकि उन्होंने मार्क किया है और उस हालत में वह सीक्रेसी कहां कायम रह सकेगी ? पहले की प्रथा के अनुसार वोटर अपना बैलेट पेपर ले जा कर जिस बक्से में चाहता था उसमें वह अपना पर्चा डाल देता था और वहां उस जगह पर कोई नहीं रहता था लेकिन इसमें तो प्रीसाईडिंग आफिसर को उसको दिखलाना पड़ेगा। यह एलेक्शन कमिशन का रूल है। हमारे ला मेम्बर साहब का रूल है। पहले उसे प्रीज़ाइडिंग आफिसर को दिखलाना पड़ेगा। जहां तक प्रिज़ाइडिंग आफिसर का सम्बन्ध है, फ़र्ज़ कीजिए

[श्री विभूति मिश्र]

कि वह कोई बड़ा आदमी नहीं है और भगवान और सत्य का बीड़ा उठाने वाला नहीं है, तो वह कह सकता है कि फ़लां आदमी ने आप को वोट दिया है और फ़लां आदमी ने नहीं दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मार्किंग सिस्टम के लिए जो सहूलियत चाहिए, वह सहूलियत आज उपलब्ध नहीं है।

हमारी सरकार और इलैक्शन कमीशन यह चाहते हैं कि दो सप्ताह में चुनाव करा दिये जायें। पहले हम नामीनेशन पेपर फ़ाइल करेंगे और उस के बाद हम को विदड्राअल का डेट मिलेगा, जिस के बाद यह देखा जायगा कि कितने केंडीडेटस बच गये हैं। मैं समझता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में लोक सभा के लिए लगभग ५०० और विधान सभाओं के लिए लगभग २८०० मेम्बर चुने जाते हैं। एक कांस्टीट्युएन्सी में जितने कनटेस्टेंट होंगे, उन के नाम सिम्बल के साथ इलैक्शन कमीशन को भेजने पड़ेंगे। पंद्रह दिनों के अन्दर इतने आदमियों का नाम बलट-पेपर्ज़ पर छपेगा, क्योंकि यह पता नहीं कि कौन उम्मीदवार होगा। पिछले जेनरल इलैक्शन में एलिजिबल वोटर्ज़ की संख्या १९·३ करोड़ थी और वह संख्या इस इलैक्शन में २० या २१ करोड़ भी हो सकती है। इलैक्शन कमीशन को २१ करोड़ बैलट पेपर लोक सभा के लिए और २१ करोड़ विधान सभाओं के लिए सरकारी या ग़ैर-सरकारी छापेख़ाने में छपवाने पड़ेंगे, जिस के लिए समय सिर्फ़ दो या तीन हफ्ते होगा। आप जानते हैं कि ज़िले ज़िले में कांस्टीट्युएन्सीज़ हैं। कहीं रिटर्निंग आफ़िसर एस० डी० ओ० होता है, कहीं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है या कमिश्नर होता है और जहां तीन चार ज़िले मिलाये जाते हैं, वहां गवर्नमेंट का सैक्रेटरी होता है। इस का परिणाम यह होता है कि सरकार का सारा काम ठप हो जाता है। यह सारी सूचना तार, रेल या फ़ोन से भेजी जायगी, जिस में सरकार को बड़ी दिक्कत होगी।

यही नहीं, ४२ करोड़ बैलट पेपर छपवाने के बाद उन को कांस्टीट्यूएन्सीज़ और पोलिंग बूथ्स में डस्पैच करना पड़ेगा। समय सिर्फ़ दो या तीन सप्ताह होगा, जिसमें सब नाम आयेंगे, दूसरी सूचना आयगी, सब का कम्पाइलेशन होगा, बैलट पेपर्ज़ को सिक्योरिटी प्रैस, जहां हमारे नोट वगैरह छपते हैं, या किसी और प्रैस में छपवाना होगा, और फिर उन को कांस्टीट्युएन्सीज़ में, जहां प्रिज़ाइडिंग आफ़िसर्ज़ होंगे, भेजना होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ा कालोसल काम है, जिसको करने में बड़ी कठिनाई होगी। बैलट पेपर्ज़ में यह सहूलियत है कि उन को सरकार छः महीने में छपवा सकती है और उन को गुप्त रखा जा सकता है।

आजकल डेमोक्रेसी का ज़माना है। सब समझते हैं कि हम जीत जायगे। इस प्रकार अगर किसी कांस्टीट्युएन्सी में दस या पंद्रह उम्मीदवार खड़े हो गये, तो बैलट पेपर की शक्लो-सूरत बढ़ जायगी। इल्लीट्रेट लोगों को छाप लगाने में दिक्कत होगी। ह्यु एनसांग और फ़ाहियान यात्री चाहे कुछ लिख गये हों, लेकिन तथ्य यह है कि लोग धर्मात्मा नहीं हैं। इलैक्शन कमीशन के लोग और श्री अशोक सेन तो टापमोस्ट आदमी हैं और सारी दुनिया में घूमे हैं। वे ज़रा गांवों में जा कर देखें कि आम वोटर्ज़ की हालत क्या है और वे किस तरह अशिक्षित हैं। इस अवस्था में मार्किंग सिस्टम कैसे सफल हो सकेगा ? पढ़े लिखे लोगों के लिए तो यह सिस्टम ठीक है, हालांकि मैं ने आप को अभी अमरीका का उदाहरण दिया है कि जहां काउंटिंग में कंस्ट्रक्टिव फ्राड हुआ और वहां भी मार्किंग सिस्टम है। वहां भी इस सिस्टम के कारण गड़बड़ी हुई।

सैकंड जनरल इलैक्शन में कहीं कहीं बक्सों में ख़राबी हो गई, तो इलैक्शन कमीनश ने सोचा कि हम ख़राबी का इल्जाम अपने ऊपर क्यों लें। हमारे यहां श्री रामचन्द्र जी कुछ टैक्स लेते थे और

उन के भाई भरत उन से कम टैक्स लेते थे । जब रामचन्द्र जी जंगल से वापस आये, तो उन्होंने लोगों से पूछा कि उन का क्या हाल है । लोगों ने कहा कि हम भरत के जुल्मों से बच गये । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लोग तो सब जगह शिकायत करते हैं ।

इसलिए अगर आदमी सच्चा है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, ईमानदार है, तो फिर लोग चाहे शिकायत करते रहें । सैकंड जेनरल इलैक्शन में जिस तरह बैलट पेपर्ज़ का इन्तज़ाम हुआ और वोटिंग की व्यवस्था हुई, उस की सारे देश में प्रशंसा की गई । केवल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने कहा कि मार्किंग सिस्टम होना चाहिए । न कम्यूनिस्टों ने यह बात कही, न जनसंघ वालों ने, न हिन्दू महासभा वालों ने और न कांग्रेस वालों ने---किसी ने यह नहीं कहा । यह देखा गया है कि जब राम-कथा होती है, तो कुछ लोग गपशप भी करते हैं । यह मनुष्य का स्वभाव है । प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की इस मांग के जवाब में इलैक्शन कमीशन ने कहा कि हम बाई-इलैक्शन में मार्किंग सिस्टम जारी करेंगे । मैं यह बताना चाहता हूं कि पंजाब में गुड़गांव कांस्टीट्युएन्सी में १,६०,२३६ वोट्स पोल किये गये, जिन में से ५,६९६ वोट्स रिजेक्ट कर दिये गये । इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जेनरल इलैक्शन और बाई-इलैक्शन में फ़र्क होता है । अगर किसी जगह बाई- इलैक्शन होता है, तो सारे सूबे के कार्यकर्ता, सब पार्टियों के लोग वहां पहुंच जाते हैं । किसी को कोई काम नहीं रहता, सभी वोटर्ज़ के पीछे लग जाते हैं, उनको सिखाने पढ़ाने में लग जाते हैं । लेकिन जब जर्नरल इलैक्शन होते हैं तो आप जानते हैं कि सभी आदमियों को अपने २ अपने काम पड़ जाते हैं और उस वक्त आम वोटर्ज़ को समझाने का समय और सहूलियत नहीं होती है । लेकिन फिर भी बाई-इलैक्शन में काफी वोट रिजैक्ट हुए हैं । मैं मानता हूं कि मार्किंग सिस्टम अगर रखना है तो मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली इत्यादि बड़े बड़े शहरों में रखा जाये और मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है । लेकिन हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि गांव के लोगों की क्या हालत है, किस हद तक लोग बे पढ़े हैं वहां पर और कैसे उनकी समझ में मामूली से मामूली बात भी नहीं आती है। इसके अलावा हमारे यहां परदा सिस्टम भी है जो बहुत ज्यादा है और यह भी एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है ।

जहां तक बक्से का सम्बन्ध है वह सभी के सामने रखा रहेगा और जो अपना वोट डालेगा वह डरेगा कि कहीं कोई देख न ले कि किस को वह वोट दे रहा है । यह बात ठीक है कि स्वराज्य हो गया है लेकिन अभी भी देश में एंटी-सोशल एलीमेंट मौजूद है । जो वोटर है वह घबराता रहेगा कि कहीं जो एजेंट है वह देख न ले कि किसको वह वोट दे रहा है और क्या उसके आदमी को दे रहा है या नहीं दे रहा है । साथ ही जो कैंडीडेट है वह यह अफवाह भी फैला सकता है कि उसने अपना एजेंट रख दिया है जो देखता रहेगा कि किस को कौन वोट देता है और उसको दिया है या नहीं दिया है । इस वास्ते जहां तक सीक्रेट बैलट का सम्बन्ध है, वह खत्म हो जायेगा । आप यह न सोचें कि अगले आम चुनाव में जब आप चुनाव लड़ेंगे तो आपके लिए अच्छी सड़क बन जायेगी और दूसरों के लिए कांटों भरी सड़क होगी । सभी के लिए एक सी सड़क होगी । सुख दुःख सभी के लिए समान रूप से होंगे ।

एक माननीय सदस्य : कलकत्ता से वे लड़ेंगे ।

श्री विभूति मिश्र : यह किसी एक माननीय सदस्य का सवाल नहीं है, यह सारे हाउस के सारे मैम्बर साहिबान का सवाल है । यह सवाल किसी जाति विशेष का भी नहीं है, और न ही किसी जाति विशेष का काम है । हम सभी का यह काम है ।

[श्री विभूति मिश्र]

मैं समझता हूं कि देश, काल और पात्र के अनुसार ही कानून बनता है । जैसा देश हो, जैसा समय हो, जैसे आदमी हों, वैसा ही कानून बनता है । गुड़गांव की बात मैं कर चुका हूं । इसी तरह से धनबाद में चुनाव हुआ था । ५८,५७२ वोट वहां पोल हुए और उनमें से १,८६८ वोट बरबाद गये, रिजैक्ट हुए । यह मार्किंग सिस्टम की वजह से हुआ । महाराष्ट्र में जालना में चुनाव हुआ । वहां १,६६,४१६ वोट पोल हुए । और १३,७४३ वोट रिजैक्ट हुए और इसका परसेंटेज ८.२ रहा । महाराष्ट्र में अकोला में चुनाव हुआ । वहा पर २,८७,७६५ वोट पोल हुए और उनमें से १७,८९९ वोट बरबाद गये और बरबाद वोटों का परसेंटेज ६.२ रहा ।

अब मैं असैम्बली कांस्टिट्युएंसीज़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । रायकोट, में चुनाव हुआ । वहां पर ६४,४२० वोट पोल हुए और ७,०९९ वोट रिजैक्ट हुए । इस तरह से परसेंटेज ११ रहा । भिलोदा में चुनाव हुआ । वहां पर ४३,४४५ वोट पोल हुए और ४,०८३ बरबाद गये और बरबाद वोटों का परसेंटेज ९.४ रहा । परासिया में २७,१९२ वोट पोल हुए और २,६१६ बरबाद गये और ९.६ परसेंटेज रहा । बंगाल में जहां सब से ज्यादा शिक्षा है और अंग्रेज भी भारत में कलकत्ता के रास्ते आये और जोकि एक जमाने में भारत की राजधानी भी थी फालाकट्टा में ३२,५८९ वोट पोल हुए, २,५४७ वोट बरबाद गये जिसका परसेंटेज ७.८ रहा । इस तरह से जहां जहां भी चुनाव हुए हैं, बाई-इलैक्शंस हुई हैं, काफी अधिक संख्या में वोट रिजैक्ट हुए हैं और यह तब जब कार्यकर्ता सभी वहां इकट्ठे हो जाते हैं, लोगों को समझाते बुझाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं । जर्नरल इलैक्शन में जब न सवारी का प्रबन्ध होता है और न दूसरी सहूलियतें होती हैं, क्या हालत होगी, इस पर आप विचार कर सकते हैं । उस वक्त तो कहीं अधिक संख्या में वोट रिजैक्ट होंगे ।

मैं पूछना चाहता हूं कि सिम्बल वाला सिस्टम आप क्यों छोड़ रहे हैं ? यह कहा गया है कि कुछ लोगों ने शिकायत की है और र्यूमर्स सैट एफ्लोट की हैं जिससे आप घबरा गये, इलैक्शन कमिशन घबरा गया । मैं समझता हूं घबराने की जरूरत नहीं थी, मुकाबला करना चाहिये था । शिकायत कहां नहीं होती है ? रामचन्द्र जी के खिलाफ भी लोगों को शिकायत थी । हमारा पहला और दूसरा इलैकशन सफलीभूत रहा है । ऐसा होने पर भी इलैक्शन कमिशन ने बाई इलैक्शंस में मार्किंग सिस्टम जारी क्यों किया है । यह कहा गया है कि इस सिस्टम में बहुत से बक्से रखने की जरूरत नहीं है, पहले में बहुत से बक्से रखने पड़े थे और रखने पड़ते हैं, उनकी मुरम्मत इत्यादि करवानी पड़ती है । दो मिलियन बक्से बताये गये हैं, बीस लाख नहीं बताया गया है । यह अंग्रेज़ी शिक्षा का ही असर है । दो मिलियन लिख दिया । कहा गया कि इन पर खर्च बहुत पड़ता है । आप ११० अरब का तीसरा प्लान बनाने जा रहे हैं । दस अरब का आप बजट बनाते हैं । तो क्या आप २० लाख बक्सों का इंतिज़ाम नहीं कर सकते हैं । आप कहते हैं कि मुरम्मत करवानी पड़ती है, उनकी केयर करनी पड़ती है । अगर आप इसी से घबरा जाते हैं तो साहब आप दुनिया का राज कैसे चलायेंगे ।

इस सम्बन्ध में टैम्परिंग की बात भी की जाती है । मैं समझता हूं कि जिस तरह से प्रिज़ाइडिंग आफिसर के सामने मार्किंग करना पड़ेगा, उसी तरह से हां पर भी आप रख सकते हैं कि प्रिसाइडिंग आफिसर के सामने बक्से में बैलट पेपर गिराना होगा और जो वोट बाहर चले जाने की बात कही जाती है, इससे वह हल हो जायेगी । ४१ (जी) में आपने कहा है कि उसके सामने जा कर उसको मार्क लगाना होगा । इसी तरह से सिम्बल वाला बैलट उसके सामने जा कर बक्से में डाला जा सकता है । बक्से को आप कुछ समय तक चलाइये । मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक

विचार करे और कोई रास्ता निकाले । यह किसी खास पार्टी का सवाल नहीं है, सभी पार्टियों का सवाल है । उप-निर्वाचन से हम जर्नरल इलैकशन के लिए कोई कायदा नहीं बना सकते हैं . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य और कितना समय लेना चाहते हैं ?

श्री विभूति मिश्र : दस मिनट और मुझे दिये जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया था कि आपने तो गाड़ी पकड़नी है । आप उधर लेट हो जायेंगे ।

श्री विभूति मिश्र : दूसरे दिन मौका दिया जाये मुझे बोलने का ताकि मैं दस मिनट और बोल लूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा ।

(इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार ५ दिसम्बर १९६०/१४ अग्रहायण, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक लिये स्थगित हुई)।

शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९६०

११ अग्रहायण, १८८२ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१७३५—५५
तारांकित प्रश्न संख्या		
६३६	निर्वाचन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	१७३५—३८
६३७	भारत का औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम	१७३८—४३
६३८	मंत्रालयों को अनुदान	१७४३—४५
६३९	सीमा-क्षेत्रों में असैनिक व्यक्ति	१७४५—४७
६४०	हिमाचल पर्वतारोहण संस्था	१७४७—४९
६४१	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	१७४९–५०
६४२	ब्रिटेन द्वारा विदेशी मुद्रा का ऋण	१७५०–५१
६४३	कोयले से डीजल तेल का उत्पादन	१७५१
६४४	दिल्ली इंजीनियरिंग कालिज	१७५२–५३
६४५	तीसरा वित्त आयोग	१७५३—५५
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१७५५—१८०८
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६३५	मेढकों का निर्यात	१७५५–५६
६४६	गैस टर्बाइन परियोजना	१७५६
६४७	विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये चुनाव परीक्षायें	१७५६–५७
६४८	भिलाई इस्पात कारखाने के लिये लौह अयस्क की खरीद	१७५७
६४९	गैस का उत्पादन	१७५७–५८
६५०	जर्मनी को इस्पात के पिंडों का निर्यात	१७५८
६५१	किसानों की मोटर कार	१७५८
६५२	केन्द्रीय प्रबंध संस्थायें	१७५८–५९

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६५३	बरहामपुर इन्स्टीट्यूट में वस्त्र प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम .	१७५९
६५४	भूमापन और अनुसन्धान शाखा .	१७५९
६५५	एम० ई० एस० दिल्ली में दुर्घटना	१७६०
६५६	इस्पात कारखानों को कोयले की सप्लाई	१७६०
६५७	बजट से पहले वाद-विवाद	१७६१
६५८	नैवेली लिग्नाइट . . .	१७६१
६५९	जीवन बीमा निगम के लेखाओं की लेखा परीक्षा	१७६१
६६०	जमायते इस्लामिया हिन्द का सम्मेलन	१७६२
६६१	इंडियन–बैंक, मद्रास .	१७६२
६६२	होम गार्ड .	१७६३
६६३	आयकर की बकाया राशि	१७६३
६६४	राष्ट्रीय अनुशासन योजना .	१७६३–६४
६६५	अनुसूचित बैंकों पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण	१७६४
६६६	आन्ध्र में एस्बेस्टस के निक्षेप . .	१७६४–६५
६६७	पुनर्वास वित्त निगम के छंटनी किये गये कर्मचारी	१७६५
६६८	सोने का पकड़ा जाना	१७६५–६६
६६९	'कानपुर–आई' विमान	१७६६
६७०	कालिदास समारोह .	१७६७
६७१	प्रभात बैंक का बन्द हो जाना .	१७६७
६७२	अन्तर्राष्ट्रीय छात्र सदन दिल्ली .	१७६७
६७३	उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी .	१७६८
६७४	छात्रों में अनुशासनहीनता	१७६८
६७५	सेना अधिनियम	१७६८–६९
६६६	उत्तर प्रदेश में तेल सर्वेक्षण	१७६९
६७७	भारतीय आकाश सीमा का अतिक्रमण .	१७६९
६७८	भारत के लिये विकास ऋण निधि में से ऋण	१७६९
६७९	दमदम हवाई अड्डे पर सामान की निकासी .	१७७०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या		
११६९	पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिये आवास योजना .	१७७०
११७०	तम्बाकू समवायों का लाभ .	१७७०–७१
११७१	समवाय विधि के मामले	१७७१
११७२	पंजाब के संगठनों को सांस्कृतिक अनुदान . .	१७७१
११७३	राष्ट्रपति अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये श्रमदान	१७७२
११७४	विदेशियों को जारी किये गये वीसा .	१७७२
११७५	अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों का कल्याण .	१७७२
११७६	पैट्रोल का प्रति व्यक्ति का उपयोग	१७७२–७३
११७७	भारत में विदेशी अध्यापक .	१७७३
११७८	अनुसूचित जातियां और आदिम जातियां . .	१७७४
११७९	स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों की संक्षिप्त जीवनी .	१७७४
११८०	दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम .	१७७४–७५
११८१	पंजाब विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक अनुसंधान	१७७५
११८२	स्क्रेप . . .	१७७५
११८३	पंजाब के लिये लोहा और इस्पात . .	१७७६
११८४	युद्धास्त्र कारखानों में मोटर साइकिलों का निर्माण .	१७७६
११८५	उड़ीसा में योग्यता व साधन के आधार पर दी जाने वाली छात्र-वृत्तियां . .	१७७६
११८६	उत्कल विश्वविद्यालय के प्रध्यापक .	१७७६–७७
११८७	उड़ीसा खनन निगम . .	१७७७
११८८	लौह अयस्क खानों का विकास . .	१७७७
११८९	स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिकपण्य दमन अधिनियम १९५६	१७७८
११९०	शिक्षा का स्तर	१७७८
११९१	राष्ट्रीय सेना छात्र दल का विस्तार .	१७७८–७९
११९२	भाषा विज्ञान का विकास . .	१७७९
११९३	सहकारी उद्योगों के लिये मध्यमकालीन ऋण	१७७९
११९४	अमरीकी ऋण	१७८०
११९५	छावनी कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण .	१७८०–८१
११९६	प्रतिरक्षा मंत्रालय के कर्मचारी .	१७८१
११९७	भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन .	१७८१–८२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या		
११९८	विशिष्ट अनुतोष अधिनियम	१७८२
११९९	कलकत्ता में संग्रहालय	१७८२
१२००	डिफेंस कालोनी में बच्चे की हत्या	१७८३
१२०१	अमरीका का कृत्रिम उपग्रह	१७८३
१२०२	बन्दूकें	१७८३
१२०३	यूगोस्लाविया से बिजली के सामान की खरीद	१७८३
१२०४	विद्युत परियोजनायें	१७८४
१२०५	विदेश भेजे गये सशस्त्र सेना के अफसर	१७८४
१२०६	केरल के बैंक	१७८४–८५
१२०७	मुद्रा का विस्तार	१७८५
१२०८	इस्पात संयंत्रों को कोयले का संभरण	१७८५–८६
१२०९	जीवन बीमा निगम द्वारा बोनस	१७८६
१२१०	पंजाब में विदेशियों की सम्पत्ति	१७८७
१२११	मंत्रियों के काश्मीर के दौरे	१७८७
१२१२	महालेखापाल कार्यालय, ग्वालियर	१७८७–८८
१२१३	हायर सैकंड्री परीक्षाओं के लिये आयु-सीमा	१७८८
१२१४	छावनियों में खेल	१७८८–८९
१२१५	जूता बनाने की मशीनें	१७८९
१२१६	सशस्त्र सेनाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान-रक्षण	१७८९–९०
१२१७	विधि आयोग का प्रतिवेदन	१७९०–९१
१२१८	शरणार्थी आदिवासी	१७९१
१२१९	मध्य प्रदेश में आदिवासी	१७९१
१२२०	मध्य प्रदेश में ईसाई धर्मप्रचारक	१७९१–९२
१२२१	मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्र	१७९२
१२२२	मध्य प्रदेश में आदिवासियों की बस्तियां	१७९३
१२२३	केन्द्रीय सरकार में मध्य प्रदेश के अधिकारी	१७९३
१२२४	स्कूलों में खेल के मैदान	१७९३–९४
१२२५	उत्तर प्रदेश में स्मारक	१७९४–९५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२२६	जीवन बीमा कराने वाले व्यक्तियों को १६५८–५६ के लिये बोनस	१७६५
१२२७	दिल्ली केन्द्रीय जेल, तिहाड़	१७६५–६६
१२२८	नृत्य प्रोत्साहन के लिये अनुदान	१७६६
१२२६	दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क	१७६६–६७
१२३०	पिछड़े हुए वर्ग	१७६७
१२३१	विदेशों में भारतीय शिक्षक	१७६७
१२३२	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल	१७६७–६८
१२३३	वन्डर वर्ल्ड आफ साईंस	१७६८
१२३४	दुलभ हस्तलिपियों का संरक्षण	१७६८–६६
१२३५	ऐतिहासिक अवशेष	१७६६
१२३६	तरल सोने का तस्कर-व्यापार	१७६६–१८००
१२३७	दिल्ली में मध्य प्रदेश राज्य का सम्पर्क पदाधिकारी	१८००
१२३८	बीमाधारियों को बोनस कार्डों का जारी किया जाना	१८०१
१२३६	भारतीय वायु सेना में एयरमैन	१८०१
१२४०	नाट्यशाला संगठनों को सहायता	१८०१
१२४१	मनीपुर में भू–राजस्व	१८०२
१२४२	पुलिस आवास योजनायें	१८०२
१२४३	डी० एच० लारेन्स द्वारा लिखित "लेडी चेटरलीज़ लवर" नामक पुस्तक	१८०२
१२४४	जाली नोट	१८०३
१२४५	तम्बाकू की खेती	१८०३–०४
१२४६	दिल्ली के सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा	१८०४
१२४७	प्रामाणिक पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद	१८०४–०५
१२४८	संग्रहालयों में रखी वस्तुयें	१८०५
१२४६	हिन्दी में आयकर निर्धारण आदेश	१८०६
१२५०	राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्था	१८०६–०७
१२५१	त्रिपुरा में खेल-कूद	१८०७
१२५२	रूबल का पुनर्मूल्यन्	१८०७–०८

विषय पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव १८०८–१२

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना उनके सामने बताये गये सदस्यों ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :—

(एक) अर्जित राज्य क्षेत्र (विलय) विधेयक, १९६० और तत्संबंधी विषयों के संबंध में सरकार की संविधान के उपबन्धों का अनुसरण करने में कथित असफलता । } श्री त्रिदिव कुमार चौधरी

(दो) बुरुबाड़ी को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के बारे में प्रधान मंत्री और पश्चिम बंगाल के प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८१२–१३

(१) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १९ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३५३ की एक प्रति ।

(२) क्षेत्रीय परिषद् अधिनियम, १९५६ की धारा ५४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १९ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२५२ में प्रकाशित क्षेत्रीय परिषद् (संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श) नियम, १९६० की एक प्रति ।

(३) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु व सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २० अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० ९४५ ।

(ख) दिनांक २० अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० ९४६ ।

(ग) भारतीय पुलिस सेवायें (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २७ अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० ९८० ।

(घ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २७ अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० ९८१ ।

विषय पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत १८१४

अट्ठावनवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

विधेयक विचाराधीन १८१५—३४

१ दिसम्बर, १९६० को प्रस्तुत निवारकनिरोध (जारी रखना) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव तथा विधेयक पर राय जानने के लिये उसे परिचालित करने तथा उसे एक प्रवर समिति को सौंपने संबंधी संशोधनों पर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत १८३४

तिहत्तरवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प-विचाराधीन १८३४—५१

(१) सामान्य बीमा के राष्ट्रीय करण संबंधी संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही । श्री त० ब० विट्ठल राव ने वाद विवाद का उत्तर दिया । संकल्प पर मत विभाजन शुक्रवार १६ दिसम्बर, १९६० तक के लिये स्थगित कर दिया गया ।

(२) श्री विभूति मिश्र ने निशान लगाकर मतदान करने की नयी प्रणाली के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सोमवार, ५ दिसम्बर, १९६०/१४ अग्रहायण, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा और विधेयक का पारित किया जाना; अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे), १९६०–६१ पर चर्चा तथा रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा ।

GMGIPND—LS III—1530(Ai)LSD—271260—115